स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं का विकास : हरदोई जिले के एक चयनित ब्लॉक का अध्ययन

(Self Help Group and Development of Women : A Study of Selected Block of Hardoi District)

लघु शोध प्रबन्ध

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में एम० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी
(एम० फिल०)

शोधार्थी

मोनिका वर्मा

नामाकंन सं0 943/17

शोध निर्देशक

प्रो0 विभूति भूषण मलिक

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड लखनऊ (उ०प्र०)

2019

तालिका सूची

तालिका सं0		पृष्ठ संख्या
1.1	प्रतिदर्श चयन की तालिका	21
3.1	भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनायें और परियोजनाओं के तालमेल से संचालित स्वयं सहायता समूह	46
3.2	भारत में स्वयं सहायता समूह के विकास में मास्टर ट्रेनों का संक्षिप्त ब्योरा	47
3.3	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन का विवरण	51
3.4	उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के संगठित समूहों का विवरण	57
3.5	हरदोई एवं स्वयं सहायता समूह	59
3.6	बहेन्दर ब्लॉक में कार्यरत स्वयं सहायता समूह एवं उसके पदाधिकारियों का विवरण	60
4.1.1	उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार विवरण	66
4.1.2	उत्तरदाताओं का वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवरण	67
4.1.3	शिक्षा के आधार पर महिलाओं का विवरण	67
4.1.4	उत्तरदाताओं का निवास–क्षेत्र के आधार पर विवरण	69
4.1.5	उत्तरदाताओं क मकान के स्वरूप के आधार पर विवरण	70
4.2.1	समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व परिवार से विमर्श के आधार पर विवरण	74
4.2.2	समूह के कार्य में महिलाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाला सहयोग के आधार पर विवरण	75
4.2.3	समूह के कार्य के अलावा अन्य कार्य के आधार पर विवरण।	76
4.2.4	महिलाओं को समूह से सम्बन्धित प्राप्त अन्य पदो ंके आधार पर विवरण	77
4.2.5	समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं की आर्थिक	80

तालिका सं0		पृष्ठ संख्या
	स्थिति मे सुधार के आधार पर विवरण	
4.2.6	उत्तरदाताओं के समूह से जुड़ने से पूर्व परिवार में घर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के आधार पर विवरण	81
4.2.7	उत्तरदाताओं के समूह से जुड़ने के उपरान्त परिवार में घर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के आधार पर विवरण	82
4.2.8	महिलाओं द्वारा परिवार में लिये गये निर्णय को महत्व दिये जाने के आधार पर विवरण	83
4.2.9	समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पारिवारिक स्थिति में सुधार के आधार पर विवरण	84
4.2.10	ब्लॉक स्तर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के समर्थता के आधार पर विवरण	85
4.2.11	समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लेने के आधार पर विवरण ।	86
4.2.12	समूह की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त मतदान से सम्बन्धित निर्णय लेने के आधार पर विवरण ।	86
4.2.13	ग्राम पंचायत की सदस्यता होने पर उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने के आधार पर विवरण	88
4.2.14	समूह में या समूह से बाहर जातिगत समस्याओं के आधार पर विवरण	89
4.2.15	समूह के कार्य के दौरान लैंगिक भेदभाव के आधार पर विवरण।	90
4.2.16	पारिवारिक कार्य एवं समूह के कार्य के सामंजस्य में कठिनाई के आधार पर विवरण।	92
4.2.17	स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के विकास मे दिये जा रहे योगदान आधार पर विवरण	93

तालिका सं0		पृष्ठ संख्या
4.2.18	आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण मे भूमिका के आधार पर विवरण ।	100
4.2.19	समूह की महिलायें तथा समूह से सदस्यता न ग्रहण करने वाली महिलाओं की प्रस्थिति के अन्तर के आधार पर विवरण ।	101
4.3.1	समूह की सदस्यता के लिये प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों के आधार पर विवरण	104
4.3.2	समूह में महिलाओं (सदस्यों) की संख्या के आधार पर विवरण।	105
4.3.3	महिलाओं के समूह में प्रमुख पदो के आधार पर विवरण।	105
4.3.4	समूह की बैठकों की अवधि तथा स्थान के निर्धारण कर्ता के आधार पर विवरण।	106
4.3.5	महिलाओं के समूह में ऋण, बचत आदि निर्धारण कर्ता के आधार पर विवरण।	107
4.3.6	समूह में अध्यक्ष निर्धारण की प्रकिया के आधार पर विवरण।	107
4.3.7	समूह में कोषाध्यक्ष निर्धारण के आधार पर विवरण।	108
4.3.8	समूह की सदस्यता ग्रहण करने की समयावधि के आधार पर विवरण।	109
4.3.9	महिलाओं द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण के आधार पर विवरण।	109
4.3.10	प्राप्त किये गये प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर विवरण।	110
4.3.11	प्रशिक्षिण प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विवरण।	111
4.3.12	प्रशिक्षण के प्रकार के आधार पर विवरण।	112
4.3.13	महिलाओं द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण के लाभ के प्रकार के	113

तालिका सं0		पृष्ठ संख्या
	आधार पर विवरण	
4.3.14	समूह की महिलाओं द्वारा किये जा रहे सामूहिक कार्यों के आधार पर विवरण	113
4.3.15	समूह के कार्यों करने के लिये संसाधन जुटाने के आधार पर विवरण	114
4.3.16	एक माह में समूह में जमा करने के लिये निर्धारित धनराशि की प्रंक्रिया के आधार पर विवरण	115
4.3.17	समूह में धनराशि जमा करने की प्रंक्रिया के आधार पर विवरण	116
4.3.18	धनराशि जमा करने के लिये निर्धारित अन्य प्रंक्रिया के आधार पर विवरण	117
4.3.19	व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्राप्त ऋण की संख्या के आधार पर विवरण	118
4.3.20	महिलाओं को बैक से ऋण लेने या बैंक के कार्यो करने के दौरान उत्पन्न समस्यायें के आधार पर विवरण।	120
4.3.21	समूह द्वारा बैंक से प्राप्त किये गये ऋण की संख्या के अधार पर विवरण।	121
4.4.1	महिलाओं का समूह के नियमों से परिचय के अधार पर विवरण।	122
4.4.2	महिलाओं में आपसी विवाद जैसी समस्याओं के आधार पर विवरण।	123
4.4.3	महिलाओं द्वारा समूह से समय–समय पर ऋण लेकर संचित निधि को बढाने के आधार पर विवरण।	124
4.4.4	समूह से समय–समय पर ऋण लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस करने के आधार पर विवरण।	125

तालिका सं0		पृष्ठ संख्या
4.4.5	समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व महिलाओं की बैकिंग प्रंकिया से जागरूकता के आधार पर विवरण।	126
4.4.6	समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस करने के आधार पर विवरण।	127
4.4.7	समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण के भुगतान करने के प्रकार आधार पर विवरण।	128
4.4.8	बैंक से लिये गये ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस न करने के आधार पर उत्पन्न समस्यायें के आधार पर विवरण।	129
4.4.9	समूह द्वारा निश्चित समय पर बैंठको के आयोजन किये जाने के आधार पर विवरण।	130
4.4.10	समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना के बारे में जानकारी के आधार पर विवरण	131
4.4.11	समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजनाओं के प्रकार के आधार पर विवरण	132
4.4.12	महिलाओ को योजनाओं से हो रहे लाभ के आधार पर विवरण	137
4.4.13	महिलाओ के ग्राम पंचायत मे समूह की संख्या के आधार पर विवरण	135
4.4.14	ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने के आधार पर वितरण	136

रेखाचित्र सूची

रेखाचित्र सं0		पृष्ठ संख्या
3.1	राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना के का मूल्याकंन	58
3.2	स्वयं सहायता समूह के स्तर : बहेन्दर	60
3.3	स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्राम संगठन में चयन।	62
3.4	स्वयं सहायता समूह के विविध स्तर	63
4.1.1	उत्तरदाताओं की आयु का विवरण	68
4.1.2	उत्तरदाताओं का धर्म के अनुसार विवरण	71
4.1.3	जाति श्रेणी के आधार पर महिलाओं का वितरण	72
4.2.1	समूह की सदस्यता ग्रहण करने के कारणों के आधार पर विवरण	73
4.2.2	समूह के कार्य के दौरान लैंगिक भेदभाव के स्तरों के आधार पर विवरण।	91
4.2.3	समूह द्वारा हो रहे महिलाओं के विकास के आधार पर विवरण।	99
4.3.1	समूह के नाम के आधार पर महिलाओं का वितरण	103
4.3.2	समूह की महिलाओं द्वारा लिये गये ऋण के उपयोग(कार्यों) के आधार पर विवरण	119
4.4.1	महिलाओ को योजनाओं के बारें में जानकारी के स्त्रोतो के आधार पर विवरण	133
4.4.2	ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण न करने के कारण के आधार पर विवरण	137

।

संक्षिप्त शब्दावली

संक्षिप्त शब्द	विस्तारित शब्द
डी0सी0	डिस्ट्रिक कोर्डिनेटर
एन0आर0एल0एम0	नेशनल रूलर लाविली हुड मिशन
यू0पी0एस0आर0एल0एम0	उत्तर प्रदेश स्टेट रूलर लाविली हुड मिशन
आर0जी0एम0वी0पी0	राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना
एफ0 ओ0	फील्ड ऑफिसर
सी0वी0	कम्युनिटी वॉलेन्टियर
वी0ओ0	विलेज आर्गेनाइजेशन
बी0ओ0	ब्लॉक आर्गेनाइनेशन
सी0सी0एल0	कैश क्रेडिट लिंकेज
आर0एफ0	रिवाल्विंग फंड

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

ज्यादातर देश आज परिवार, समुदाय और राष्ट्र के विकास के लिए स्त्री–पुरुष समानता और नारी सशक्तिकरण को अनिवार्य मानते है। सामान्यतः अधिकांश देशों की महिलाएं हमेशा भेदभाव की शिकार होती रही हैं तथा उन्हें अधिकार विहीन भी रखा जाता रहा है (भसीन कमला 2016)। समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं को पुरुषों के अधीन समझा जाता है तथा उन्हें महिला पुरुष असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक नीतियां भी अक्सर इसी अनुमान पर ही आधारित होती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, उन्हें समर्थन की अधिक जरुरत पड़ती है (देविका जैन 2016)। समाज में कार्यरत महिलाएं अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्रों से सम्बन्धित होती है जिसके लिए उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है और न ही उनकें द्वारा पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनायें रखने के लिए दिये गये योगदान (मुख्यतः घरेलू कार्य) को कार्य के रूप में समझा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों द्वारा यह माना जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किये बिना राष्ट्र का विकास नही हो सकता है। बहुत से महत्वपूर्ण सूचकांकों में वृद्धि के बावजूद अधिकांश सामाजिक आर्थिक आकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण एवं उत्पादकता सम्बन्धी मुद्दों में भारत में महिलाएं अधिक सुविधा से वंचित रही हैं (कुमारी तृप्ति एण्ड मिश्रा ए0पी0 2015)। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूहों का विकास महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसके लिये सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं।

दुनिया के विकासशील देशों में भारत का नाम प्रमुख है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ वर्षोपरान्त ही भारत की अर्थव्यवस्था ने तीव्र प्रगति की है लेकिन आज भी संयुक्तराष्ट्र

मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति संतोषजनक नही है। (2018 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है।) गरीब और जरूरत मंदों की स्थिति आज भी पहले जैसी है जिसमें महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है तथा समाज में आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की हालत को आज भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है (कौर लखविन्दर 2016)। जहाँ एक ओर शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है लेकिन देश के आधे हिस्से की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पर्दा प्रथा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, कुपोषण, मातृ मृत्यु जैसी समस्याएं मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती रही है जिसमें स्वयं सहासता समूह महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रमुख प्रयास है (मुथैया पी0 2011)।

स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्‌देश्य गरीबों को संगठित करना तथा उन्हें गरीबी उन्मूलन हेतु प्रेरित करना है। अधिकांश समाजों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पुरूषों की अपेक्षा दयनीय (निम्न) होती है (मुहम्द नयीम 2014)। स्वयं सहायता समूहों का विकास महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जिसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए किये जा रहें प्रयास महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकास एवं स्वावलम्बन के लिए नये क्षितिज प्रदान कर रहें हैं। वर्ष 1992–93 में स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया तथा औपचारिक रूप से 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में शुरूआत की गयी है। नवम्बर 2015, से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गरीब महिलाओं को मुख्यतः आर्थिक विकास की मुख्य धारा में प्रवेश कराने

के लिये उन्हे स्वयं सहायता के रूप में देखा गया है। निर्धन महिलाओं के द्वारा समूह का सदस्यता ग्रहण करने पर उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। सामान्य समस्याओं पर समूह के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं जो अकेले कार्य करने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। समूहों में कार्य करने के दौरान महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है, बैकों के साथ लेन–देन, कागजी कार्यवाही इत्यादि करने से उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है (सिन्हा, अमरजीत 2017)। समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता में वृद्धि होती है। महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के सम्पर्क में आती हैं। जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है।

1.2 समस्या का कथन

महिला स्वयं सहायता समूह के विकास को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की ओर एक उचित पहल के रूप में देखा जा सकता है लेकिन समूह के सदस्य के रूप में कार्यों को करने के दौरान महिलाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की सीमाओं में बांधने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं से, समाज के पूर्वाग्रह से ग्रसित परम्परागत भूमिकाओं के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है जिससे वे समूह के कार्यों को करने में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले पाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन में लैंगिक भेदभाव एवं जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। समूह के नियमानुसार प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूह की संचित निधि से ऋण ले सकता है जिसके लिए उन्हें एक निश्चित ब्याज देना होता है। इसके तहत महिलाएं छोटी धनराशि को लेने में तो सफल होती है परंतु

बड़ी आवयकताओं की पूर्ति जैसे कि उद्योग की स्थापना हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है तब वे ऋण लेना नहीं चाहती है जिससे समूह निधि में वृद्धि नहीं हो पाती है एवं समूह वृहद स्तर पर संगठित नहीं हो पाता है।

1.3 साहित्य की समीक्षा

भारत में आजादी के बाद नीति निर्माताओं ने महसूस किया था कि आधुनिकीकरण का नया एजेंडा उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से पूर्ण होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में अधिकांश कल्याणकारी कार्यक्रम समाज के वंचित समूहों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिये शुरू किये गये। हाल ही में औपचारिक क्षेत्रों द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये स्वयं सहायता समूहों की नीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वास्तविक धरातल पर आधारित महिलाओं के कल्याण के लिये विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था के तहत निचले स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।

कौशिक, वी0के0, प्रेमलता पुजारी (1994) ने भारत में महिलाओं की शक्ति विषय पर तीन जिलों में एक अध्ययन सम्पादित किया है। यह अध्ययन महिलाओं के विकास से सम्बन्धित विविध विषयों पर लिखे गये निबंध, शोध पत्र, उद्धरण संकलन पर आधारित है जिसमें लोकतंत्र के विकास के संदर्भ में भारतीय महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित विषय समाहित किये गये है। यह सम्पादित कार्य महिलाओं की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है।

रविचन्द्रन एवं परमल (2002) के अनुसार, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महिला सशक्तीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान में महिला एवं पुरुषों के समान कार्य के आधार पर समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है तथा वे आर्थिक रूप से पिछड़ी होती है

जिसका मुख्य कारण साक्षरता का अभाव, जातिगत भेदभाव आदि है जो आर्थिक विकास को बाधित करते है। सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। स्वयं सहायता समूह उनमें से एक है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को विकास के लिए प्रेरित करना विशेषकर आर्थिक सशक्तीकरण को प्राप्त करना है।

गलब एस0 एण्ड रॉव चन्द्रशेखर (2003) आन्ध्रप्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़ा स्थान प्रदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रमोशन कार्यक्रम– ड्वाकरा (डी0डब्लू0सी0आर0ए0) और दक्षिण एशिया के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, साउथ एशिया पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, आन्ध्रप्रदेश रूलर पावर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स और आन्ध्रप्रदेश रूलर पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम आदि कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये। इस पृष्ठभूमि से यह पेपर गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण पर आधारित अन्तर्सम्बन्धों को विश्लेषित करता है।

ट्यूलिश निकोल जी0आर0 (2005) लेखक के शोध का मूल उद्देश्य केन्या के विकास में महिलाओं की बदलती सामाजिक स्थिति का परीक्षण करना है। क्योंकि जो महिलाएं विकास की प्रक्रिया से वंचित रह गयी थी उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास में एकीकृत किया गया। शोध महिलाओं और विकास पर तथा स्वयं सहायता सदस्यों के रूप में महिलाओं पर केन्द्रित है। किये गये अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि इन समूहों की गतिविधियों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया है।

बेल सूसन ई (2008) बताते है कि पिछले दशकों के दौरान महिलाओं के स्वस्थ आन्दोलन ने विभिन्न प्रकार की नारीवादी स्वयं सहायता समूह की शुरूआत की जो महिलाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ में व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी साझा करने की अनुमति देते है। इन समूहों में महिलाएं अपने अनुभव एवं ज्ञान को

साझा करती है। समूह महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचना एवं कौशल उपलब्ध कराते है इसलिए ये समूह विविध अनुभवों, अपेक्षाओं और राजनीतिक दृष्टिकोण वाली महिलाओं को आकर्षित करते है, उदाहरण के लिये कुछ महिलाएं प्रजनन एवं यौन रचनाओं को जानती है जबकि कुछ महिलाओं को इसका केवल न्यूनतम अर्थ मालूम होता है, कुछ महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है जबकि कुछ गर्भवती भी नही हुयी। महिलाएं स्वास्थ्य पर चर्चा के लिये डाक्टर के बजाय अन्य महिलाओं से चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी के लिये भी समूह की सदयता ग्रहण कर सकती है।

शरीरामुलू एण्ड खान हुसैन (2008)– स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के इरादे से लागू किया गया है यह आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करती है, विशेष रूप से भारत देश में यह भावना है कि केवल उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोग ही विभिन्न चुनाव जैसे संसद और विधान सभाओं के चुनाव लड़ने में सक्षम है। यह भी एक सत्य है कि गॉव का प्रभुत्वशाली व्यक्ति ग्राम प्रमुख बन जाता है। लेखक ने समूह के सदस्यों का साक्षात्कार लिया और उनकी राजनीतिक सक्रियता एवं समूह से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की।

डाइवान एम0 (2008)– तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूह महिला विकास परियोजना जिसे महीलियरथिट्टम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूह को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गयी है तथा महिलाओं का समस्त सशक्तीकरण उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर निर्भर है। इसलिए इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वास्थ्य, पोषण, कृषि वानिकी, जैसे मुद्दे पर कार्य करती है। इसके अलावा सूक्ष्म गतिविधि के माध्यम से आय सृजित करती है।

सिन्हा अजीत कुमार (2008) के अनुसार स्वयं सहायता समूह की संख्या में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की नयी भूमिका का विकास हुआ हैं, समूहों की संख्या मे वृद्धि से महिलाओं के लिए नये द्वार खुले हैं। यह सरकार की अन्य नीतियों से अधिक प्रभावपूर्ण है जो पुरूषों के विकास पर केन्द्रित होती थी। लेन–देन पर आधारित स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास पर आधारित एक नया विचार उभर कर आया है। यह भारत में गरीब ग्रामीणों के लिये आशा की किरण बनकर सामने आया है। भारत में बैकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद यह व्यवस्था गरीबों के लेन–देन के स्तर तक कार्य नही कर रही थी। इस नयी व्यवस्था में महिलाओ और गरीबों की प्रभुत्वशाली भूमिका है। स्वाभाविक रूप से गैर सरकारी संगठनो की भूमिका और ऐसी अन्य एजेंसियां जिसके द्वारा महिलाओं को नये कार्यबल के रूप मे संभव बनाया गया है, ये संगठन सामाजिक कार्यो के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकों के द्वारा ऋण प्रदान करने तक विस्तृत करती है। अन्त्योदय योजना की व्यवहारिकता में कमी एक समस्या है तथा योजना मे निश्चितता एवं शीघ्रता के लिए समूह के मार्गदर्शन मे दुग्घशाला, मुर्गीपालन, जैविक खाद, बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता, सब्जी लगाना आदि विशिष्ट रूप से ग्रामीण प्रोजेक्ट में संलग्न है। भारत में नयी गठित पंचायते ऐसे सामूहिक गतिविधियों के उत्प्रेरक के रूप मे उपयोगी साबित हुईं है तथा पंचायते, सहकारी संद्य एवं समूह एक दूसरे को सहयोग करते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं में विभिन्न प्रकार से स्वस्थ्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते है।

सालगावकर एस0 एण्ड सालगावकर पी0वी (2009) शोध पत्र में बताते है कि राज्य नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला और पुरूष समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंचायती राज्य लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सबसे निम्न स्तर की इकाई है जिसमें सभी लोग कार्यक्रम में भागीदारी कर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि ये निकाय प्रभावी हो और आवश्यक रूप से कार्य करे, जिससे सभी का विकास हो सके। 73वां संविधान संशोधन महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर है क्योकि यह पूरे भारत की

महिलाओं के विकास से सम्बन्धित है तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित करती है। कल्याणकारी कार्यक्रमों में राज्य की कम होती भूमिका और गलत विकास की धरणाओं के साथ ग्रामीण स्तर पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है जिससे राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का प्रवेश, गाँव की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव, महिलाओं की पारिवारिक भूमिका और सामाजिक धारणा महिलाओं के जमीनी स्तर पर नेतृत्व एवं विकास को सुनिश्चित कर रहा है। योजना में महिलाओं के आर्थिक सश्सक्तीकरण की अपार संभावनायें है।

खतिबी फर्जेन सेख एण्ड मिश इन्दिरा (2011) – शोध बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों मे लैंगिक समानता बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चत करने का लक्ष्य शामिल है। द रियों डिक्लेरेशन 1992 में कहा गया है कि पर्यावरण प्रबन्धन और विकास में महिलायों की भूमिका है और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। शोध में बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु में मायराड़ा 1968 में तिब्बत के शरणार्थियों को सेटलमेंट देने के लिये शुरू हुआ। इसका उद्‌देश्य गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों की सहायता करना हैं। मायराड़ा ने स्वयं सहायता समूह का गठन, गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से इसे प्राप्त किया है। मायराडा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने में अपना योगदान देने के लिये प्रतिबद्‌ध है जिसमें प्रमुख लक्ष्य है– जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। पिछले तीन वर्षों में 100 से 300 समूह वाटरशेड़ बनवाने में एक साथ आयें है। मायराड़ा बैंकों, निजी संरचनाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के अन्तर्गत वाटरशेड़ प्रबन्ध संद्यों जैविक कृषि के साथ कीटप्रबन्धन के कार्यो के लिए प्रतिबद्ध है।

रहीम ए अब्दुल (2011) के अनुसार भारत में 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की उन्नति और महिला सशक्तिकरण राज्य की नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, उज्ज्वला योजना आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं की क्षमताओं को पहचान कर एवं उन्हें विकास एवं स्वालम्बन के लिए नये क्षितिज प्रदान कर रही है। स्वयं सहायता समूह औपचारिक रूप से भारत में 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में शुरूआत की तथा भारत का संविधान लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय भूमिका निभाता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और आत्म विश्वास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी साधन के रूप में उभरा है।

फर्जानेह शैख खतिबी (2011) – ने अपनी अनुसंधान योजना मे यह इंगित किया गया है कि गरीबी और पर्यावरण के बीच सम्बन्ध है। वे पर्यावरण के शिकार एवं एजेंट दोनो है। वे इस बात के शिकार है कि वे परिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने की अधिक संभावना रखते है आज स्वयं सहायता समूह भारत में महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा महिलाएं पुरूषों की तुलना में पर्यावरणीय रूप से स्थायी गतिविधियों और पर्यावरण प्रबंधन में अधिक भागीदारी निभाती है इसलिये समूह के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर पर्यावरण स्थिरता के लिये समाज में जागरूकता बढ़ा सकती है। पारिस्थितिकी तंन्त्र प्रबंधन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श मे कहा गया है कि महिलाओं की आवश्यकताओं, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक प्राकृतिक सम्बन्ध है। महिलाएं तकनीकि पर्यावरण के ज्ञान का समृद्ध भंडार रखती है जिसे समस्या समाधान की प्रक्रिया में जुटाया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति भविष्य के दृष्टिकोण पर शक्तिशाली प्रभाव है (अन्तराष्ट्रीय परामर्श 1993)। लैंगिक समानता के साथ–साथ सतत व्यापक सामुदायिक विकास को प्राप्त

करने के लिए सामूहिक रूप से महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास जो महिलाओं को शामिल नही करता है लम्बे समय तक सफल नही होगा विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार लाने के उद्देश्य से महिलाओं की सफल भूमिका पर जोर दिया गया है।

शर्मा प्रेमनारायण तथा विनायक वाणी (2011) ने यह बताने का प्रयास किया है कि गरीबी और सशक्तिकरण दोनों एक दूसरे के विरोधाभाषी है तथा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अधिक दयनीय है तथा परिवार के द्वारा महिलाओं की गरीबी निवारण के लिये विभिन्न नीतियाँ या योजनाओं के तहत कार्य किये जा रहे हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु बांग्लादेश के मुहम्मद युनुस ने सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूह का सृजन किया, जिसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु एक उचित पहल के रूप में देखा जा सकता है। जिसके लिए उन्हें 2005 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पी0, वाई0 अर्जुन (2012) ने यह बताया है कि भारत में स्वयं सहायता समूहों का उदय एक ऐसी घटना है जो देश के विकास के परिदृश्य में महत्व प्राप्त कर रहा है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में प्रयासरत है। महिलाएं समूह से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारकर ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

कुमारीमधु (2012) लिखती है कि, स्वयं सहायता समूह हाल के वर्षों में लोगों के साथ काम करने की एक लोकप्रिय विधि के रूप में उभरा है। यह आंदोलन इस सिद्धान्त पर काम करता है कि लोगों का, लोगों के लिये, लोगों के द्वारा शासन है, अर्थात् व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करने का प्रयास करते हैं। वे विशिष्ट व्यवहार, व्यवहारिक व संज्ञानात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मिलकर काम करते हैं और

इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिये स्वयं सहायता समूहों को सामान्यतः साझा सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक समस्या से निपटने के साधन के रूप में विकसित किया गया है तथा लेखक ने स्वयं सहायता समूह की सामान्य विशेषताओं जैसे—पारस्परिक सहायता और समर्थन, साझा लक्ष्यों की दिशा में रचनात्मक कार्य, सामूहकि इच्छा शक्ति और विश्वास आदि को उल्लेखित किया है।

अग्रवाल मीनू (2013) ने बताया है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में एक वरदान है जो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पर वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को एक—दूसरे के साथ साझा करती हैं तथा मिलकर उन समस्याओं का सामाधान ढूढ़ने का प्रयत्न करती हैं। इसके द्वारा महिलाओं की आर्थिक समस्या का समाधान ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान हो रहा है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया है कि ज्यादातर स्वयं सहायता समूह अपने समूहों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिये सभाओं का आयोजन कम करते हैं। इसलिये इससे जुड़े व्यक्तियों को सप्ताह में कम से कम एक बार मिलने के लिये बाध्यकारी होना चाहिये। आपने अपने निष्कर्ष में सुझाव प्रस्तावित करते हुए कहा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को उनकी आर्थिक गतिविधियों को चुनने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए तथा नियमित रूप से एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन कर महिलाओं की उद्यमशीलता की क्षमताओं को विकसित करना चाहिए।

पी0एस0 रामा राजू (2013) की पुस्तक कई शोध पत्रों का संग्रह पर आधारित है, ये शोध पत्र भारत के विभिन्न राज्यों में गरीब तबके की महिलाओं की स्थिति को सुधारने में स्वयं सहायता समूह के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इस पुस्तक में सामाजिक कल्याण और विकास की वास्तविकताओं को धरातलीय स्तर समझने का प्रयत्न किया गया है। सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठन के संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप समाज में समानता और जागरूकता की भावना सुदृढ़ हो रही है। सामाजिक जागृति

और प्रगतिशील नियोजन और समानता के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है लेकिन समाज में अभी भी इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ मौजूद है। पुस्तक बुनियादी सामाजिक समस्याओं और इसके समाधानों की समझ के विकास में एक चरण का प्रतीक है।

भास्कर जी, नारायण के0 वी0 (2014) ने अपनी पुस्तक में सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूह के तहत हो रहे महिलाओं के विकास पर आधारित विभिन्न लेखों का संकलन किया है। सूक्ष्म वित्त के द्वारा हो रहे महिलाओं के विकास तथा ग्रामीण गरीबों के लिये गरीबी से बाहर निकलने का एक मा़त्र रास्ता के रूप में बताया गया है। सहकारी बैकों, गैर सरकारी संगठन, नाबार्ड, सिडबी आदि की मदद से समूहों का विकास संभव हो सका हैं। स्वयं सहायता समूह कुछ राज्यों मे जैसे—आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल कर्नाटक में सर्वाधिक विकसित है।

नयीम मुहम्मद (2014) आपकी पुस्तक चित्रकूट क्षेत्र में संगठित महिला स्वयं सहायता समूह पर केन्द्रित हैं। जिसमें यह विश्लेषित किया गया है कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार महिलाओं की प्रारम्भिक भूमिका में परिवर्तन ला रहे है। समूह से जुड़ने के बाद न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त हुई है बल्कि वे राजनीतिक कार्यो में भी आगे बढ़ कर हिस्सा ले रही है।

लोखडें ए0 मुरलीधर (2015) की पुस्तक सूक्ष्म वित्त एवं महिलाओ के सशक्तीकरण के संदर्भ मे प्रकाश डालती है। इसमे सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया गया है जैसे स्वयं सहायता समूह, एनआरएलएम, स्वयं सि़द्धा, स्वावलम्बन आधार, महिला किसान सशक्तिकरण मनरेगा आदि है।

बी0 शुगुना (2015) द्वारा आंध्रप्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूह पर किए गए शोध में यह पाया गया है कि आंध्रप्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का विकास सम्पूर्ण भारत में हुए स्वयं सहायता समूहों के विकास का 50 प्रतिशत हैं। ग्रामीण महिला सशक्तीकरण

में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है तथा इसमें महिलाओं एवं स्वयं सहायता से जुड़े आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष की विस्तृत विवेचना की गई है।

नित्थ्यानन्दन एस0 एण्ड मंसूर नोरमा (2015) आपके पेपर का मुख्य उद्देश्य चेन्नई में महिलाओं को सशक्त करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का परीक्षण करना है तथा समूह से महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक विकास किस प्रकार संम्भव हुआ है यह देखने का प्रयत्न किया गया है। समूह से न केवल महिलाओं की छोटी–छोटी बचत को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि महिलाएं समूह से ऋण लेकर लद्यु उद्योगो को भी सफलता पूर्वक स्थापित कर सकी और वे ग्रामीण विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकी है।

सिन्हा, अमरजीत (2017) स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन और ब्लॉक परिसंघों के तहत महिला समूहों ने परिवर्तनकारी सामाजिक सम्पत्ति विकसित की है और ग्राम सभा एवं पंचायती राज संस्थाओं में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। 2011 में कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद अब तक महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने बैंकों ऋण के रूप में 1.06 लाख करोड़ रूपये प्राप्त किये है (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) तथा 2016–17 में 35000 से 38000 करोड़ रूपये ऋण दिये जाने का अनुमान है।

स्वयं सहायता समूह समरूपता पर आधारित अवधारणा है यह "महिलाओं का महिलाओं के लिये महिलाओं के द्वारा" के सिद्धान्त पर कार्य करता है। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह सामान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा सामान क्षेत्रों की महिलाओं को संगठित करने का माध्यम बना। हाँलाकि विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि समूह की अधिकांश महिलाएं अनपढ़ और गरीब है फिर भी वे विभिन्न प्रकार के कौशल वाले कार्यों जैसे– आचार बनाना, सिलाई, बुनाई, पापड बनाना आदि कार्यों को भलीभांति कर लेती हैं। ये समूह महिलाओं को छाटी–छोटी बचत करने को बढ़ावा देते हैं तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करते हैं। सदस्य ऋण का उपयोग छोटी–छोटी दुकानों, घरों के आर्थिक कार्यों में योगदान तथा अपने पारम्परिक कौशलों

के आधार पर उद्यमिता को विकसित करने में उपयोग करते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा न केवल महिलाओं का आर्थिक विकास हो रहा है बल्कि अन्य सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति के साथ–साथ सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

1.4 प्रस्तुत शोध के उद्देश्य

- समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का पता लगाना।
- स्वयं सहायता समूह से जुड़े जातिगत तथा अन्य सामाजिक आयामों का अध्ययन करना।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा हो रहे रोजगार सृजन की संभावनाओं का विश्लेषण करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद स्वयं सहायता समूहों के विकास की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को चिन्हित करना।

1.5 शोध–प्रश्न

- समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार परिवर्तित हुई है?
- स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को जातिगत भेदभाव से जुड़ी किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
- महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता उनके सशक्तीकरण से किस प्रकार सम्बन्धित है?
- स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों की कितनी जानकारी उपलब्ध है?

1.6 सैद्धान्तिक रूपरेखा

प्रकार्यवादियों के अनुसार समाज एक—दूसरे से जुड़ी विभिन्न अंगों या भागों वाली एक प्रणाली है जिसके प्रत्येक भाग द्वारा कुछ निश्चित प्रकार्य सम्पन्न किये जाते हैं। उसी प्रकार समूह समाज के विभिन्न भागों से सम्बद्ध एक कार्य प्रणाली है तथा समूह के विभिन्न भागों के द्वारा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दिया जाता है। मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य वह है जिसकी अपेक्षा एक समाज या एक समूह के सदस्य करते है तथा प्रकार्य के संबन्ध में यह मानते है कि यह समाज के लिये सकारात्मक है। स्वयं सहायता समूह के गठन एवं समूह की सदस्यता लेने से महिलाओं में एकता बढ़ती है तथा उनका मनोबल बढ़ता है इसलिये समूह का प्रकार्य प्रकट प्रकार्य है।

श्रम विभाजन

दुर्खीम के अनुसार प्रारम्भिक समाज में श्रम विभाजन की प्रकृति सरल थी, स्त्रियों और पुरूषों के कार्य अलग—अलग थे। स्त्रियों को कार्य घरेलू कार्य (चार दीवार के अन्दर) तथा उत्पादन से सम्बन्धित कार्य पुरूषों के थे। इसकी आलोचना समकालीन नारीवादियों के द्वारा की गयी तथा उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं द्वारा भी आर्थिक कार्यों को उतनी ही दक्षता के साथ किया जाता है जितना कि पुरूषों के द्वारा।

सांकेतिक अंतः क्रियावाद

प्रतीकात्मक अंत:क्रिया के द्वारा समाज के सम्बन्धों का अध्ययन सामाजिक कर्ताओं के मध्य होने वाली प्रतीकात्मक संप्रेषण के संन्दर्भ में करता है। इस सिद्धान्त में सभी मानवीय क्रियाओं में प्रतीको एवं भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है। समूह में महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी के कारण शान्त रहने या कुछ अलग क्रिया करने पर समूह की महिलाओं द्वारा उनके भाव या अर्थ को समझ कर उसके

कारणों का पता लगाया जाता है तथा सभी सदस्यों द्वारा मिलकर समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

उपाश्रित परिप्रेक्ष्य

उपाश्रित का अर्थ अधीनस्था जाति, आयु, जेण्डर, और इसी तरह की अन्य अभिव्यक्तियां इस पद के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक विश्व व्यवस्था, पूँजीवादी विश्व व्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में केन्द्र क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा हुआ तथा परिधि क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान। वृद्धि की ओर उन्मुख विकास के साथ सामाजिक विघटन और असमानताओं का जन्म हुआ जिसमें महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय होती गई। अधिकांश महिलाएं अनौपचारिक कार्यों से जुड़ी है जिसके लिये उन्हें या तो कोई पैसा नही मिलता है या पुरूषों से कम पारिश्रमिक (वेजेज) मिलता है तथा श्रम करने के बाद भी वे शोषण की शिकार रहती है। वस्तुकरण (कमोडिटी) की इस प्रक्रिया के कारण महिलायें परिधि में पँहुच जाती है और पुरूष केन्द्र में। विश्व व्यवस्था के शोषण के सिद्धान्त की श्रृंखला में महिलाओं को अंतिम स्थान पर रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी देश अमीर—गरीब, ग्रामीण— नगरीय, पुरूष— महिला जैसे दो खेमों में बटता जा रहा है। सभी तक संसाधनों की पहॅुच को मुहैया कराने के लिये सरकार ट्रिकल डाउन अप्रोच को लेकर आयी। इसके बाद पुरूषों की स्थिति में थोडा सुधार आया लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय है वे ग्रामीण, गरीब एवं महिला है जिसकी स्थिति समाज में सबसे अंत में आती है।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक— आर्थिक उत्थान एवं गरीबी को कम करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए है। ऐसा ही एक कार्यक्रम 1990 में नाबार्ड एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह था। अपनी स्थापना के बाद यह कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार नामक योजना के

तहत कार्य कर रहा है। यह भारत में गरीब ग्रामीण निवासियों के लिये महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ग्रामीणों में भी सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं की होती है इसलिये योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सर्वोदय

स्वयं सहायता समूह सर्वोदय की संकल्पना पर आधारित सम्प्रत्यय है जो ना सिर्फ समाज के सभी व्यक्तियों के विकास पर आधारित है बल्कि समाज के सबसे दयनीय वर्ग गरीब महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में प्रयासरत है। महिला स्वयं सहायता महिलाओं के सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख कार्यक्रम है। सर्वोदय शब्द गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हितेश्तः की कल्पना समाहित है। सर्वोदय सर्व और उदय के योग से बना है जिसके दो अर्थ है सर्वोदय अर्थात सबका उदय तथा दूसरा सभी प्रकार से उदय।

1.7 अवधारणात्मक विश्लेषण

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य गरीबों को संगठित करके उन्हें स्वयं गरीबी निवारण के लिए प्रयास हेतु प्रेरित करना है। स्वयं सहायता समूह विशेषकर ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समान समस्याओं से ग्रसित होने के कारण समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। समूह बनाने का उद्देश्य सदस्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए स्वयं प्रयास करना है। समूह के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 10–20 होती है लेकिन रेगिस्तान, पहाड़ जैसे दुर्गम स्थानों में संगठित स्वयं सहायता समूह या विकलांग, लघु सिंचाई आदि के लिए निर्मित स्वयं सहायता समूह संख्या 10 से कम और 20 से ज्यादा भी हो सकती हैं।

महिला स्वयं सहायता समूह

महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को महिला सशक्तीकरण की ओर एक मुख्य पहल के रूप में देखा जा रहा है जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों को गठित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास

समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं मापदण्डों के अनुसार वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुए परिवर्तन को विकास कहते हैं। विकास के संप्रत्यय का सर्वाधिक प्रयोग आर्थिक संवृद्धि के रूप में किया जाता है जिसके अन्तर्गत एक देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक रहन सहन के स्तर, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन स्तर प्राप्त करने के साथ–साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। अन्य शब्दों में, सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार (स्वास्थ्य, पोषाहार, आवास, शिक्षा, रहन–सहन की दशायें औसत आय आदि) तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को सामाजिक विकास कहते हैं।

सामाजिक आयाम

समाज के विभिन्न अंगों जैसे समिति, समुदायों, प्रथाओं, परम्पराओं या अन्य किसी भाग का प्रभावित होना या प्रभावित करना सम्मिलित होता है। शोध में सामााजिक आयाम के अन्तर्गत लैंगिक भेदभाव, एवं दोहरी भूमिका जैसे सम्प्रत्ययों का प्रयोग किया जायेगा।

लैंगिक भेदभाव

महिला एवं पुरूष के मध्य लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव।

दोहरी भूमिका

महिलाओं के द्वारा घरेलू एवं बाहरी कार्यों के भूमिका निष्पादन से उत्पन्न तनाव एवं कठिनाईयाँ।

जातिगत आयाम

जाति भारतीय समाज का अभिन्न अंग है जिसके द्वारा विवाह, खानपान, व्यवसाय आदि नियन्त्रित, नियमित एवं प्रभावित होता है। लुई ड्यूमा, श्रीनिवास, घुर्ये आदि ने विभिन्न दृष्टिकोणों से जाति को परिभाषित एवं विश्लेषित किया है।

1.8 पूर्व के अध्ययन की कमियाँ

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि उनमें कई कमियाँ हैं महिला सशक्तिकरण के लिये विशेषकर राजनीतिक या आर्थिक परिप्रेक्ष्य को आधार बनाकर अध्ययन किये गये हैं जिसमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अभाव दिखता है। स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन ज्यादातर दक्षिण भारत के क्षेत्रों को आधार बनाकर किये गये है। उत्तर भारत, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश जहाँ आज भी महिलाओं की स्थिति अधिक सोचनीय है तथा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में स्वयं सहायता समूह एक कारगर उपाय साबित हो रहा है।

1.9 अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत शोध में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त करने में किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। समूह निर्माण का मुख्य उद्देश्य निर्धनता से मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करना है। अध्ययन के दौरान यह जाँचने का प्रयत्न किया गया है कि समूह अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो रहें हैं या नहीं। इन योजनाओं में समूह के लोग

आपस में मिलकर कुछ धन जमा करते हैं और फिर नजदीकी बैंकों से जुड़कर अपने समूहों के विकास के लिये आवश्यक ऋण प्राप्त करते हैं। अध्ययन में बैंको का स्वयं सहायता समूहों के विकास में दिये जाने वाले प्रत्यक्ष योगदान को समझने का प्रयत्न किया गया है। समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

1.10 अध्ययन पद्धति

1.10.1 अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श के आधार पर हरदोई जिले का चयन किया गया है। जिले का क्षे़त्रफल 5,100 कि0मी0 (2,000 वर्ग मील) है। जनगणना 2011 के अनुसार, जिले की कुल आबादी 40,92,845 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 2,191442 तथा महिलाओं की संख्या 1,901,404 है। तथा लिंगानुपात 868 प्रति 1000 पुरुष पर महिला) है। जिले में साक्षरता का प्रतिशत 64.6 है। जिसमें महिला साक्षरता प्रतिशत केवल 53.2 है। जिले में गरीबी बेरोजगारी, मातृमृत्यु दर जैसी समस्याएं मौजूद है।

1.10.2 प्रतिदर्श चयन

हरदोई जिले में 19 ब्लॉक है। बेरोजगारी, गरीबी, एवं महिलाओं की स्थिति निम्न होने के कारण बहेन्दर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या अन्य ब्लॉक की तुलना में अधिक है। अध्ययन की उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहेन्दर ब्लॉक का चयन उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श के आधार पर किया गया है।

तालिका क्र0 1.1 प्रतिदर्श चयन की तालिका

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	अध्ययन मे शामिल कुल समूहों की संख्या	चयनित सदस्यों की संख्या
1	बहेन्दर कला	4	25
2	नन्दौली भटौली	4	25
3	कासिम पुर	4	25
4	महसोना	4	25
कुल		16	100

बहेन्दर ब्लॉक में 68 ग्राम पंचायतें कार्यरत है जिसमें, बहेन्दर कला, कासिमपुर, महसोना, नन्दौली भटौली में महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक है जिससे महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 समूह कार्यरत हैं। अतएव उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत समूहों का अध्ययन किया गया है तथा समूह की 100 महिला सदस्यों को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक व्यक्तियों का समूह केन्द्रित साक्षात्कार लिया गया है।

1.10.3 शोध प्रारूप

अध्ययन की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक (Descriptive) सह व्याख्यात्मक (Explanatory) शोध विधि का प्रयोग किया गया है। जिससे अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्टीकरण हो सके।

1.10.4 तथ्य संकलन की विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देते हुये तथ्य संकलन किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्त्रोतों के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन जैसी तकनीक का प्रयोग किया गया है। जिसके द्वारा समूह में कार्यरत महिलाओं के विकास (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) का स्तर जानने का प्रयत्न किया गया है। द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की रिपोर्ट, विभिन्न लेखों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा इंटरनेट आदि तकनीकों की सहायता से तथ्य संकलित किए गए है।

1.10.5 तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुतशोध में मात्रात्मक तथ्यों के विश्लेषण हेतु एसपीएसएस का प्रयोग किया गया है तथा तथ्यों के प्रदर्शन एवं विश्लेषण हेतु आवृत्ति तालिका (Frequncy Table), क्रास टेबल, ग्रॉफ, पाई चार्ट का प्रयोग किया गया है। एवं गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण के लिये साक्षात्कार को पढ़कर मेमो लिखा गया इसके बाद तथ्यों की कोडिंग की गयी। अंत में समग्र दृष्टिकोणों के आधार पर थीम विकसित की गयी।

1.11 अध्ययन की चुनौतियाँ

- प्रतिदर्श में चयनित ज्यादातर महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण महिलाओं से शोध से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के दौरान भाषा सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़के न होने के कारण गाँव के अन्दर चल कर जाने में समस्या हुई क्योंकि सड़क न बने होने के कारण यातायात के साधनों का अभाव था।

- उत्तरदाताओं की घर से सम्बन्धित कार्यो (कृषि, पशुपालन) में व्यस्तता के कारण, शोधार्थी को शोध से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- धन एवं समय के अभाव के कारण शोध सम्बन्धी तथ्यों का संकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

संदर्भ सूची–

अग्रवाल, मीनू. (2013) *''वुमेन इम्पावरमेंट एण्ड जेंडर इक्वालिटी',* कनिष्क पब्लिकेशर्स, नई दिल्ली,

शुगना बी0. (2015).*''एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स',* डिस्कवरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

भास्कर जी0,नारायण के0वी0. (2014).*''माइक्रोफाइनेन्स एण्ड वुमेन',* निव सेन्चुरी पब्लिकेशन. नई दिल्ली।

भण्डारी, आशा और मेहता.(2009). *''वुमेन जस्टिस एण्ड रूल ऑफ लॉ'',* सीरियल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

भट्ट, आर इला. (2017). ''महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण'', *योजना,* सितम्बर पेज नं. 17।

धुनगाना बिसु माया .(2010). *''द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एम्पावरिंग डिसेम्बल्ड वुमेन',ए केस स्टडी ऑफ कांडमाडु वैली नेपाल.* डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस।

डाइवान एम0.(2008). *''सेल्फ हेल्प ग्रुप इन तमिलनाडुः एन आइडेन्टिटी फॉर वुमेन इम्पावरमेंट.',* इण्डियन पालिटिकल सांइस एशोसिएशन।

गलबएस0 एण्ड रॉव चन्द्रशेखर .(2003).*''वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पावर्टी एलाइवेशन एण्ड एम्पावरमेंट',* इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली वाल्यूम 38।

कुमारी तृप्ति एण्ड मिश्रा ए0पी0. (2015). *''सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड वुमेन डेवलपमेंटः ए केस स्टडी आफ वाराणसी ड्रिस्ट्रिक',* . स्पेस एण्ड कल्चर, इण्डिया।

कौशिक, वी0के0, प्रेमलता पुजारी .(1994). *''वुमेन पावर इन इण्डिया''* कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली

कश्यप, जगन्नाथ. (2016). समग्र प्रयास से ही सुधरेगी बेटियों की दशा *''कुरूक्षेत्र'' जनवरी* पेज नं. 5–9।

कौर लखविन्दर.(2016). *''रूरल डेवलपमेंट–सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेस स्टोरी''*, एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्शटेंशन इकोनोमिक एण्ड सोशियोलॉजी, साइन्स डोमेन इन्टरनेशनल।

कुमार सुरेश.(2009). *''पार्टीशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रु एक्टिविटीज एण्ड इम्पैक्ट'*, एविडिसेन्स फ्राम साउथ इण्डिया।

खातिबी फर्जनेह सेख एण्ड एम इन्दिरा.(2011). *''एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प एण्ड एपवायरन्मेंटल मैनेजमेंटः एक्सपीरियंस ऑफ एन जी ओ इन कर्नाटक स्टेट'*, इण्डिया।

कुमारी, मधु.(2012).*''इम्पावरमेंट आफ वुमेन''* रैन्डम पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

श्रीवास्तव राकेश.(2018). ''ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण आगे की राह'',*कुरूक्षेत्र* जनवरी पेज नं. 6–8।

लोखंडे ए0 मुरलीधर. (2014).*''माइक्रोफाइनेन्स एण्ड वुमेन एम्पावरमेंट'*, निव सेन्चुरी पब्लिकेशन. नई दिल्ली।

मुहम्मद नयीम.(2014). *'' एम्पावरमेंट ऑफ वमेन प्रोग्राम, पालिशी, इशु, एण्ड चैलेन्जेज'*, श्री पब्लिसर्श एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्श, अंसारी रोड दार्यागंज नई दिल्ली।

मुथैया पी . (2011). *''एम्पावरमेंट आफ वुमेन एण्ड माइक्रो फाइनेन्स'*, सीरियल पब्लिकेशन नई दिल्ली।

नित्थ्यानन्दन एस0 एण्ड मंसूर नोरमा.(2015).*''सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड वुमेन एम्पावामेंट'*, इन्सट्यूशन एण्ड इकोनोमिक।

निकोल जी0आर0 ट्यूलिश.(2005). *''द रिलेशनशिप बेटबीन वुमेन ए डेवलपमेंट इन केन्याण्ड'*, बर्घन बुक्स।

पाण्डेय आर0 . (2008).*''वुमेन वेलफेयर एण्ड एम्पावरमेंट'*, निव सेन्चुरी पब्लिकेशन. नई दिल्ली

पी0,वाई0, अर्जुन.(2012) *''सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एण्ड वुमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया,* निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

पी0एस0 ,रामाराजु.(2013). *''सोशल एक्सक्यूजन एण्ड सोशल वर्क''*, कामनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

सिन्हा अजीत कुमार . (2008).*''निव डायमेंशन ऑफ वुमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया'*,दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली।

सुसन इ0बेल.(2008) *''द केस स्टडी ऑफ फर्टीलिटी',* युनिवर्सिटी ऑफ एलीनाइस प्रेस।

सालगावकर एस0 एण्ड सालगावकर पी0वी0.(2009) *''पंचायत एण्ड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपःअण्डरस्टैडिंग द साम्बाओसिस',* इण्डियन पालिटिकल सांइस एशोसिएशन।

रहीम, ए अब्दुल. (2011). *''वुमेन इम्पावरमेंट थ्रु एस.एच.जी.''*,निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन ,नई दिल्ली।

शर्मा प्रेमनारायण, विनायक. (2011). *''गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण'',* भारत बुक सेन्टर, लखनऊ

सिन्हा, अमरजीत.(2017). अजीविका के माध्यम से ग्रामीण जीवन की कायापलट, *''योजना''* पेज नं0 15।

सिन्हा, अमरजीत.(2018). ''ग्रामीण विकास का रोड मैप'', *कुरूक्षेत्र ,* मार्च पेज नं. 5–8।

शरीरामुलु, जी.(2008). *''इम्पावरमेंट आफ वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप''*, नई दिल्ली पब्लिक

द्वितीय अध्याय

महिलाओं का विकास : अवधारणा सिद्धान्त एवं सूचकांक

अध्याय 2
महिलाओं का विकास : अवधारणाएँ, सिद्धान्त एवं सूचकांक

2.1 प्रस्तावना

विकास शब्द का प्रयोग हमेशा से प्रगति के विचार से सम्बद्ध है। विकास को अधिकाशंतः उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि और बाजारोंउन्मुखी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता हैं। इसलिये अल्पविकास को गरीबी निम्न उत्पादकता और पिछड़ापन के द्वारा समझा जाता है तथा यह माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि वह मार्ग है जिस पर चल कर विकास तक पहुँचा जा सकता है, जिससे 1950 के बाद से ही औद्योगीकरण और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि पर दुरागृह की हद तक ध्यान केन्द्रित रहा है अधिकांश देशों मे यह मान लिया गया है कि तेजी से हो रही वृद्धि का स्वाभाविक परिणाम, मौजूदा सामाजिक दशा में बदलाव है। लेकिन इस पूर्व धारणा के अनेक दुष्परिणाम निकले है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसने विकास के मानव पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया तथा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रयोग किया। इससे पूर्व यह माना जा रहा था कि विकास की प्रक्रिया स्त्री एवं पुरूष को समान रूप से प्रभावित करती है लेकिन धरातल पर उत्पादन की प्रक्रिया में स्त्री के कार्यो की सदैव अवहेलना की जाती थी तथा यह समझा जा रहा था कि महिलाओं को लाभकारी विकास की प्रक्रियाओं में बिना किसी बड़े ढॉचागत परिवर्तन के सम्मलित किया जा सकता है (शाही एस0पी0 2014)। फलस्वरूप आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय विकास नही हो सका। 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही तृतीय विकास दशक को महिला दशक घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों का ध्यान महिलाओं के विकास की ओर उन्मुख हुआ तथा समाज की नीतियाँ न केवल महिलाओं के लिये विकास (वुमेन इन डेवलपमेंट) पर आधारित रही

बल्कि महिलाओं को भी समाज के विकास में प्रमुख अंग (वुमेन एण्ड डेवलपमेंट) माना जाने लगा अर्थात महिलाएं भी समाज के विकास में योगदान दे सकती है यह माना जाने लगा (कैम्पवेल डारेन रावल 2006)।

2.2 विकास का अर्थ

किसी समूह या व्यक्ति की उन्नति को प्रदर्शित करने के लिये विकास जैसी संकल्पनाओं का सकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विकास को कई अर्थो में जैसे वृद्धि, परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण के रूप में समझा जाता है। आर्थिक दृष्टि से वृद्धि के रूप में विकास से अभिप्राय है कि उपभोग की वस्तुओं में उत्पादकता में वृद्धि और साथ ही साथ उपभोग के प्रतिरूप में वृद्धि तथा वृद्धि के रूप में विकास को मनुष्य की रोटी, कपडा और मकान एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से परिभाषित किया जा सकता है। परिवर्तन और रूपान्तरण के रूप में विकास से तात्पर्य है कि मानव समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में हो रहे परिर्वतन से हैं। आधुनिकीकरण को विकास के रूप में लिया जा सकता है, हालांकि सभी विद्वान दोनों प्रक्रियाओं, विकास और आधुनिकीकरण को एक नहीं मानते हैं। प्रायः आधुनिकीकरण को विकास के साधन के रूप में देखा जा सकता है तथा आर्थिक क्रियाकलाप में इसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वृद्धि में प्रौद्योगिकी रूपान्तरण के रूप में लिया जाता हैं। विकास को प्रायः औद्योगिक विकास का समनार्थी समझा गया था। संसाधनों को, लाभ और उद्योग–धन्धों को बढाने में खर्च किया गया जिससे अनेक लोगों की आजीविका की कीमतों पर बाजार का विस्तार हुआ। परिणामस्वरूप एक ओर भोग–विलास की वस्तुओं का जन्म हुआ वहीं दूसरी ओर इससे भारी प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अपशमन इस प्रकार हुआ कि मानव जाति का अस्तित्व ही खतरें मे पड़ गया।

वृद्धि की ओर उन्मुख विकास के साथ सामाजिक विघटन और असमानताओं का जन्म हुआ। प्रत्येक जगह इस बात के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं कि विकास ने एक क्षेत्र

को अछूता छोड़ दिया है या गरीबी तथा प्रगतिरोध के नये क्षेत्र पैदा कर दिये हैं। परिणामस्वरूप समाज का कुछ हिस्सा हाशिये पर चला गया जिससे वे सामाजिक और आर्थिक प्रगति से वंचित रह गये। **फ्रैंक** ने विकास की इस प्रचलित प्रक्रियाओं से उपजे अन्यायपूर्ण **"परिणामों को अल्पविकास"** कहा क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया चल रही थी वह कुछ लोगों को विकसित बनाती है और अन्य पिछड़े रह जाते हैं।

आर्थिक वृद्धि का यह मॉडल यान्त्रिक है इसका तात्पर्य है कि धन संम्पदा का कुछ व्यक्तियों या देशों के हाथों में एक्त्रीकरण, कल्याणकारी राज्य का पीछे हट जाना तथा आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सेना की बढ़ती हुयी भूमिका है। इस मॉडल में यांत्रिक तार्किकता की जो धारणा निहित है वह तीसरी दुनियाँ के प्रतिकूल है जैसे उदारवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि गरीबों का अर्थव्यवस्था से अपवर्णन अर्थात उनका लाभों से पूरी तरह से वंचित रह जाना; क्योकि इसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। गरीबी मिटाने का यह कोई उचित रास्ता नहीं है जबकि दुनिया के देशों के लिये यह सबसे विकासात्मक मुद्दा है। इस प्रकार आर्थिक विकास अगर चिंता अलगाव मानवद्वेष और कार्य विरक्ति को जन्म देता है तो मानव प्रगति के अपने उददेश्य से खुद ही विमुख हो जाता है। समाज का एक बडा हिस्सा निम्न स्तरीय जीवन और गरीबी से जूझ रहा है। हमें संभावनाओं की दिशा में विस्तार करना होगा ताकि लोग अपने को परिपूर्ण कर सके।

मानव समाज की तरह ही विकास की संकल्पानाओं ने लम्बा सफर तय किया है। सदियों से विकास को क्रमशः प्रगति, वृद्धि बदलाव परिर्वतन धारणा, अतंरण, तथा आधुनिकीकरण जैसे विभिन्न रूपों में जाना गया है। इसे अब हम आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक और मानव विकास के रूप में देखते हैं। मानव समाज का विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इन विभिन्न चरणों को विविध परिप्रेक्ष्यों से समझा गया तथा सामाजिक आर्थिक राजनैतिक दृष्टि से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। जैसे कॉम्ट, मार्गन, स्पेन्सर, दुर्खीम आदि।

आरंम्भिक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों का विषय मानव समाज का विकास एवं प्रगति का अध्ययन करना था।

कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति (व्यवस्था) एवं सामाजिक गतिकी (प्रगति) में विभाजित कर ऐसा निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्था के द्वारा ही प्रगति संम्भव हैं। विकास के सिद्वान्त के अनुसार समाज कई चरणों से होकर गुजरते हैं। जो एक सरल रूप से शुरू होकर विकास के प्रक्रिया के आगे बढने के साथ–साथ जटिल होते जाते हैं। कॉम्ट ने विकास के आधार पर परिवर्तन का सिद्वान्त गढ़ा और क्रमिक परिवर्तन को वृद्धि एवं कौशल के साथ जोडा। **"तीन अवस्थाओं का सिद्वान्त"** जिसमें बौ़द्धिक प्रगति के साथ–साथ नैतिक विकास भी होता है। तथा सामाजिक संस्थाओं में भी अनेक परिर्वतन होते हैं। कॉम्ट के अनुसार सामाजिक परिर्वतन समाज में आंतरिक रूप में स्थित शक्तियों का ही परिणाम है।

मार्गन के अनुसार मानव समाज क्रमशः **असभ्यता, बर्बरता और सभ्यता** जीविकोपार्जन के साधनों के विकास में प्रगति के आधार पर हुआ।

मार्क्स मानव विकास के व्यापक सिद्वान्त का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक संरचना में आमूल परिर्वतन की बात करते हैं जिसके अनुसार समाज के भौतिक ढाँचे में अतंर्विरोध स्थित है वे अर्थव्यवस्था को वास्तविक बुनियाद मानते हैं जिस पर समाज टिका है। "सामाजिक उत्पादन में आदमी निश्चित सम्बन्ध बनाता है जो उसके लिये अपरिहार्य है और मनुष्य की इच्छा से स्वतन्त्र है। **मार्क्स के अनुसार मानव समाज की विकास यात्रा में एशियाई, प्राचीन, सामंती, पूँजीवादी के चरणों से होकर गुजरा है।**

2.3 विकास के मानवीय एवं सामाजिक आयाम

विकास की प्रारम्भिक क्लासिकी परिभाषा आर्थिक अर्थों के साथ की जाती है जिसे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के रूप में लिया जाता है। कभी–कभी यह भी समझ लिया जाता है कि वृद्धि विकास से थोड़ा–थोड़ा करके नीचे पहुँचने वाला प्रभाव से

संसाधनों का समान बटवारा होगा। विकास की इस प्रकिया ने मानवता के हित में वांछनीय परिणाम दिये हैं विशेषकर विकासशील देशों में।

सार्वभौमिक सूचकांकों के संदर्भ मे **डडले सियर्स** ने कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, उन्होंने मानव व्यक्तित्व के सार्थक विकास को सामाजिक विकास कहा तथा सामाजिक विकास के लिये इन सूचकांकों –उत्पादन एवं साधनों का वितरण, मानव की प्रगति के लिये उपलब्ध विकल्पों का विस्तार, मानव क्षमताओं का विस्तार व उपयोग, आजीविका की सुरक्षा, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा भागीदारी की प्रक्रिया को सामान महत्व देना है। **अमर्त्य सेन** के अनुसार विकास का लक्ष्य निरक्षरता, बीमारी, गरीबी, संसाधनों तक पहुँच की कमी, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतन्त्रता की कमी इत्यादि बाधाओं को दूर करना हैं।

सामाजिक विकास की अवधारणा में आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास व अन्य तत्वों से युक्त समाज के सम्पूर्ण विकास पर बल दिया जाता है। सामाजिक कल्याणकारी सेवाओं के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जो सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक प्रासंगिक है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम–आय का समुचित वितरण, आय वृद्धि, योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नियोजन में जनसहभागिता, ग्राम नगरीकरण, औ़द्योगिक संरचना, पर्यावरण सम्बन्धी नीतियाँ आदि हैं।

डब्लू.लॉयड वार्नर के अनुसार, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि ही सामाजिक विकास है।

विकास शब्द मात्रा के साथ–साथ गुण का भी बोध कराता है किसी समूह, देश की अर्थव्यवस्था में यदि आर्थिक विकास हो रहा है तो मात्रात्मक प्रगति के साथ–साथ वहाँ गुणात्मक प्रगति भी हो रही है। गुणात्मक और मात्रात्मक प्रगति से आशय है कि विकास में वृद्धि समाहित है। जहां किसी देश सकल आय का बढ़ना संवृद्धि दर्शाता है,

वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सुरक्षा आदि की बढ़ोत्तरी उसके विकास का द्योतक है। लेकिन विकास के साथ–साथ संवृद्धि का होना भी आवश्यक है क्योंकि जीवन में गुणवत्ता वृद्धि के लिये धन चाहिये, जो संवृद्धि से प्राप्त होता है। अतः संवृद्धि और विकास की प्राकल्पनायें इन्हीं दोनों में समाहित हैं।

2.4 आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक

मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक तथा वैश्विक खुशहाली सूचकांक है।

मानव विकास सूचकांक

मानव विकास सूचकांक की संकल्पना के विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया। मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित तीन सूचकांको तथा आयामों का प्रयोग किया जाता है।

1 **दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन**–जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।

2 **ज्ञान**–स्कूल के औसत वर्ष तथा स्कूल के प्रत्याशित वर्ष।

3 **जीवन स्तर**–प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय।

लैंगिक विकास सूचकांक

यह 1995 में यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। लैंगिक दृष्टि से यह स्त्रियों और पुरूषों के मध्य भिन्नता के स्तर का पता लगाता है। यह मानव विकास की सटीक पहचान करता है। इसीलिए इसे समान विकास सूचकांक भी कहा जाता है।

लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक

इसे भी वर्ष 1995 में **यू**एनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। इसमें तीन प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया–

1 राजनैतिक अधिकार– मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, नकारने का अधिकार, चुने हुये प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार।

2 आर्थिक अधिकार–कानून एवं योजनाओं के लागू होने में महिलाओं की ंभागीदारी। रोजगार, स्वरोजगार आदि में महिलाओं का हिस्सा।

3 सामाजिक अधिकार–सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने का अधिकार, सामाजिक सामानता का अधिकार।

लैंगिक खुशहाली सूचकांक

यूएनडीपी द्वारा इसकी शुरूआत वर्ष 2010 में की गयी थी। इस सूचकांक से महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक खुशहाली का पता चलता है। इस सूचकांक का उद्‌देश्य घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को कामकाजी महिलाओं में बदलना है ताकि उन्हें वाणिज्यिक दर्जा प्राप्त हो सके। इससे महिलाओं का दृष्टिकोण परिवर्तित होगा एवं उनके सम्मान तथा पहचान में भी वृद्धि होगी।

वैश्विक खुशहाली सूचकांक

किसी देश का खुशहाली मापने का यह पैमाना, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा पहली रिपोर्ट वर्ष 2012 में दी गयी। इसमें विभिन्न देशों की स्थिति देखने के लिये छह कारकों पर ध्यान दिया जाता है:

1 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद

2 स्वस्थ जीवन काल

3 सामाजिक सुरक्षा (परेशानी में कोई सहयोग मिलेगा या नहीं)

4 विश्वास (सरकार और निजी कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर आम धारणा)

5 आजादी (अपनी जिन्दगी को लेकर लोग कितना स्वतन्त्र है)

6 उदारता

मानव निर्धनता सूचकांक

मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिर्पोट में वर्ष 1997 में सामने आयी। इसके अन्तर्गत उत्तम जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा का आकलन किया जाता है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक

यह सूचकांक यूएनडीपी़ द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया जिसके माध्यम से गरीबी की व्यापक समझ विकसित होती है तथा मूल्यांकन सरल हो जाता है।

धारणीय विकास

विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनो उपयोग में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। जिसका उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित उपयोग करना है। इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इनवॉयरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट "अवर कामन फयूचर" में की थी। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित ऐंजेडा 21 में इसका पूर्ण समर्थन किया गया। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाये गये हैं जिन्हे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है।

- गरीबी की पूरे विश्व से समाप्ति।
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाउ कृषि को बढ़ावा।
- सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा ।
- समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना।
- लैंगिक असमानता को प्राप्त करने के लिये महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
- सभी के लिये समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना।

2.5 महिलाओं का विकास

महिलाएं सदैव से ही पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है। समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी प्रभावशाली सशक्त और सुदृढ़ होती है समाज उतना ही उन्नत प्रगतिशील सशक्त होता है। किसी भी समाज का विकास करने के लिये वहॉ के नागरिको को समान अधिकार देना प्रथम आवश्यकता है। प्रायः सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय रही है उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है। विकसित देशों में स्वतंत्रता के पश्चात भी स्त्रियों को राजनैतिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त नही थे। 1688 में संम्पन्न इग्लैण्ड़ की ग्लोरियस क्रान्ति ने सामंतवाद का अन्त किया तथा समानता एवं स्वतंत्रता प्रचारित करने में मदद की। फ्रांस की क्रान्ति के दरम्यान सुविधा सम्पन्न तबके के विरोध में नागरिकता का एक नया अर्थ सामनें आया जिसके तहत किसी भी राष्ट्र पर शासन करने की भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना गया। प्रबोधन काल के मतानुसार नागरिकता का विचार सिर्फ पुरूषों के लिये ही लागू होते है। **मेंडलें गुथरीथ** का तर्क है कि प्रबोधन काल के कुछ लेखकों स्त्री के विरोध और ज्यादातर क्रान्तिकारी प्रवक्ताओं के द्वारा इस विरोध का निष्ठापूर्ण

अनुसरण के कारण महिलाएं पूर्ण नागरिकता से दरकिनार हो गयी। **रूसों** ने स्त्री शिक्षा के विषय में एक लेख में लिखा है कि स्त्री और पुरूष एक दूसरे के लिये बने है लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता समान नही है हम लोग उनके बिना अच्छी तरह से जी सकते है लेकिन वे हमारे बिना नही। इसलिये महिलाओं की शिक्षा की संम्पूर्ण योजना पुरूषों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। पुरूषों को खुश रखना, उनके लिए उपयोगी बनना, उनका प्यार और सम्मान जीतना, उन्हें बच्चों जैसे बडा करना बडों की तरह देखभाल करना, उनकी गलतियों को सुधारना, उन्हें सान्तवना देना ये सब युगों से नारियों के कर्तव्य रहें है। इसके लिए उन्हें बचपन से ही पढाया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखित संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों की चर्चा नही की गयी (एपेलराउथ एस0, एडल्स एल0 डी0 2011)। 4 जुलाई 1776 के अमरीकी घोषणा पत्र ने मानवीय समानता के क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन किया। 1789 में अमरीकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के कारण अमरीकी नागरिकों कों बहुत सारे अधिकार मिले। हॉलाकि घोषणा द्वारा किये गये वायदे सब पर लागू नही थे। घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद भी महिलाओं को राजनीतिक नागरिकता से बाहर ही रखा गया (न्यूमैन डेविड एम0 2012)। महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि समाज में महिला किसे गया है। **महिलायें**—समाज की संरचना, संगठन में लिंग असमानता और समानता का विशेष महत्व है। 1970 के दशकों तक स्त्री पुरूष में जैविक लक्षणों के आधार पर अध्ययन किया जाता था। सेक्सोलोजिस्ट जॉन मनी ने 1955 में एक भूमिका के रूप में जैविक लिंग और जेड़र के बीच के पारिभाषित भेद को पेश किया। जैविक लिंग (सेक्स) और जेड़र को नारीवादी सिद्धान्तकारियों ने प्रचलित किया। सेक्स शब्द पुरूष और स्त्री के बीच जैविक भिन्नता की तरफ इशारा करता है जबकि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संम्प्रत्यय है। जेंडर कुछ गुणों का समुच्चय है जिसे किसी महिला और पुरूष शरीर पर समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आरोपित किया जाता है (बाल्लेनटाइन एज0जे0,राबटर्स के0ए0, कोर्जन के0ओ0 2016)। अन्ना ओकलें ने अपनी पुस्तक 'सेक्स जेंडर एण्ड सोसाइटी' 1972 में इस बात पर बल दिया है कि 'लिंग घरेलू रूप में श्रमिक के रूप में

प्रस्तुत तथा बच्चों को जन्म देने के लिये समाज द्वारा रचित है। स्त्री पुरूष की जैविक संरचना और पुरूषत्व एवं नारीत्व के साथ जोड़कर दिखाए जाने वाले लक्षणों के बीच कोई अनिवार्य सहसम्बन्ध नही है। बल्कि यह बच्चों के लालन पालन की प्रक्रिया है जो कुछ विशेष भिन्नताओं को स्पष्ट करती है अर्थात बचपन से ही लड़कियों एवं लड़कों को जेंडर भेद के अनुसार व्यवहार करना, कपडे पहनना, खेलना पढ़ना आदि सिखाया जाता है यह बेहद सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया है (रिट्जर जी0 एण्ड स्टेपवेन्सिकी जे0 2011)। नारीवादियों का तर्क है कि सेक्स विशिष्ट लक्षण (**बहा**दुरी, आत्म विश्वास को 'पौरूष', और संवेदन शीलता शर्मीलेपन को 'नारीत्व' के रूप में दिखाया जाता है) तथा समाज द्वारा जोड़े जाने वाले मूल्य उन संस्थानो और विश्वासों के अमल से पैदा होते है जिनके द्वारा लड़के और लड़कियों का अलग– अलग तरह से समाजीकरण कर उन्हे अपनी–अपनी भूमिकाओं के लिये तैयार किया जाता है (राब स्टोन 2015) जैसे कि सिमोन द बुआ ने कहा है कि 'औरतें पैदा नही होती बना दी जाती है।'

2.6 नारीवाद का विकास एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

नारीवाद सामान्य तौर पर नारीवाद को एक ऐसे सामाजिक आन्दोलन के रूप में देखा जाता है जिसकी सम्बद्धता सांस्कृतिक संदर्भो, राजनीतिक मानदण्ड़ों तथा विधि विधानों से रही है और जो स्त्री एवं पुरूष के बीच प्रत्येक स्तर पर सामानता स्थापित करने की दिशा में व्यवहारिक एवं विमर्शात्मक प्रयास भी करता है। आमतौर पर नारीवादी आन्दोलन का विकास मताधिकार के मुद्दे पर हुआ। मताधिकार के लिए महिलाओं के संगठित संघर्ष या 'सफरेज' आन्दोलन (जैसा सामान्य तौर पर कहा गया) ने मताधिकार को राजनीतिक अधिकार के रूप में अधिक महत्व दिया (एपेलराउथ एस0, एडल्स एल0 डी0 2011)। महिला आन्दोलन पर जो शोध और साहित्य है उन्हें सामान्यतः विभिन्न कालों एवं लहरों में बांट दिया गया।

नारीवादी आन्दोलन की शुरूआत 20वीं सदी के आरंम्भिक दशकों में हुयी। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नही है कि इससे पहले महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय

नही थी बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि इतिहास लेखन पूरी तरह पुरूष केन्द्रित रहा है। महिला आन्दोलन की प्रमुख बात यह है कि यह एक विश्वव्यापी लहर थी। ब्रिटेन में मेरी वुलस्टोन क्राफ्ट की पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में प्रकाशित हुई जो आने वाली सदीं के लिये महत्वपूर्ण साबित हुई जिसमें प्रत्येक आधार पर स्त्रियों को पुरूषों के समकक्ष एवं उन्ही की भाँति योग्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया (एलेन कैनेथ 2011)। प्रारम्भिक नारीवादियों को उदारवादी नारीवाद कहा गया। बींसवीं सदीं की शुरूआती दौर में उत्तरी यूरोप के स्कंडेनेवियाई राष्ट्रों में स्त्री पुरूष समानता को समर्पित जनकल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) का संस्थानीकरण हो चुका था, जिससे यहां की महिलाओं को बराबरी के संघर्ष में पश्चिमी देशों की महिलाओं से आगे निकलने का अवसर प्राप्त हुआ। स्त्रियों को मताधिकार दिलाना महिला आन्दोलन के पहले चरण की सुप्रसिद्ध सफलता रही है।

प्रथम चरण के कुछ वर्षों के पश्चात विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रायः यूरोप और अमेरिका के महाविध्वंस के बाद पुननिर्माण की समस्याओं में उलझ गया जिसकी पृष्ठभूमि में लाखों युवा पुरूषों (सैनिकों और नागरिकों के रूप में) एक एसा लैंगिक विषम समाज बना दिया था, फलस्वरूप प्रजातीय असंतोष पर आधारित आन्दोलनों ने नारीवाद आन्दोलन की गतिविधियों को दृश्य से ओंझल कर दिया। ऐसे समय में फ्रांस में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता सिमोन द बुआ की महत्वपूर्ण पुस्तक सेकेण्ड सेक्स प्रकाशित हुई। यह पुस्तक आन्दोलन के द्वितीय चरण की आधार शिला बनी। बीसवीं सदीं के आते–आते यूरोप और अमेरिका का बौद्धिक वर्ग अपेक्षाकृत स्थिरता प्राप्त कर चुका था, ऐसे में वहां नारीवाद पुनः उभरना प्रारम्भ हुआ जिसकी मान्यता थी कि परम्परागत समाजिक मान्यताएं स्त्रीं विरोधी एवं शोषणकारी है, इनके विरोध में ही स्त्री–उत्थान का मर्म छिपा हुआ है। इसे अतिवादी नारीवाद की संज्ञा दी जाती है जिसमें पुरूष का अस्तित्व नकार कर बिना विवाह के पुरूषों के साथ रहने (लिव इन रिलेशन), स्वच्छन्दतापूर्वक सहवास करने जैसे उपायों से स्त्रियों को आत्मनिर्भर एवं संतुष्ट बनने की राय दी।

1980 के दशक में नारीवाद के द्वितीय चरण का प्रभाव समाजशास्त्र के क्षेत्र में देखने को मिलने लगा था। लघु महिला अध्ययन लागू कर अकादमिक समाजशास्त्रियों ने पुरूष प्रधान समाजशास्त्रीय चिन्तन को चुनौती प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया था। मेगा स्टेसी ने समाजशास्त्रियों की यह कह कर आलोचना की है कि उन्होनें अपना ध्यान प्रायः 19 वीं शताब्दी के मध्य तक अवैधानिक मामलों, राज्य से सम्बन्धित मुद्दों तक ही बनायें रखा तथा उनके लिये स्त्रियों से सम्बन्धित मुद्दें किंचित भी महत्व के नही थे। अकादमिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त करने के साथ ही एक आन्दोलन के रूप में नारीवाद कमजोर पड़ने लगा। 1980 के दशक में समान वेतन, रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार, गर्भपात एवं गर्भ निर्धारण का अधिकार जैसे औपचारिक उपलब्धियों के साथ ही अपना चरम प्राप्त कर चुका था।

अतिनारीवाद के प्रभाव में बिखरी सामाजिक संस्थाओं यथा विवाह, परिवार आदि के दुष्परिणाम परिलक्षित होने लगे थे, प्रभावस्वरूप नारीवाद का नवीन संस्करण उत्तर आधुनिक नारीवाद उभरा। इसमें नारीवाद को पूर्व की भाँति विशुद्ध आन्दोलन के रूप में नही देखा जा रहा था बल्कि यह स्त्रियों की स्थिति में क्रमिक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा था। इसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रभाव किया गया कि स्त्री पुरूष विपरीत नही बल्कि एक दूसरे के संदर्भ में पूरक है (मेयर्स डी0टी0 2011)। उत्तर आधुनिक नारीवाद सेक्स और जेड़र के अर्थ और डिस्कोर्स पर प्रकाश डालता है ना कि अनुभव और वाणी पर (लेविस आर0 एण्ड मिल्स सारा 2003)। हाँलाकि इसमें भी समय–समय पर शोषण, वेश्यावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि जैसी नकारात्मक प्रक्रियाओं के असंतोष के मुद्दे उभरते रहे हैं, तथापि इस चरण की विशेषता यह रही है कि इसमें ऐसी प्रक्रियाओं एवं घटनाओं को समाप्त करने की दिशा में पहल भी किया जाता रहा है। नारीवाद के विश्लेषण के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री एन्थोनी गिडेन्स कहते है "कि पिछले कुछ दशकों में स्त्रियों को जो स्वतंत्रता मिली है उसे वों छोड़ना नही चाहेंगी परन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि वो

प्रत्येक स्तर पर अतिवादी होकर एकांकी एवं असमन्वयनकारी प्रवृत्तियों का ही साथ दे।"

2.7 भारतीय संविधान एवं सरकार के प्रयास– महिलाओं का एवं उनके माध्यम से देश का विकास करने के उद्देश्य से संविधान, कानून और भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में नारी हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। संवधिान की प्रस्तावना में–"प्रतिष्ठा और अवसर की समता" तथा व्यक्ति की गरिमा आदि वाक्यांशों का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं। महिला विकास हेतु प्रयासों का सिलसिला प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से प्रारंभ हो गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) में महिलाओं के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया गया एवं वर्ष 1976 में समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई, किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) से महिला विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को महिला विकास का आवश्यक क्षेत्र मानकर कृषि व उससे जुड़े कार्य (डेयरी, पोल्ट्री, लघु व कुटीर उद्योगों, पशुपालन आदि) में महिलाओं हेतु रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–90) में सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्पलायमेंट (1986–87) एवं निर्धन व ग्रामीण महिलाओं हेतु जागरूकता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और महिला एवं बाल विकास विभाग (1985) की स्थापना की गई। आठवी पंचवर्षीय योजना (1990–95) में महिला विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन, जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायत व नगर निकायों के चुनाव में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना (1995–2000) के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम या योजना का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों तक पहुँचाने व समुचित मॉनिटरिंग करने संबंधी निर्देश दिए गए। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया और स्वयंसिद्धा (2001–02) एवं स्वाधार (2001–02)

योजना प्रारंभ की गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से संपूर्ण देश में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई तथा समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इससे सम्बद्ध अनेक कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training of Rural Youth for Self employment –TRYSEM) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (Development of Women and Children in Rural Areas - DWCRA) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (Supply of Improved Toolkits in Rural Artisans), गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojna-GKY) तथा दस लाख कुआं योजना (Million Wells Scheme-MWS) की योजनाओं को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण बाल विकास देश की जनसंख्या विशेषकर दुर्बल वर्गो की पोषण स्थिति में सुधार हेतु तीन विशेष कार्यबलों का गठन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में महिला साक्षरता को 85 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें महिलाओं के समावेशी विकास, सामाजिक व राजनैतिक सशक्तिकरण एवं स्त्री समानता और न्याय को प्रमुखता दी गयी।

महिला सुरक्षा एवं विकास हेतु अनेक कानून/योजनाएं बनाई गई हैं –

अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम 1959 (1986 में संशोधित किया गया), महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक अधिनियम (1986), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), दहेज निरोधक कानून (1961), सती प्रथा निरोधक अधिनियम (1987), विशेष विवाह अधिनियम (1954), पुनर्विवाह अधिनियम (1956), हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम (1956), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), कारखाना (संशोधन) अधिनियम (1976), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) आदि के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक हितों से जुड़े कई कार्यक्रम व योजनाएं केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई जिनमें से प्रमुख है– (1) स्वयंसिद्धा (2001–02), (2) स्वशक्ति (1998), (3) स्वालम्बन योजना (1982), (4) कार्यकारी महिलाओं के लिए हॉस्टल (1982–83), (5) बालिका समृद्धि योजना (1997), (6) किशोरी शक्ति योजना (2000), (7) जननी सुरक्षा योजना (2005), (8) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), (9) महिला समाख्या कार्यक्रम (1989), (10) स्वास्थ्य सखी योजना (1997), (11) स्वाधार (2001), (12) स्वयं शक्ति योजना (2001), (13) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना (2001), (14) जीवनभारती महिला सुरक्षा योजना (2003), (15) कस्तूरबा गांधी विशेष बालिका विद्यालय योजना (2004), (16) आशा योजना (2008), (17) इंदिरा गांधी इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना (2006), (18) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2007), (19) प्रियदर्शिनी योजना (2008), (20) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता योजना (2007), (21) उज्जवला योजना (2007), इत्यादि।

2.8 निष्कर्ष–कुल विकास का आधा हिस्सा होने के कारण महिला और विकास का गहरा सम्बन्ध है। कोई भी समाज तब तक विकास नही कर सकता है जब तक उसका आधा हिस्सा शोषित और अविकसित है अर्थात महिलाओं की क्षमताओं का पूर्ण विकास किये बिना किसी भी आर्थिक व्यवस्था का विकास सम्भव नही है। राष्ट्रीय विकास तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें महिलाओं का विकास और विकास का लाभ महिलाओं तक पहुँचाने की व्यवस्था सम्मलित नही है। साधारण शब्दों में, विकास से तात्पर्य गरीबी का अन्त उत्पादकता में वृद्धि और परिणामतः व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता में तथा समाजिक जीवन स्तर में सुधार है। विकास के मानकों में स्वास्थ्य पोषण के साथ–साथ जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार, अच्छी शिक्षा में सुधार तथा कल्याणकारी सामाजिक सेवाओं में पहुँच इत्यादि कहें जा सकते है। इस प्रकार विकास समाज के सभी वर्गो तक के संसाधनों की समान पहुँच सुनिश्चित करना है।

संदर्भ सूची–

एलेन कैनेथ.(2011). *"कन्टेम्परी सोशल एण्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी"*, सेज पब्लिकेशन, लन्दन।

एपेलराउथ एस0, एडल्स एल0 डी0.(2011). *"सोशियालॉजिकल थ्योरी इन द कन्टेम्परेरी इरा"*, सेज पब्लिकेशन, लन्दन।

बाल्लेनटाइन एज0जे0,राबर्ट्स के0ए0, कोर्जन के0ओ0.(2016). *"अवर सोशल वर्ल्ड इन्ट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी "*, सेज पब्लिकेशन, कनाड़ा।

डारेन रावन कैम्पवेल.(2006).*"डेवलपमेंट विथ वुमेन"*, रावत पब्लिकेशन, निव दिल्ली।

कालहाउन सी0,जरटीस जे0, मूड़ी जेम्स, स्टैवेन पी0, विर्क आई0.(2005). *"कन्टम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी"*, ब्लैकबेल पब्लिशिंग, लन्दन।

लेविसआर0एण्ड मिल्स सारा.(2003).*"फेमिनिस्ट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी"*, इडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, ग्रेट ब्रिटेन।

मेयर्स डी0टी0.(2017). *"फेमिनिस्ट सोशल थॉट ए रीडर.*राउट्लेड्ज*"*, ग्रेट ब्रिटेन।

मैक्लौघिन जे0. (2016). *"फेमिनिस्ट सोशल एण्ड पॉलिटिकल थ्योरी"*,

न्यूमैन डेविड एम0 .(2012) . *"सोशियोलॉजी एक्सप्लोरिंग ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इवरी डे लाइफ"*, सेज पब्लिकेशन, यूनाइटेड़ स्टेट ऑफ अमेरिका।

रिट्जर जी0 एण्ड स्टेपवेन्सिकी जे0.(2011). *"मेजर साशल थ्योरीज,* जॉन ब्लैकवेल*"*, यूनाइटेड़ किगड़म

शाही एस0पी0.(2014). *"वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन"*, सेन्टरम प्रेस, निव दिल्ली इण्डिया।

स्टोन आर0.(2017) *"की सोशियोलॉजिकल थिंकर* ,पालग्रेव मैकमिलन*"*, यूनाईटेड किंगडम ।

तृतीय अध्याय

राज्य एवं जिला स्तर पर स्वयं सहायता समूहः एक विवरण

अध्याय 3
राज्य एवं जिला स्तर पर स्वयं सहायता समूह : एक विवरण

3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की बेरोजगारी कम करने, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा मुहैया कराने तथा गरीबी को कम करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते रहे है जैसे—सम्पूर्णा ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगाार तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसे 3 जून 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के नाम से पुनर्संरचित किया गया है, आदि (शर्मा अर्चना 2018)। इसके तहत देश के ग्राम पंचायतों में 8 से 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें गरीबी से उबारने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन इस आधार पर कार्य करता है कि गरीबों मे गरीबी से उबरने की मूलभूत प्राकृतिक क्षमतायें होती हैं जिसे जानकारी, सूचना, सामूहीकरण, साधन, वित्त आदि के माध्यम से उनकी क्षमताओं को निखारा जा सकता है। प्रत्येक विनिर्दिष्ट ग्रामीण गरीब परिवारों में से कम से कम महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क में शामिल करना आवश्यक है तथा समाज के सर्वाधिक अभावग्रस्त व्यक्तियों, मलमूत्र ढोने होने वाले समुदाय के लोगो, पिछडे क्षेत्रों के जनजातीय समुदायों पर विषेश ध्यान दिया जाता है जिससे गरीब परिवार अपनी गरीबी से उबरने का प्रयास करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह केन्द्र, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है। विभिन्न स्तरों में कार्य से सभी लोगो तक संसाधनों की पहुँच को संभव बनाया जाता है।

3.2 केन्द्र सरकार की परियोजनाएं : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

मिशन इस प्रकार से कार्य करता है कि इसके संचालन में गरीबों की भूमिकाओं को सुनिश्चित किया जा सके। इसकी मुख्य्र प्रकियाओं में ऐसी महिलाएं जो गरीबी से उबर चुकी हैं, जिनका जीवन स्तर इस प्रक्रिया के द्वारा बेहतर बन चुका है, वह अन्य ग्रामीण

गरीब महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार यह गरीबों का गरीबों के लिये चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। मिशन में वित्तीय समावेशन की मांग तथा आपूर्ति दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। मांग के परिप्रेक्ष्य में यह गरीबों को वित्तीय क्षेत्र के साथ समावेशन कराता है तथा आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघो को पूंजी उपलब्ध कराता है।

कार्यक्रम के मुख्य अंग

केन्द्र एवं राज्य सरकार के तालमेल से निर्मित समूह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा सके। औपचारिक संगठन तथा अन्य सिविल सोसायटी के साथ संगठन एनआरएलएम दो स्तरों पर कार्यनीति एवं उसके क्रियान्वयन पर गैर सरकारी संगठनों के साथ उचित तालमेल स्थापित कर स्वयं सहायता समूह सृजित करने का कार्य करता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित किया जाता है जैसे–**महिला किसान सशक्तिकरण योजना––** राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के तहत 2010–2011 में महिला किसान सशक्तिकरण योजना कृषि में महिलाओं की भूमिका स्वीकार कर उन्हें उचित अधिकार देने का ठोस प्रयास है। मिशन द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित कर उनकी आय में वृद्धि तथा क्षमताएं बढ़ाने के लिए निवेश किया जा रहा है। **स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता प्रोग्राम** –यह योजना गैर कृषि के क्षेत्र के बुनकरों और दस्तकारों की आजीविका को सुदृढ़ करती है। योजना के द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों को उद्यम लगाने में सहायता करना तथा जब तक उद्यम सुचारू रूप से कार्य न करने लगे तब तक उपलब्ध संसाधनो के द्वारा गरीबी से उबरने में उनकी सहायता करना। कार्यक्रम के द्वारा ज्ञान, वित्तीय सहायता एवं सलाह जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और उनके संघो का प्रयोग के करते हुये उद्यमों के

महत्वपूर्ण 6 महीने के दौरान उन्हें व्यवसायिक सहायता प्रदान करता है। योजना की वैधता इस बात से साबित होती है कि एसवीपी से 4 वर्षो में 24 राज्यों के 125 ब्लाकों में लगभग 1 लाख 82 हजार उद्यम सृजन करने की संभावना की गयी है जिसके तहत लगभग 3 लाख 78 हजार व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन हो सका है।

तालिका 3.1 भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनायें और परियोजनाओं के तालमेल से संचालित स्वयं सहायता समूह

क्र0स0	राज्य	प्रमुख योजना और परियोजना
1	बिहार	स्वच्छ भारत मिशन के साथ तालमेल
2	त्तीसगढ़	विधवाओं, परित्यक्ताओं और अकेली रह रही महिलाओं के लिये तालमेल
3	झारखंड	मनरेगा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य और आईसीडीएस के साथ तालमेल
4	कर्नाटक	मनरेगा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य और आईसीडीएस के साथ तालमेल
5	महाराष्ट्र	मनरेगा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य और आईसीडीएस के साथ तालमेल
6	राजस्थान	मनरेगा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य और आईसीडीएस के साथ तालमेल
7	तमिलनाडु	गरीबों और विकलांगों को उनके अधिकार दिलाने के लिये विभिन्न प्रकार के सम्बन्धित विभागों के साथ तालमेल
8	**उत्तर प्रदेश**	**पशुपालन, कृषि, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य तथा महिला और बाल विकास विभागों के साथ तालमेल**
9	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल की सरकार की सुन्दरगिनी परियोजनाओं के साथ तालमेल

स्त्रोत– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी वार्षिक रिपोर्ट 2016–2017

प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण कौशल विकास

स्वयं सहायता समूह, उनके संघो, बैंकरों तथा एनजीओ तथा अन्य सरकारी कर्मियों के सतत् क्षमता निर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। कौशल निर्माण तथा क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य गरीबों को ऐसा कौशल प्रदान करना है जिससे वे अपनी आजीविका का प्रबन्धन कर सके, बाजारों से जुड़ सके तथा ऋण चुकाने जैसी विश्वसनीयता बढ़ा सके।

तालिका 3.2 भारत में स्वयं सहायता समूह के विकास में मास्टर ट्रेनों का संक्षिप्त ब्योरा

क्र0 सं0	राज्य का नाम	मास्टर ट्रेनर की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	0
2	अरूणान्चल प्रदेश	0
3	टसम	3878
4	थ्बहार	12173
5	छत्तीसगढ़	373
6	गेवा	0
7	गुजरात	903
8	हरियाणा	251
9	हिमाचल प्रदेश	81
10	जम्मू काश्मीर	111
11	झारखंड़	0
12	कर्नाटक	689
13	केरल	1104
14	मध्य प्रदेश	9894
15	महाराष्ट्र	1052
16	मणिपुर	0

17	मेघालय	9
18	मिजोरम	137
19	नागालैण्ड़	40
20	ओड़िसा	1639
21	पंडुचेरी	0
22	पंजाब	129
23	राजस्थान	1075
24	सिक्किम	4
25	तमिलनाडु	5483
26	तेलंगाना	5483
27	त्रिपुरा	142
28	उत्तराखंड	20
29	**उत्तर प्रदेश**	**614**
30	पश्चिम बंगाल	3817
	कुल	43582

स्त्रोत– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी वार्षिक रिपोर्ट 2016–2017

वित्तीय सहायता

समूह के 70 प्रतिशत से अधिक सदस्य एनआरएलएम के तहत लक्षित किए गए परिवारों सें है उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में परिक्रमा निधि 15000 रू0 उपलब्ध करायी जाती है जिससे उनमें बचत की आदत उत्पन्न हो सके तथा सदस्यों की मदद करने तथा उनके लिये सामूहिक कार्यकलाप शुरू करने के लिये वल्नेरेबलटी रिडक्शन फंड बी आर एफ और सामुदायिक निवेश सहायता निधि प्रदान की जाती है।

3.2.1 ब्याज सब्सिडिटी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज सब्सिडिटी का प्रावधान किया गया है। सभी महिला स्वयं सहायता समूह 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख रूपये तक ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋणों के शीघ्र भुगतान करने पर ये समूह 3 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडिटी पाने के पात्र भी बन जाते है जिससे ब्याज दर मात्र 4 प्रतिशत ही रह जाती हैं।

3.2.2 स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन

सामुदायिक संघो तक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेने तक किसी भी ब्लॉक में मिशन को 10 वर्षों तक चलाया जायेगा। सामान्यतः एक ब्लॉक में 100–120 ग्रामों में लगभग 13,500 कुल गरीबों का 90 प्रतिशत तक गरीब परिवारों को संगठित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक ब्लॉक को चार चार क्लस्टरों में बाँटा जा सकता है। शुरूआती 3 वर्षों में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तरीय संघो में संगठित किया जाता है। 4–5 वर्षों के दौरान सामुदायिक संस्थानो द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है तथा 3–4 वर्षों तक कार्यक्रमों में गहनता लाने के लिये जनजातियों, तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये पहले जैसे विविध कार्यों स्वास्थ्य, पोषण आदि को शामिल कर निवेश किया जाता है। अंतिम चार वर्षों की अवधि, उनके रख रखाव और प्रत्याहरण के लिये होती है जिससे संस्थायें आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी होती हैं।

3.2.3 ग्राम पंचायतों के साथ सम्पर्क

स्थानीय स्तर पर शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायतें एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका को देखते हुए समुदाय आधारित संगठनों के बीच पारस्परिक

सहायता एवं संसाधनो को आदान प्रदान करने की दृष्टि से नियमित रूप से एनआरएलएम में औपचारिक मंच प्रदान करने की कल्पना की गयी है।

3.2.4 कार्यक्रम और उसका प्रभाव

मार्च 2017 के अन्त तक देश के सभी राज्यों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2016–17 के वित्तीय वर्ष के कृषि आजीविका के लिये विशेष कार्य शुरू करना। एनआरएलएम वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से ब्लॉकों में स्थायी कृषि, पशुधन आदि को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 लाख लोग कवर किये गये हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रशिक्षण, फसलों की विविधता, नयी प्रद्यौगिकी, स्थायी कृषि एवं पशुधन कार्यों को बढ़ावा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मार्च 2017 के अन्त तक कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों और संघ राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 127 जिलों के 169 ब्लॉक कवर किये गये, 61.56 लाख परिवारों को (पिछले वित्तीय वर्ष में 38 लाख परिवारों की तुलना में) 5.22 लाख एसएचजी में संगठित किया गया। वर्ष के दौरान इन स्वयं सहायता समूहों को 37745 ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघों में सम्बद्ध किया गया।

तालिका 3.3 राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन का विवरण

क्र0 सं0	कार्यकलाप	मार्च, 2016 तक	2016–2017 के दौरान	मार्च 2017 तक संचयी
1	शामिल किये गये जिले	430	127	557
2	शामिल किये गये ब्लॉक	3,042	469	3,511
3	शामिल किये गये परिवार	3,05,36,699	61,55,977	36692676
4	बनायें गये स्वयं सहायता समूह	26,29,268	522,059	3151327
5	बनाये गये ग्राम संगठन	1,35,718	37,745	173463
6	बनाये गये सीएलएफ	5,485	2,122	7607
7	वितरित की गयी परिक्रमा निधि(रूपयें करोड़ में)	529.45	367.71	897.16
8	वितरित की गयी सीएलएफ (रूपयें करोड़ में)	1061,60	814,99	1876.59

स्त्रोत– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी वार्षिक रिपोर्ट 2016–2017

3.3 राज्य स्तर की परियोजनाएं : उत्तर प्रदेश

2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है तथा भारत की 16 प्रतिशत जनसंख्या प्रदेश में निवास करती है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां हैं जिसमें लिंगानुपात 912 (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलायें) हैं। प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरूषों का प्रतिशत 77.3 है तथा महिलाओं का 57.2 है। राष्ट्रीय एमएमआर प्रतिशत 63 है लेकिन उत्तर प्रदेश का एमएमआर 71 (1000 में से) है। उत्तर प्रदेश में जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव देखने को मिलता है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) जो उत्तर प्रदेश में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समर्पित ढॉचों की मदद से एनआरएलएम की योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन कर रही है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिये कुशल और संस्थागत मंच बनाना है जिससे वे स्थायी आजीविका के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि कर सकें और वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पँहुच बना सके। एनआरएलएम एक मांग संचालित दृष्टिकोण के बाद परिणामों के लक्ष्य आधारित समयबद्ध वितरण के लिए मिशन एक मोड़ में कार्य करता है जो राज्यों को उपलब्ध आबंटन संसाधनों और कौशल के आधर पर अपनी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को तैयार करने की अनुमति देगा।

उत्तर प्रदेश मानव विकास सूचकांकों पर जैसे– स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण आदि पर निम्नतम अंक प्राप्त कर अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। 2001 में योजना आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक कमजोर और पिछड़े राज्यों में सें 15 में से 13 वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश की मौजूदा हालत को सुधारने के लिये समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित की जाती रही हैं। जिसमे राजीव गाँधी चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका शिलान्यास रायबरेली एवं सुल्तानपुर में सन् 2002 में किया गया था।

3.3.1 परियोजना के विकासात्मक लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक मौन क्रान्ति चल रही है। योजना का लक्ष्य 10 मिलियन गरीब परिवारों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना है। ″हम सभी के पास शक्ति है कि अपने संवाद को क्रियाओं में बदले। उत्तर प्रदेश में 1.4 मिलियन महिलाओं की ओर से किये गये प्रयास को आगे बढ़ाने के लिये ही नही बल्कि उन

शक्ति संरचनाओं को जो हमारे स्वयं के जीवन को नियन्त्रित करती हैं उनको बाधित करने के लिये आवश्यक है कि हम अपने संवाद को क्रियाओं में बदले।

गरीबी उन्मूलन—प्रदेश में 2 बिलियन से अधिक गरीब परिवारों की गरीबी कम करना है तथा सबसे अविकसित 400 से अधिक ब्लॉकों में 200,000 स्वयं सहायता समूह को गठित करना है। परियोजना के तहत ग्रामीणों को बेहतर आजीविका प्रदान कराने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों में से दो से तीन व्यक्ति आय उत्पादन के कार्यों में लगे हो।

3.3.2 परियोजना के विविध अंग

धारणीय कृषि— नवाचार के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों की आय में सुधार करना।

स्वास्थ्य और पोषण— मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना तथा सामुदायिक स्वच्छता की जानकारी प्रदान करना।

शिक्षा—बच्चों की शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान देना।

महिला नेतृत्व—स्थानीय स्वाशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।

परियोजना का नजरिया— समाज में मौजूद असमानताओं (विभिन्न स्तर) से स्वतन्त्र सभी लोग अपने मौलिक अधिकार के प्रयोग के लिये स्वतन्त्र हैं।

महिलाओं को एकजुट करना— विविध समूह की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर मजबूत बंधन का निर्माण करती हैं।

जीवन स्तर में सुधार– समूह के माध्यम से न केवल जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि उन्होंने यह अनुभव किया है कि उनके आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि हुई है।

परिवर्तन के लिये रणनीति–स्वयं सहायता समूहों को रणनीतिक रूप से स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और ब्लॉक संगठन के रूप में विकसित किया गया है जिससे समूह का प्रबन्धन एवं संचालन जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

क्षमता निर्माण– महिलाएं केन्द्रित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया से जुड़ी हुई है जिससे वे गरीबी से बाहर आने के लिए आवश्यक संसाधन और कौशल के माध्यम से निरन्तर जीवन में बदलाव ला रही हैं तथा दूसरी महिलाओं को प्रेरित करने का माध्यम बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह सामूहिक बाधाओं को कम करता है तथा सामुदायिक सहायता नेटवर्क बनाकर नयी जानकारी मुहैया कराकर सामाजिक पूंजी का निर्माण करता है। समूह के माध्यम से संसाधनो तक पहुँच तथा अधिकारों के बारें में जानकारी प्राप्त कर, उनका लाभ प्राप्त करने की क्षमता का निर्माण करता है। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी तथा निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण, अजीविका के संसाधनों को प्राप्त करने, आय के अवसरों को प्राप्त करने, ऋण जाल से बचने की क्षमता का निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में नये मानदंडो के निर्माण करने की क्षमता का निर्माण होता है।

क्षेत्रीय कार्यक्रम– योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को कुशल, टिकाऊ और औसत दर्जे का बनाया गया है। कार्यक्रम, गरीबी के बहुआयामी पहलुओं से सम्बन्धित है जिसमें स्वस्थ्य से लेकर शिक्षा तक कई सेवायें प्रदान की जाती हैं तथा लिंग आधारित भेदभाव को भी समाप्त करने की मुहिम की गयी है।

गरीबी को कम करने के तीन तत्व –योजना के नियमों का पालन करते हुए महिलाओं की पहचान कर उन्हे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी कृषि और अजीविका के प्रावधान के

आधार पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों में नेतृत्व करने के लिये सामुदायिक कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

समूह सखी– स्वयं सहायता समूह के बचत और बैंक लिंकेज कार्यक्रम के द्वारा साहूकारों के चंगुल से बचने, आय सम्बन्धी गतिविधियों की खोज करने और गरीबों की जरूरतों के आवश्यकतानुसार भुगतान करने तथा उनकी आजीविका में सुधार करने हेतु तैयार किया जाता है। समूह सखी समूह बनाने की पहल करती तथा समूह की प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है जिससे महिलायें अपने भाग्य को चलाने के लिये विकल्प और अनुदान को प्राथमिकता भी देती हैं। सखी आंतरिक उधार के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग आय पैदा करने वाली गतिविधियों और आजीविका बढ़ाने के लिए किया जाता है जिसके अन्तर्गत डेयरी और कृषि शामिल है। उत्तर प्रदेश में कुल समूह सखी– 95700 कार्यरत है।

स्वास्थ्य सखी– स्वास्थ्य सखी समूह की महिलाओं को सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित करने, माँ और बच्चे की सर्वोत्तम जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ समुदाओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें एवं पोषण प्राप्त करने के लिये सशक्त करती हैं। कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता कि स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार, तथा अन्य स्वच्छता कार्यक्रमों को अपनाने में सक्रिय भागीदारी को बढ़त हुई है। प्रदेश में कार्यरत कुल स्वास्थ्य सखी की संख्या 10300 है।

आजीविका सखी –स्वयं समूह की महिलाओं के साथ–साथ पुरूष किसान के साथ मिलकर मिट्टी परीक्षण, 18 दिन की खाद, गेहूँ और चावल के उत्पादन की प्रणालियों, मवेशियों के टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने में संलग्न हैं। निरंतर विकास और प्रगति को सुनिश्चित करना–हमारे समूह नेता समूह के साथ कार्य कर नयी सूचना प्रणाली तथा जानकारी प्रदान करके समूह की विकास और वृद्धि की निरन्तरता को सुनिश्चित करते हैं।

एसएचजी महिलाओं के नवाचार

कई सकारात्मक और प्रेरक पहल के माध्यम से महिलाओं को अवाज उठाने और विकसित होने के नये अवसर प्राप्त हुये हैं उदाहरण– 18 दिन की खाद–द हंस फाउडेशन के द्वारा बर्कले विधि छोटे सीमांत किसानों के लिये शुरू की गयी थी। यह पारंपरिक तरीके जिसमें 45 दिन का समय लगता था, की तुलना में आसानी से उपलब्ध अपशिष्ट पदार्थों से गुणवत्ता वाले खाद्य का उत्पान करता है। प्रशिक्षण के माध्यम से बड़ी संख्या में समूह सदस्यों को खाद्य बनाने में मदद की है।

दृष्टि मानचित्रण (विजन मैपिंग)–दृष्टि मानचित्रण एक ऐसा उपकरण है जो महिलाओं के शिक्षा के स्तर में परवाह किये बिना महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें चित्रों के माध्यम से सूचना प्रदान करने का एक वैकल्पिक तरीके का प्रतिनिधित्व करता है जिससे प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले लोग मुख्य अवधारणाओं को चित्रों के माध्यम से याद रख सके और भविष्य में उनका उपयोग कर सके।

स्थानीय सरकार में नेत्रत्व– स्थानीय सरकार और इनकी चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में उत्तर प्रदेश में हालिया चुनाव लड़ने के लिए उन महिलाओं द्वारा राजनीति मे सक्रिय भागीदारी दिखायी गयी, जिनके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं था। 350 से अधिक महिलाओं ने जीत हासिल की तथा अपने समूह के अन्दर नेतृत्व की भूमिका निभाई। जहाँ महिलाओं को घूँघट के बिना अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त नहीं थी वहाँ वे निर्णय निर्माताओं के रूप में निकल कर सामने आ रही हैं।

युवा महिला पहल–स्वयं सहायता समूह का लाभ उठाते हुए युवा महिला स्वयं सहायता समूह (13 वर्ष से अधिक) में लड़कियों को स्वास्थ्य, जागरूकता और नेतृत्व, जीवन कौशल जैसे गुणों में सुधार के लिये "स्वयं सहायता समूह" मूल्यों और रणनीतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन किया जाता है। युवा महिला स्वयं सहायता समूह स्वस्थ्य और मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने तथा गलत धारणाओं को कम कर एक पीढ़ी का बदलाव लाने वाली प्रतीत होती हैं।

दुनियाँ से जुड़ने वाली महिलाएं– राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना की ताकत स्वयं महिलाओं द्वारा अपने संस्थानो का स्वामित्व और प्रबन्धन में निहित है। थ्री टियर संस्थागत मॉडल के तहत कार्यक्रम की विभिन्न रणनीति बनायी जाती है। थ्री टीयर स्वयं सहायता समूह एक सामान्य क्षेत्र में निवास करने वाली 10–20 महिलाओं का संगठन है, 150 से 250 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयं सहायता समूहों को ग्राम संगठन बनाया जाता है और फिर 5000 से 7000 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम संगठन को ब्लॉक संगठन बनाया जाता है। समुदाय आधारित संस्थाओं की यह पहुँच एसएचजी महिलाओं को सामूहिक कार्यों, आपसी मदद तथा आजीविका के नए कौशल और ज्ञान के लिए ज्ञान का एक मंच बनाता है।

3.3.3 कार्यक्रम और उसका प्रभाव

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजाविका मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दोनो के संयुक्त प्रभाव से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है तथा प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना कर रही है जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है।

तालिका 3.4 उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के संगठित समूहों का विवरण

कुल स्वयं सहायता समूह की संख्या	अनुसूचित जाति से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह	अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह	अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह	समूह से जुड़े कुल परिवारों की संख्या
273817	1078007	48796	191981	2964627

स्त्रोत–https://nrlm.org.in/shgOuterReports.do?methodName=showShgrort

रेखाचित्र 3.1 राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना के का मूल्याकंन

स्त्रोत– https://rgmvp.org/

3.4 जिला स्तर पर क्रियान्वित परियोजनाएं : हरदोई

हरदोई, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिसका मुख्यालय हरदोई नगर है, हरदोई जिला लखनऊ के संभाग में हैं। जिले का क्षेत्रफल 5,100कि0मी0 (2,000 वर्ग मील) है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 4,091380 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 2,191442 तथा महिलाओं की संख्या 1,901,404 है। इस प्रकार आबादी की दृष्टि से हरदोई का 51वॉ (640 जिलों में) स्थान है। जनघनत्व 683 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवासी (1,770वर्गमील) है। जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 868 महिलायें है तथा कुल साक्षरता का प्रतिशत 64.57 है जिसमें पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत 74.39 तथा महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 53.19 है।

पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2006 में हरदोई जिले को भारत के सबसे पिछड़े हुए 250 जिलों (कुल जिले 640) में सम्मिलित किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश के उन 34 जिलों में सम्मिलित किया गया है जिसे सबसे अधिक पिछड़ा हुआ माना

जाता है। जिले की पिछड़े होने के प्रमुख कारण–अशिक्षा, मृत्यु दर का अधिक होना, बेरोजगारी, कुपोषित बच्चे आदि प्रमुख समस्याये हैं। जिले की स्थिति में सुधार लाने हेतु भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के तहत शुरू की गयी विभिन्न योजनाएं कार्यरत हैं। जिले में कार्यरत विभिन्न योजनाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों का मुख्य योगदान है जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। जिले में कुल ब्लॉक की संख्या 19 है जिसमें सभी ब्लॉकों में महिला स्वयं सहायता समूह का संगठित है तथा जिले में कुल महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या 5573 है।

तालिका 3.5 हरदोई एवं स्वयं सहायता समूह

जिले का नाम	कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या	स्वयं सहायता समूह मे सम्मिलित अनूसूचित जाति के सदस्यों की संख्या	स्वयं सहायता समूह मे सम्मिलित अनूसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या	स्वयं सहायता समूह मे सम्मिलित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की संख्या	समूह में सम्मिलित कुल व्यक्तियों की संख्या
हरदोई	5790	36639	85	2886	64191

स्त्रोत–https://nrlm.org.in/shgOuterReports.do?methodName=showShgreport

3.5 बहेन्दर

ब्लॉक में कुल 57 ग्राम पंचायत है। ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह का विकास राजीव गाँधी परियोजना (यूपीएसआरएलएम) एवं भारत सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा संचालित किया जा रहा है। परियोजना के तहत के लिए गए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 54 है।

रेखाचित्र 3.2 स्वयं सहायता समूह के स्तर : बहेन्दर

तालिका 3.6 बहेन्दर ब्लॉक में कार्यरत स्वयं सहायता समूह एवं उसके पदाधिकारियों का विवरण

क्र0सं0	प्रमुख पद	संख्या
1	ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत की संख्या	60
2	परियोजना द्वारा लिये गये कुल ग्राम पंचायत की संख्या	54
3	कुल ग्राम संगठन की संख्या	24
4	कुल स्वयं सहायता समूह की संख्या	572
5	कुल सी0 सी0 एल0 प्राप्त समूहों की संख्या	7
6	कुल आर0 एफ0 प्राप्त समूहों की संख्या	91
7	कुल सी0 वी0 की संख्या	5
8	कुल मीटिंग सखी की संख्या	20
9	कुल स्वास्थ्य सखी	11
10	कुल एफ0 ओ0 की संख्या	1

फील्ड ऑफिसर (एफ0 ओ0)–फील्ड ऑफिसर के पद की नियुक्ति के लिये अलग से रिक्तियाँ निकलती है। एक ब्लॉक में एक फील्ड ऑफिसर होता है। ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में समूह बनवाने, गठित समूह की देखभाल करने के लिये यह आवश्यक कार्यकर्ताओं जैसे सी0आर0डी0आइ0 को समय–समय पर भेजता है तथा उनसे समूह के बारें में जानकारी लेकर डिस्ट्रिक कोर्डिनेटर को देता है।

सी0आर0डी0आइ0– ब्लॉक सखी का चयन समूह की महिलाओं में से फील्ड ऑफिसर तथा एम0आइ0एस0 द्वारा किया जाता है। है। इस पद पर एक ब्लॉक में एक ही महिला का चयन किया जाता है। इसका कार्य दूसरे ब्लॉक में जाकर महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिये प्रेरित करना तथा नये समूह संगठित करना है। हम सीतापुर में सी0आर0डी0आइ0 के पद पर है हमें हरदोई जिले में समूह को संगठित करवाने के लिये बुलाया गया है। हमें सरकार की तरफ से प्रति माह 6000 रू मिलता है।

सी0वी0–प्रत्येक ब्लॉक को 5 जोन में बाँट दिया जाता है प्रत्येक जोन में एक सी0वी0 होता है। इसका चयन भी समूह की महिलाओं में से फील्ड आफिसर तथा एम0आइ0एस0 द्वारा किया जाता है। इसको प्रत्येक माह 3000 रू0 मिलता है। इसका कार्य सी0आर0डी0आइ0 की नये समूह संगठित करने मदद करना है और उसकी जानकारी फील्ड आफिसर तथा एम0आइ0एस0 को देना है।

युवा सखी– एक युवा सखी का चयन 10 ग्राम पंचायत की समूह की महिलाओं से किया गया है। इसका चयन भी फील्ड आफिसर तथा एम0आइ0एस0 द्वारा किया जाता है। इसको प्रत्येक माह 1500 रू0 मिलता है।

मीटिंग सखी–प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मीटिंग सखी होती हैं इसका चयन भी फील्ड आफिसर द्वारा किया जाता है। इसको प्रत्येक माह 1500 रू0 मिलता है। इसका कार्य समूह की नियमित बैठकों की जानकारी लेना तथा बैठक न होने पर उसके कारण को जानना तथा कोई परेशानी होने पर उसका समाधान महिलाओं को प्रदान करना है

स्वास्थ्य सखी—एक स्वास्थ्य सखी का चयन 4 ग्राम पंचायत की समूह की महिलाओं से किया जाता है। इसका चयन भी फील्ड ऑफिसर तथा एम0आइ0एस0 द्वारा किया जाता है। स्वास्थ महिलाओं को स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारी देती है।

3.6 ग्राम संगठन— एक ग्राम पंचायत में 5 स्वयं सहायता समूह के गठित होने पर उसे ग्राम संगठन का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। सभी समूह से दो–दो महिलाओं को ग्राम संगठन की सदस्यता के लिये चयनित किया जाता है जिससे सभी स्वयं सहायता समूहों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

रेखाचित्र 3.3 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्राम संगठन में चयन।

स्त्रोत–https:youtu.be/3WMb6PAUwsw

3.7 निष्कर्ष

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह विभिन्न स्तरों पर कार्यरत है। 1.राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन यूनिट 2. राज्य मिशन प्रबंधन यूनिट 3.जिला मिशन प्रबंधन यूनिट 4.ब्लॉक मिशन प्रबंधन यूनिट। सभी स्तरों के सम्मिलित प्रभाव से ग्रामीण गरीब महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित की जा रही है जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

रेखाचित्र 3.4 स्वयं सहायता समूह के विविध स्तर

स्त्रोत–https://you.be/kWBm6yC-5n4

सन्दर्भ सूची–

शर्मा अर्चना.(2018). महिला सशक्तीकरण का आर्थिक और सामाजिक पहलू",*कुरूक्षेत्र* जनवरी 2018 अंक।

अजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन. (2016–2017). *राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी वार्षिक रिपोर्ट* ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

मिनिस्ट्री ऑफ रूलर डेवलपमेंट गवर्नमेंट .(2017). *नेशनल रूलर लिविलीहुड मिशन डाक्यूमेंट ऑफ इण्डिया* निव दिल्ली।

https://rgmvp.org/

https://nrlm.org.in/shgOuterReports.do?methodName=showShgreport

https://you.be/kWBm6yC-5n4

https:youtu.be/3WMb6PAUwsw

चतुर्थ अध्याय

स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं का विकास : क्षेत्र कार्य पर आधारित

अध्याय 4

स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं का विकास : क्षेत्र कार्य पर आधारित

प्रस्तावना

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के इरादें से लागू किया गया है तथा यह आर्थिक गातिविधि के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गयी है। महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है (डाइवान एम0)। महिलाएं समूह में सूक्ष्म गतिविधि के माध्यम से आय सृजित करती है। तथा स्वास्थ्य–पोषण, कृषि–वानिकी जैसे मुद्‌दों पर कार्य करती है जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है।

प्रस्तुत अध्याय निदर्शन में सम्मलित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से प्राप्त विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण से सम्बन्धित है। जिसके अर्न्तगत समूह की महिलाओं का व्यक्तिगत विवरण, स्वयं सहायता समूह से हो रहे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास को दर्शाया गया है इसके अतिरिक्त समूह से सम्बन्धित विभिन्न पहलू तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा समूह के विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के एवं समूह के विकास में आ रही बाधाओं जैसे तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी को विश्लेषित किया गया है।

4.1 महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्याय निदर्श में शामिल 100 महिलाओं की पारिवारिक, एवं व्यक्तिगत विवरण जैसे आयु, जाति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, मासिक आय, निवास क्षेत्र, घर के प्रकार के आधार पर विश्लेषण से सम्बन्धित हैं।

आयु किसी भी सामाजिक कारक को समझने का सबसे प्रमुख तत्व है। अतः शोध में यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा अथवा किसी विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाएं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण की जा रही है।

तालिका 4.1.1 उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार विवरण

क्र0 सं0	आयु वर्ग (वर्षो में)	संख्या	प्रतिशत
1	20—30	21	21
2	31—40	23	23
3	41—50	26	26
4	51—0	16	16
5	60 अधिक	14	14
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि समूह की 100 महिलाओं में से सर्वाधिक महिलायें 41—50 आयु वर्ग की हैं। जिनका प्रतिशत 26 है। 31 से 40 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत 21 है। तथा 20 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत 21 है। 51 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत 16, तथा 60 से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं सबसे कम 14 प्रतिशत है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लगभग 26 प्रतिशत महिलायें 40 से 50 उम्र की हैं जिनके द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण की गयी।

प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का विवाह 25 वर्ष या उससे कम उम्र में ही कर दिया जाता है। शोध में यह जॉचने का प्रयत्न किया गया है कि समूह में विवाहित महिलाओं ने ही सदस्यता ग्रहण की है या अविवाहित महिलाएं भी समूह की सदस्य है।

तालिका 4.1.2 उत्तरदाताओं का वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवरण

क्र0 सं0	वैवाहिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	10	10
2	विवाहित	86	86
3	विधवायें	4	4
कुल		100	100

तालिका 4.1.2 उत्तरदाताओं का वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवरण सम्बन्धित है जिसमें 86 प्रतिशत महिलाएं विवाहित, 10 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित तथा 4 प्रतिशत महिलायें विधवा हैं।

अतः तालिका के वितरण से स्पष्ट है समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली सर्वाधिक प्रतिशत विवाहित महिलाओं की हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयु वर्ग का शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है अधिक आयु वर्ग की महिलाएं अधिकाशंतः अशिक्षित होती है या उनकी शिक्षा का स्तर अधिकांश कम होता है।

तालिका 4.1.3 शिक्षा के आधार पर महिलाओं का विवरण

क्र0 सं0	कक्षा	संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	39	39
2	1—8	21	21
3	9—12	24	24
4	12 से अधिक	16	16
कुल		100	100

तालिका 4.1.3 शिक्षा के अनुसार महिलाओं के वितरण से सम्बन्धित है। तालिका के वितरण से स्पष्ट है कि कुल 100 महिलाओं में 39 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं। शिक्षिति महिलाओं में 24 प्रतिशत महिलाएं 9—12, 21 प्रतिशत महिलाएं 1—8, तथा 16 प्रतिशत महिलाएं उच्च कक्षा 12 से अधिक की शिक्षा से सम्बन्धित है।

अतः तालिका विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत अशिक्षित हैं। लेकिन फिर भी समूह की महिलाओं को छाटी–छोटी बचत कर समूह निधि में बढावा करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर समूह से ऋण प्राप्त करती है। सदस्य ऋण का उपयोग छोटी–छोटी दुकानों, घरों के आर्थिक कार्यों में योगदान तथा अपने पारम्परिक कौशलों के आधार पर उद्यमिता को विकसित करने में उपयोग करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अधिकांशतः अशिक्षित होती है हाँलाकि विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि समूह की अधिकांश महिलाएं अनपढ़ और गरीब है फिर भी वे विभिन्न प्रकार के कौशल वाले कार्यों जैसे– आचार बनाना, सिलाई बुनाई, पापड़ बनाना आदि कार्यों को भलीभाँति कर लेती हैं।

रेखाचित्र 4.1.1 उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

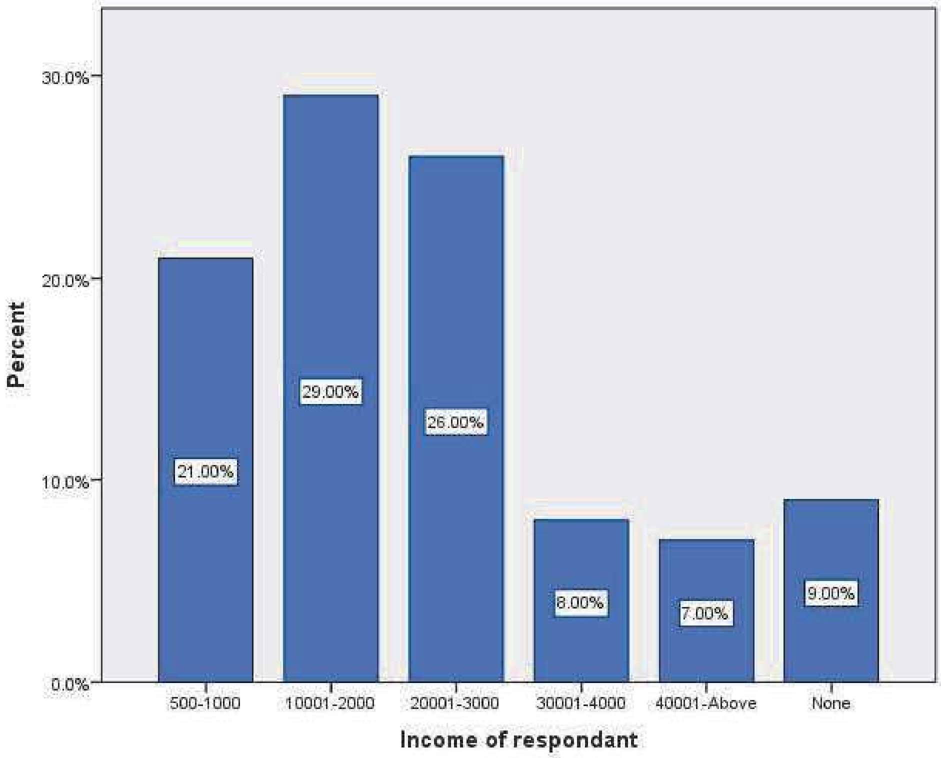

ग्राफ 4.1.1 आय के आधार पर महिलाओं के वितरण से सम्बन्धित है जिसमें सबसे अधिक 29 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा 1001–2000 रूपये प्रति माह अर्जित किया जाता है, 26 प्रतिशत महिलाओं द्वारा 1001–2000 रूपये, 21 प्रतिशत महिलाओं द्वारा 500–1000 रूपये, 8 प्रतिशत महिलाओं द्वारा 3000–4000 रूपये, 7 प्रतिशत महिलाओं द्वारा 4000 रूपये से अधिक प्रति माह अर्जित किया जाता है तथा 9 प्रतिशत महिलायें किसी भी प्रकार के बाहरी कार्य में संलग्न नही थी।

अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समूह की सबसे अधिक प्रतिशत वाली महिलाएं के 1001–2000 रूपये ही प्रति माह अर्जित करती है

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के पास पूँजी का अभाव होता है जिसके सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। शोध में यह देखने का प्रयत्न किया गया कि समूह की महिलाएं क्या केवल ग्रामीण क्षेत्र से ही सम्बन्धित है या शहरी महिलाएं भी समूह की सदस्यता ग्रहण करती है?

तालिका 4.1.4 उत्तरदाताओं का निवास–क्षेत्र के आधार पर विवरण

क्र0सं0	निवास–क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
1	ग्रामीण	66	66
2	कस्बा	34	34
कुल		100	100

तालिका 4.1.4 निवास–क्षेत्र के आधार पर महिलाओं के वितरण से सम्बधित है। तालिका वितरण से स्पष्ट है कि कुल 100 महिलाओं मे से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 66 है। तथा कस्बे में रहने वाली महिलाओं प्रतिशत 34 है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधनों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं ने अधिक स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही यह पाया गया कि पूँजी के अभाव के कारण अधिकांश महिलाएं समूह की सदस्यता ग्रहण करती है।

प्रायः समूह की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित होती है। अतः शोध में यह जाँचने का प्रयत्न किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समूह की महिलाएं किस प्रकार के आवास स्थान से सम्बन्धित है?

तालिका 4.1.5 उत्तरदाताओं का मकान के स्वरूप के आधार पर विवरण

क्र0सं0	मकान का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	54	54
2	मिश्रित	46	46
कुल		100	100

तालिका 4.1.5 उत्तरदाताओं का मकान के स्वरूप के आधार पर विवरण सम्बन्धित है। जिससे स्पष्ट होता है कि कुल 100 महिलाओं मे से 54 प्रतिशत महिलायें कच्चे घरों में निवास करती है तथा मिश्रित घरों में रहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 46 है।

किसी भी समाज की प्रगति को समझने के लिये आवश्यक है कि वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी है तथा वहां की सामाजिक संरचनाओं में कितना लचीलापन है। धर्म समाज की प्रगति को समझने का प्रमुख कारक है।

रेखाचित्र 4.1. 2उत्तरदाताओं का धर्म के अनुसार विवरण

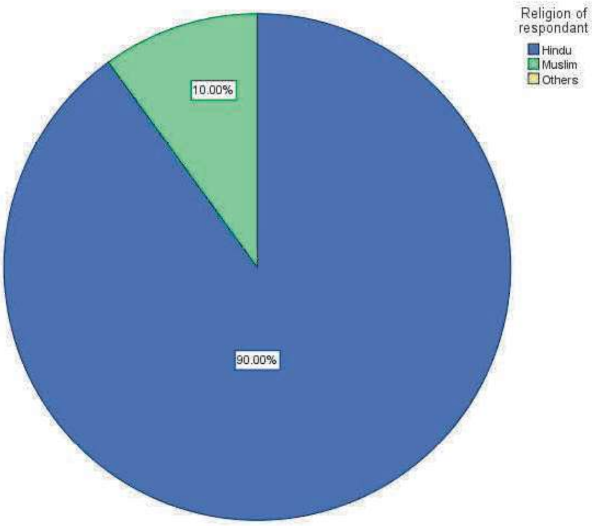

रेखाचित्र 4.1.2 से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म की महिलाओं का प्रतिशत 90 है तथा मुस्लिम धर्म की महिलाओं का प्रतिशत 10 है।

अतः वितरण से स्पष्ट होता है कि समाज मे हिन्दू धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है तथा समूह की सदस्यता भी ग्रहण करने वाली ग्रहण करने वाली महिलाओ की संख्या में अधिक हिन्दू महिलायें ही हैं लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने भी पर्दा प्रथा या रूढिवादिता को त्यागकर घर से बाहर निकल कर समूह की सदस्यता ग्रहण की है।

समाजिक व्यवस्था को समझने के लिये धर्म के साथ–साथ जाति भी प्रमुख कारक है।

रेखाचित्र 4.1.3 जाति श्रेणी के आधार पर महिलाओं का वितरण

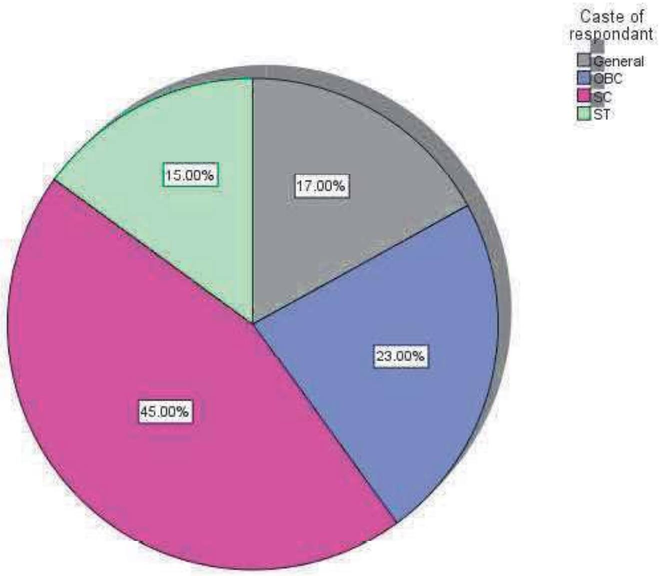

रेखाचित्र 4.1.3 में जाति श्रेणी के अनुसार महिलाओं के वितरण का विश्लेषण किया गया है तालिका से स्पष्ट है कि कुल महिलाओं मे से सबसे अधिक 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं का है अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रतिशत 23, सामान्य वर्ग की संख्या 17 तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत 15 है।

अतः रेखाचित्र 4.1.3 से स्पष्ट है कि ब्लॉक में समूह की सदस्यता अनुसूचित जाति की महिलाओं ने की है।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं का व्यक्तिगत जानकारी का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि समूह की अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित प्रकार के घरों में निवास करती है तथा समूह की अधिकांश महिलाओं का प्रतिशत अशिक्षित है। समूह की सदस्यता अधिकांश अनुसूचित जाति की महिलाओं ने ग्रहण की है।

4.2: समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन

स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है या नही। समूह की सदस्य बनने से महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार सुधार हुआ है

सर्वप्रथम यह देखने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं द्वारा समूह से जुड़ने अथवा समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रमुख कारण क्या है।

रेखाचित्र 4.2.1 समूह की सदस्यता ग्रहण करने के कारणों के आधार पर विवरण

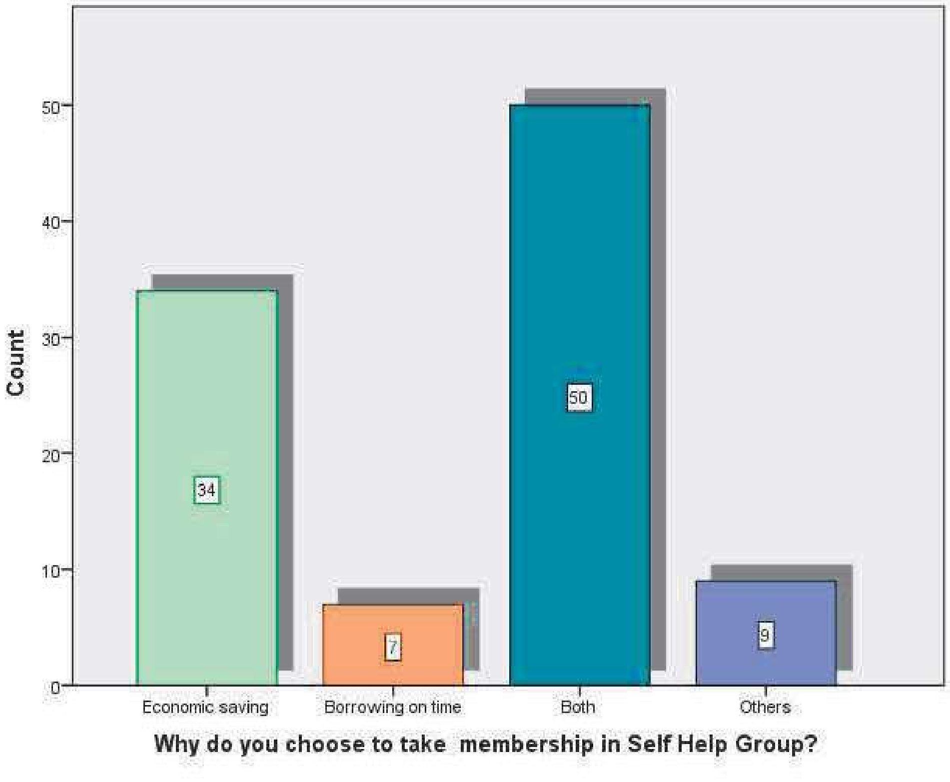

रेखाचित्र से स्पष्ट है कि आर्थिक बचत एवं ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सबसे अधिक 50 प्रतिशत महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण की है। केवल

आर्थिक बचत के उद्देश्य से 34 प्रतिशत महिलाओ ने, समय पर ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से 7 प्रतिशत महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण की है तथा अन्य कारणों से समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 9 है।

अतः वितरण से स्पष्ट है कि महिलाओ द्वारा समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण की जाती है कि उनकी आर्थिक बचत हो सके तथा वें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समय पर ऋण प्राप्त कर सके।

माज में आज भी महिलाएं स्वतंत्रतापूर्वक अपने निर्णय नही ले पाती है शोध में यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व क्या महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया था या नही।

तालिका 4.2.1 समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व परिवार से विमर्श के आधार पर विवरण

क्र0सं0	सदस्यों के साथ विमर्श	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	89	89
2	नहीं	11	11
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व 89 प्रतिशत महिलाओं परिवार के सदस्यो के साथ विमर्श किया था तथा 11 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के सदस्यो के साथ विमर्श नही किया था।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व परिवार के सदस्यो के साथ विमर्श किया था। समूह की अधिकांश महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया था। जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने आपसी सहमति से ही समूह की सदस्यता ग्रहण की है।

शोध में यह जॉंचने का प्रयत्न किया गया है कि अगर महिलाएं आपसी सहमति से समूह की सदसयता ग्रहण करती है क्या तब महिलाओं के घर के सदस्य समूह के कार्य में उन्हें सहयोग प्रदान करते है।

तालिका 4.2.2 समूह के कार्य में महिलाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाला सहयोग के आधार पर विवरण

क्र0सं0	सदस्यों द्वारा सहयोग	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	11	11
2	अधिकांशतः	28	28
3	कभी–कभी	47	47
4	कभी नही	14	14
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है 47 प्रतिशत महिलाओं को समूह के कार्यो को करने के लिये परिवार के सदस्यो द्वारा कभी–कभी सहयोग प्रदान किया जाता हैं, 28 प्रतिशत महिलाओं को समूह के कार्यो को करने के लिये परिवार के सदस्यो द्वारा अधिकांशतः सहयोग प्रदान किया जाता हैं, 11 प्रतिशत महिलाओं को समूह के कार्यो को करने के लिए परिवार के सदस्यो द्वारा हमेशा सहयोग प्रदान किया जाता हैं तथा 14 प्रतिशत महिलाओं को समूह के कार्यो को करने के लिये परिवार के सदस्यो द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नही किया जाता हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं को समूह के कार्यो को करने के लिये परिवार के सदस्यो द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता हैं।

महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य कारण रोजगार प्राप्त करना है। इसके बाद यह जॉंचने का प्रयत्न किया गया है कि समूह की महिलाएं समूह के कार्यो के अलावा अन्य क्या कार्य करती है।

तालिका 4.2.3 समूह के कार्य के अलावा अन्य कार्य के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	समूह के कार्यो के अलावा अन्य कार्यो	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	27	27
2	पशुपालन	16	16
3	उपर्युक्त दोनो	33	33
4	अन्य	15	15
5	कुछ नही	09	09
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 33 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कृषि एवं पशुपालन दोनो कार्य किये जाते है, 27 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कृषि, 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा पशुपालन, 15 प्रतिशत महिलाओं द्वारा तथा 09 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कोई बाहरी कार्य नही किया जाता है।

आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा कृषि एवं पशुपालन दोनो कार्य किये जाते है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि समूह की महिलाएं कृषि एवं पशुपालन के कार्य करती है। इसके बाद यह देखने का प्रयत्न किया गया कि महिलाएं समूह से जुडें अन्य कौन—कौन से कार्य करती है।

तालिका 4.2.4 महिलाओं को समूह से सम्बन्धित प्राप्त अन्य पदो ंके आधार पर विवरण

क्र0सं0	पद	संख्या	प्रतिशत
1	केवल ग्राम संगठन की सदस्य	8	8
2	केवल कमेटी की सदस्य	37	37
3	ग्राम संगठन और कमेटी की सदस्य	12	12
4	केवल समूह सखी	02	02
5	कमेटी सदस्य, ग्राम संगठन और समूह सखी	03	03
6	केवल समूह की सदस्य	38	38
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पस्ट है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सबसे अधिक 37 प्रतिशत महिलाएं कमेटी की सदस्य, 12 प्रतिशत महिलायें कमेटी और ग्राम संगठन की सदस्य, 8 प्रतिशत महिलाएं केवल ग्राम संगठन की सदस्य, 3 प्रतिशत महिलाएं ग्राम संगठन, कमेटी सदस्य और समूह सखी तथा केवल समूह सखी पद पर हैं। केवल 38 प्रतिशत महिलाएं समूह की सदस्य है।

अतः वितरण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक महिलाएं कमेटी की सदस्य है।

चित्र. 1 समूह से सम्बन्धित जानकारी लेती हुई ब्लॉक सखी

चित्र. 2 प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

स्वयं यहायता से सम्बन्धित विभिन्न पदों का विवरण

सी0आर0डी0आइ0—ब्लॉक सखी का चयन समूह की महिलाओं में से फील्ड ऑफिसर तथा एम0आइ0एस0 द्वारा किया जाता है। इसको सरकार की तरफ से प्रति माह 6000 रू मिलता है। इस पद पर एक ब्लॉक में एक ही महिला का चयन किया जाता है।

इसका कार्य दूसरे ब्लॉक में जाकर महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिये प्रेरित करना तथा नये समूह संगठित करना है।

सी0वी0–प्रत्येक ब्लॉक को 5 जोन में बाँट दिया जाता है प्रत्येक जोन में एक सी0वी0 होता है। इसका चयन भी समूह की महिलाओं में से फील्ड ऑफिसर द्वारा किया जाता है। इसको प्रत्येक माह 3000 रू0 मिलता है। इसका कार्य सी0आर0डी0आइ0 की नये समूह संगठित करने मदद करना है और उसकी जानकारी फील्ड ऑफिसर देना है।

युवा सखी– एक युवा सखी का चयन 10 ग्राम पंचायत की समूह की महिलाओं से किया गया है। इसका चयन भी फील्ड आफिसर द्वारा किया जाता है। इसको प्रत्येक माह 1500 रू0 मिलता है। इसका कार्य युवा बालिकाओ के समूह बनवाना उन्हे समूह विभिन्न जानकारी देना है तथा युवा सखी के बालिकाओं को स्वास्थ्य से जुडी आवश्यक जानकारी भी प्रदान कराती है।

स्वास्थ्य सखी–एक स्वास्थ्य सखी का चयन 4 ग्राम पंचायत की समूह की महिलाओं से किया गया है। इसका चयन भी फील्ड ऑफिसर द्वारा किया जाता है। तथा इसका कार्य समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य से जुडी जानकारी –जैसे गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारें में बताना तथा बच्चों के लिये टीकाकरण की जानकारी प्रदान करना प्रमुख है। समूह का महिलाओं को आँगनबाडी, आशा आदि से भी जोड़ने का कार्य स्वास्थ्य सखी द्वारा किया जाता है।

मीटिंग सखी–प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मीटिंग सखी होती हैं। इसका चयन भी द्वारा किया जाता है। इसको प्रत्येक माह 1500 रू0 मिलता है। इसका कार्य समूह की नियमित बैठकों की जानकारी लेना तथा बैठक न होने पर उसके कारण को जानना तथा कोई परेशानी होने पर उसका समाधान महिलाओं को प्रदान करना है।

ग्राम संगठन–एक ग्राम पंचायत में 5 समूह के गठित होने पर उसे ग्राम संगठन का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। प्रत्येक ग्राम संगठन मे से समूह की 5–5 महिलाओं

का चयन कर– गरीब कमेटी, शिक्षा कमेटी,बैंक कमेटी, सामाजिक संगठन कमेटी बनती है। प्रत्येक कमेटी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक पदाधिकारी, एक सचिव तथा एक उपसचिव होता है। कमेटी के नाम के अनुरूप ही कार्य होते है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त समूह की महिलाओं को समूह से सम्बन्धित विभिन्न पद प्राप्त होते है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा वे विविध प्रकार की जानकारी से अवगत होती है। इसके उपरान्त यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि क्या समूह से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होता है?

तालिका 4.2.5 समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे सुधार के आधार पर विवरण

क्र0सं0	आर्थिक स्थिति मे सुधार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	22	22
2	अधिकांशतः	42	42
3	कभी–कभी	30	30
4	नही	06	06
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 42 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक स्थिति मे अधिकाशतः सुधार हुआ है, 30 प्रतिशत महिलाओं की परिवारिक स्थिति मे कुछ सुधार हुआ, 22 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक स्थिति मे पुर्णतः सुधार हुआ तथा केवल 06 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक स्थिति मे किसी भी प्रकार का कोई परिर्वतन नही हुआ है।

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अधिकांश महिलाओं पारिवारिक स्थिति मे साकारात्मक परिर्वतन हुआ है।

चूँकि समूह की सदस्यता प्राप्त करने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अतः इसके बाद शोध में यह जानने का प्रयत्न किया गया कि महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व क्या वे घर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय ले पाती थी या नही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के कार्य मुख्यतः घर के मुखिया या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों द्वारा किये जाते है।

तालिका 4.2.6 उत्तरदाताओं के समूह से जुड़ने से पूर्व परिवार में घर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के आधार पर विवरण

क्र0सं0	कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय	संख्या	प्रतिशत
1	पति	35	35
2	ससुर	13	13
3	अन्य बडे सदस्य	37	37
4	आपसी सहमति	11	11
5	स्वयं	04	04
कुल		100	100

तालिका के वितरण से स्पष्ट होता है 37 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में महत्वपूर्ण कार्यो (बच्चों की शिक्षा, कृषि तथा अन्य कार्य) के सम्बन्ध में निर्णय अन्य बड़े सदस्य से लिये जाते है, 35 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय उनके पति द्वारा, 13 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय उनके ससुर द्वारा लिये जाते है, 11 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में आपसी सहमति द्वारा तथा 4 प्रतिशत महिलायें स्वयं निर्णय लेती थी।

उपरोक्त आकडों से स्पष्ट है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व अधिकांश महिलाओं के परिवारों में महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बन्धित में निर्णय उनके परिवार के अन्य बड़े सदस्यों द्वारा लिये जाते थे।

इस प्रकार यहॉ पर यह जाँचने का प्रयत्न किया गया कि समूह से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन से महिलाओं की घर से सम्बन्धित कार्यो के निर्णय लेने में भागीदारी में बढ़ी है या नही?

तालिका 4.2.7 उत्तरदाताओं के समूह से जुड़ने के उपरान्त परिवार में घर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के आधार पर विवरण

क्र0सं0	कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय	संख्या	प्रतिशत
1	पति	2	2
2	ससुर	7	7
3	अन्य बडे सदस्य	21	21
4	आपसी सहमति	42	42
5	स्वयं	28	28
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 42 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में महत्वपूर्ण कार्यो (बच्चों की शिक्षा,कृषि तथा अन्य कार्य) के सम्बन्ध में निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते है, 28 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय स्वयं द्वारा लिए जाते है, 21 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में अन्य बड़े सदस्यों द्वारा, 7 प्रतिशत महिलाओं के परिवार में ससुर द्वारा तथा 3 प्रतिशत महिलायें पति निर्णय लेती है।

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं के परिवार में आपसी सहमति से महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते है।

चूँकि समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की पारिवार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यों में निणर्य लेने भागीदारी बढ़ी है। अतः यह देखने का प्रयत्न किया गया कि क्या महिलाओं द्वारा लिये गये निर्णय को परिवार के सदस्यों द्वारा महत्व दिया जाता है या नही?

तालिका 4.2.8 महिलाओं द्वारा परिवार में लिये गये निर्णय को महत्व दिये जाने के आधार पर विवरण

क्र0सं0	परिवार में लिये गये निर्णय को महत्व	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	17	17
2	अधिकाशतः	47	47
3	कभी–कभी	34	34
4	कभी नही	02	02
कुल		100	100

तालिका के वितरण से स्पष्ट होता है कि 47 प्रतिशत महिलाओं द्वारा परिवार मे लिए गए निर्णय को अधिकांशतः महत्व दिया जाता है, 34 प्रतिशत महिलाओं द्वारा परिवार मे लिए गए निर्णय को कभी–कभी महत्व दिया जाता है, प्रतिशत 17 प्रतिशत महिलाओं द्वारा परिवार मे लिए गए निर्णय को हमेशा महत्व दिया जाता है तथा 02 प्रतिशत महिलाओं द्वारा परिवार मे लिए गए निर्णय को कभी नही महत्व दिया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकत्तर महिलाओं द्वारा परिवार मे लिए गए निर्णय को अधिकांशतः महत्व दिया जाता हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त महिलाओं की घर से सम्बन्धित कार्यो को करने में उनकी भागीदारी बढ़ी है तथा उनके द्वारा लिए गए निर्णय को परिवार के सदस्यों द्वारा महत्व दिया जाता है। इसके उपरान्त यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि उपरोक्त कारण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में सुधार से सम्बन्धित है या नही?

तालिका 4.2.9 समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पारिवारिक स्थिति में सुधार के आधार पर विवरण

क्र0सं0	पारिवारिक स्थिति में सुधार	संख्या	प्रतिशत
1	पूर्णतः	23	23
2	अधिकाशतः	36	36
3	कुछ	32	32
4	नही	06	06
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 36 प्रतिशत महिलाओं पारिवारिक स्थिति मे अधिकाशतः सुधार हुआ है, 32 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक स्थिति मे कुछ सुधार हुआ, 23 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक स्थिति मे पुर्णतः सुधार हुआ तथा 06 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक स्थिति मे किसी भी प्रकार का कोई परिर्वतन नही हुआ है।

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अधिकांश महिलाओं पारिवारिक स्थिति मे साकारात्मक परिर्वतन हुआ।

चूँकि महिलाओं की समूह से जुडने के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। अतः क्या महिलाएं पारिवारिक स्थिति में सकारात्मक परिर्वतन के साथ– साथ महिलाएं समूह से सम्बन्धित कार्यों को कर पा रही है?

तालिका 4.2.10 ब्लॉक स्तर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के समर्थता के आधार पर विवरण

क्र0सं0	ब्लॉक स्तर पर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के समर्थता	संख्या	प्रतिशत
1	सदैव	28	28
2	अधिकांशतः	34	34
3	थोड़ा बहुत	32	32
4	नही	06	06
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 34 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ब्लॉक स्तर पर चयनित होने पर अधिकांश उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाती है, 32 प्रतिशत महिलाएं थोड़ा बहुत 19 प्रतिशत महिलाएं अधिकाशतः तथा 28 प्रतिशत महिलाएं सदैव तथा ब्लाक स्तर पर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाती है तथा 06 प्रतिशत महिलाएं सदैव तथा ब्लॉक स्तर पर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने के में स्वयं को सक्षम नही पाती है।

आकडों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ज्यादातर महिलाएं ब्लॉक स्तर पर चयनित होने पर वे उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाती है।

महिलाओं द्वारा समूह से जुड़े विभिन्न कार्यो का परीक्षण करने के बाद यह देखने का प्रयास किया गया है कि क्या समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी या नही।

तालिका 4.2.11समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लेने के आधार पर विवरण ।

क्र0सं0	मतदान से सम्बन्धित निर्णय	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	10	10
2	अधिकाशतः	33	33
3	कभी—कभी	37	37
4	कभी नही	12	12
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि समूह की 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ंकभी—कभी स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लिए जाते थे, 33 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ंअधिकांशतः, 10 तथा प्रतिशत महिलाएं स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय ले पाती थी तथा 12 प्रतिशत महिलाएं स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय नही ले पाती थी

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा ंहमेशा स्वतंत्र रूप से मतदान से जुडे निर्णय नही ले पाती थी।

महिलाओं की उनके अधिकरों के प्रति जागरूकता राजनैतिक कार्यो को करने में मददगार है या नही।

ं तालिका 4.2.12 समूह की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त मतदान से सम्बन्धित निर्णय लेने के आधार पर विवरण ।

क्र0सं0	मतदान से सम्बन्धित निर्णय	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	32	32
2	अधिकाशतः	37	37
3	कभी—कभी	24	24
4	कभी नही	04	04
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि समूह की 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ंअधिकांशतः स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लिये जाते है, 32 प्रतिशत महिलाओं द्वारा हमेशा ं, 27 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कभी–कभी तथा 04 प्रतिशत महिलायें स्वतंत्र रूप से ं मतदान से सम्बन्धित निर्णय नही ले पाती है।

उपरोक्त आकडों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा ंहमेशा स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लिये जाते है। **श**रीरामुलू एण्ड हुसैन खान (2008) ने अपने शोध में पाया है कि समूह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के इरादे से लागू किया गया है यह आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और उपकी आय में वृद्धि जारी रखता है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करती है, विशेष रूप से भारत में यह भावना है कि केवल उच्च्य सामाजिक स्थिति वाले लोग ही विभिन्न चुनाव जैसे संसद और विधान सभाओं के चुनाव लडने में सक्षम है। यह भी एक सत्य है कि गॉव का प्रभुत्वशाली व्यक्ति ग्राम प्रमुख बन जाता है। लेखक ने समूह के सदस्यों का साक्षात्कार लिया और उनकी राजनीतिक सक्रियता, समूह से जुडने के बाद मताधिकार से जुडे निर्णय लेने वृद्धि के बारें में जानकारी ली गयी। शीरीन (1999) ने भी अपने शोध में कार्यशील स्व सहायता समूहों के 82.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं की नीतिनिर्माण में भागीदारी, योजना निर्माण में प्रभाव तथा स्व सहायता समूह के कार्यक्रमों में संचालन एवं मूल्यांकन के रूप में वर्णन किया है।

समूह की महिलाओं का समूह से जुड़ने से पूर्व तथा समूह से जुडने के उपरान्त उनकी राजनैतिक कार्यो को करने मे हो रही भूमिका परिवर्तन होती है।

तालिका 4.2.13 ग्राम पंचायत की सदस्यता होने पर उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने के आधार पर विवरण

क्र0सं0	ग्राम पंचायत की सदस्यता होने पर जिम्मेदारी	संख्या	प्रतिशत
1	सदैव	25	25
2	अधिकांशतः	35	35
3	थोड़ा बहुत	26	26
4	नही	14	14
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 35 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ग्राम पंचायत की सदस्यता प्राप्त होने पर अधिकांशतः उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के में स्वयं को सक्षम पाती है, 26 प्रतिशत महिलाएं थोडा बहुत, 25 प्रतिशत महिलाएं सदैव तथा 14 प्रतिशत महिलाएं ग्राम पंचायत की सदस्यता प्राप्त होने पर उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में स्वयं को सक्षम नही पाती है।

आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ज्यादातर महिलाओं को ग्राम पंचायत की सदस्यता प्राप्त होने पर वे उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाती है।

चूँकि समूह की महिलाओं को समूह से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करती है। इसके बाद यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि क्या समूह के कार्यो को करते समय महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है।

तालिका 4.2.14 समूह में या समूह से बाहर जातिगत समस्याओं के आधार पर विवरण

क्र0सं0	जातिगत भेदभाव से सम्बन्धित समस्यायें	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	17	17
2	अधिकांशतः	37	37
3	कभी—कभी	30	30
4	नही	16	16
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा अधिकांशतः समूह में या समूह के बाहर जातिगत भेदभाव से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पडता है, 30 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कभी—कभी, 17 प्रतिशत महिलाओं द्वारा हमेशा तथा 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा समूह में या समूह के बाहर जातिगत भेदभाव से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पडता है। रविचन्द्रन एवं परमल (2002) के अनुसार, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महिला सशक्तीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान में महिला एवं पुरूषों के समान कार्य के आधार पर समान वेतन की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है तथा वे आर्थिक रूप से पिछड़ी होती है जिसका मुख्य कारण साक्षरता का अभाव, जातिगत भेदभाव आदि है। जो आर्थिक विकास को बाधित करते है। सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। स्वयं सहायता समूह उनमें से एक है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को विकास के लिए प्रेरित करना विशेषकर आर्थिक सशक्तीकरण को लाना है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि समूह की महिलाओं को जातिगत समस्याओं का सामना करना पडता है। इसी आधार पर यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि समूह की महिलाओं को जातिगत भेदभाव के अलावा अन्य समस्याओं जैसे लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

तालिका 4.2.15 समूह के कार्य के दौरान लैंगिक भेदभाव के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	कार्य के दौरान लैंगिक भेदभाव	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	11	11
2	अधिकांशतः	24	24
3	कभी–कभी	49	49
4	नही	16	16
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 49 प्रतिशत महिलाएं यह मानती है कि समूह के कार्य करते समय उन्हे लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, 24 प्रतिशत महिलाओं द्वारा कभी–कभी, 11 प्रतिशत महिलाओं द्वारा तथा 16 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा, समूह के कार्य करते समय लैंगिक भेदभाव कभी नही का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं को समूह से जुडी समस्याओं के क्रम में महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना पड़ता है इसको जानने के साथ–साथ यह भी समझना आवश्यक है कि किस स्तर पर लैंगिक भेदभाव अधिक होता है।

रेखाचित्र 4.2.2 समूह के कार्य के दौरान लैंगिक भेदभाव के स्तरों के आधार पर विवरण।

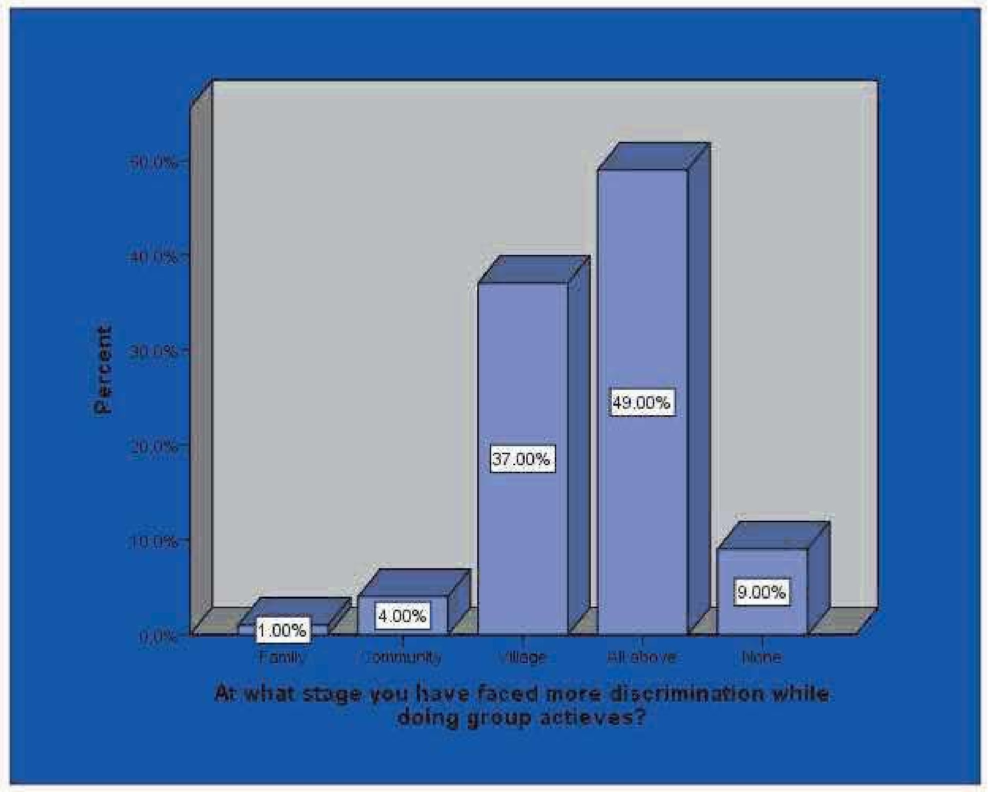

उपरोक्त रेखाचित्र के वितरण से स्पष्ट होता है कि 49 प्रतिशत महिलाएं यह मानती है कि समूह के कार्य करते समय उन्हें सभी स्तरों (परिवार, समुदाय तथा ग्राम) पर लैगिक भेदभाव का सामना करना पडता है, 37 प्रतिशत महिलाओं को ग्राम स्तर पर, 4 प्रतिशत महिलाओं को समुदाय स्तर पर, 1 प्रतिशत महिलाओं को परिवार स्तर पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता है तथा 9 प्रतिशत महिलाओं को कही पर भी लैंगिक भेदभाव का सामना नही करना पडता है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समूह की सर्वाधिक महिलाओं को समूह के कार्य करते समय उन्हे सभी स्तरों (परिवार, समुदाय तथा ग्राम) पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता है।

समूह की महिलाएं समूह से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यो को करती है जिसके दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद यह देखने का प्रयत्न किया गया कि क्या उन्हें समूह के कार्य एवं पारिवारिक कार्यो को करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है।

तालिका 4.2.16 पारिवारिक कार्य एवं समूह के कार्य के सामंजस्य में कठिनाई के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	पा0 एवं स0 कार्यो मे सामंजस्य करने में कठिनाई	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	23	23
2	अधिकांशतः	33	33
3	थोडा बहुत	30	30
4	नही	14	14
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 33 प्रतिशत महिलाओं को पारिवारिक कार्य एवं समूह के कार्य करते समय दोनो के कार्यो में सामंजस्य स्थापित करने मे अधिकांश समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, 30 प्रतिशत महिलाओं को थोडा बहुत, 23 प्रतिशत महिलाओं पूर्णतः तथा 14 प्रतिशत महिलाओं को पारिवारिक कार्य एवं समूह के कार्य करते समय दोनो के कार्यो में सामंजस्य स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नही करना पडता है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं को पारिवारिक कार्य एवं समूह के कार्य करते समय दोनो के कार्यो में सामंजस्य स्थापित करने मे अधिकांश समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

समूह से जुड़ने के बाद महिलायें विभिन्न प्रकार के कार्यो को सामूहिक रूप में करती है तथा वे विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत होती है। समूह महिलाओं के विकास में योगदान दे रहा है।

तालिका 4.2.17 स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के विकास मे दिये जा रहे योगदान आधार पर विवरण

क्र0स0	समूह का महिलाओं के विकास मे योगदान	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	37	37
2	अधिकांशतः	24	24
3	थोडा बहुत	32	32
4	नही	7	7
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 37 प्रतिशत महिलाएं यह मानती है कि स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के विकास में पूर्णतः योगदान दे रहा है, 32 प्रतिशत महिलाएं यह मानती है कि स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के विकास में थोडा बहुत योगदान दे रहा है, 24 प्रतिशत महिलाएं यह मानती है कि स्वयं सहायता समूह का महिलाओं के विकास में अधिकांशतः योगदान दे रहा है तथा 7 प्रतिशत महिलाओ का यह मानना है कि समूह के द्वारा महिलाओं का किसी भी प्रकार विकास नही हो रहा है।

स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के विकास को स्वास्थ्य की जागरूकता के सन्दर्भ में जानने हेतु स्वास्थ्य सखी से पूछें जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि, स्वास्थ सखी बताती है कि, *ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नवजात शिशु को मॉ का दूध नही पिलाने देती महिलाएं कहती है कि पहला दूध धरती माता को दिया जाता है जब तक शोवर नही उठ जाती जब तक हम दूध नही पिलाते है ये सब गॉव में अभी भी*

भ्रान्तियॉ चल रही है, हम बहनों को बतातें है कि माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चें के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है इससे बच्चें की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढती है। "पानी शहद घुट्टी सबकी करों छुट्टी" दीवार पर लिखा हुआ नारा। नवजात की नाल पर भी कन्ही तेल लगाया जाता है, कन्ही राख या कुछ भी पाउडर लगा देती है तब हम लोग बहनों को बताते है कि ये सब करने से संक्रमण एवं बीमारिया फैलती है।

एक दूसरी स्वास्थ्य सखी से पूछें जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि *हमारे यहां पुरवा स्तर पर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। उस मेले में स्वास्थ्य की सारी साम्रग्री रखकर महिलाओं को स्वास्थ्य के बारें में नवजात बच्चों को कैसे कवर करते है, स्वच्छता के बारें में बताया गया। यदि संक्रमण से बचाना है तो नवजात की नाल पर कुछ नही लगाना हैं। टीकाकरण की जानकारी, शहद घुट्टी को दूर ले जाओं नवजात का ताजा दूध पिलाओं हम लोग, जो गर्भवती महिलायें है या जो नवजात शिशुओं की मॉ है हम लोग उनके घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य के संदेश देते है जैसे गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारें में बताते है तथा उन्हे यह बतातें हैं कि बच्चें के जन्म के एक घण्टे के अन्दर ही मॉ का दूध पिलाना है। नवजात बच्चों को टीकाकरण कराने ले जाते है तथा गर्भवती महिला की गोदभराई की जाती उसमें हम उन्हें खान–पान के बारें में बतातें है। केएमसी के बारें मे भी महिलाओ को बताते है कि बच्चों को कैसे केएमसी देना चाहिये। हम समूह की महिलाओं को आँगनबाडी, आशा आदि से भी जोड़तें है।* एम0 डाइवान (2008) तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूह महिला विकास परियोजना जिसे महीलियरथिट्टम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूह को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गयी है महिलाओं का समस्त सशक्तीकरण उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर निर्भर है। इसलिये इन समूहों के माध्यम से महिलायें स्वास्थ, पोषण, कृषि वानिकी, जैसे मुद्दे पर कार्य करती है। इसके अलावा सूक्ष्म गतिविधि के माध्यम से आय सृजित करती है।

चित्र .3 मानचित्रण करती हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

चित्र. 4 समूह चर्चा करती हुई युवा सखियां

चित्रः 5 जैविक खाद बनाती हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

महिलाओं के विकास को स्वच्छता, स्वास्थ्य की जागरूकता एवं अन्य जानकारी के सन्दर्भ में जानने हेतु **युवा सखी** से पूछें जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि, *प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी गयी एवं माहवारी के विषय में बताया गया था। गाँव की लडकियों को माहवारी के विषय में ज्यादा जानकारी नही होती है क्योंकि उन्हें इस विषय में ज्यादा जानकारी नही दी जाती है जिसकी वजह से गाँव की युवतियों एवं महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पडता है गाँव में लडकियों को आचार नही खाने देते, चाय नही पीने देते, रसोई घर में प्रवेश नही करने देते तथा उन्हें मन्दिरों में नही जाने दिया जाता है और उन्हें घर के किसी धार्मिक कार्यो में भी सम्मिलित होने की अनुमति नही होती है। हम बहने अपनी किशोरी बहनों को बताते है कि माहवारी कोई शर्मिन्दगी वाली बात नही है बल्कि उन्हें खुश होना चाहिये कि ये भगवान की देन है कि हम माँ बन सकते है। और तो और हम बाहर भी जाकर किशोरियों को बताना चाहते है कि माहवारी में कपडें की जगह सेनेटरी नैपकिन का प्रयोग करना चाहिये, दू और खाने में दूध, हरी सब्जियां और पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करना चाहिये।* इसका कार्य युवा बालिकाओ के समूह बनवाना उन्हे समूह विभिन्न जानकारी देना है तथा युवा सखी के बालिकाओं को स्वास्थ्य से जुडी आवश्यक जानकारी भी प्रदान कराती है।

महिलाओं के विकास को समूह से सम्बन्धित जानकारी तथा सरकार की स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के बारें में **मीटिंग सखी** से पूछें जाने पर उसके द्वार बताया गया कि हमें फील्ड ऑफिसर एवं डिस्ट्रिक ऑफिसर द्वारा स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है और हम समूह की सभी महिलाओं को जानकारी देते है तथा समूह से सम्बन्धित कार्यो में महिलाओं की सहायता करते है।

महिलाओं के विकास को आजीविका के सन्दर्भ में जानने हेतु **आजीविका सखी** से पूछें जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि, *"पहिले हमका कौनो जानकारी रहिबे न भे, पहिले गरीबियों ज्यादा रही कमाई तो ज्यादा होत ना रही और ना ही हम बीज, खाद के बारें में जानत रहे। बहिनी का है कि आदमी लोग खेत पर जात रहिते*

थे और वही सब काम कर लेते थे और हम लोग वही निराना गोडना जानते थे और खेत कटने के समय फसल कटवाने पँहुच जाते थे।" रोते हुए आजीविका सखी बताती है। समूह में प्रशिक्षण के माध्यम से हम विभिन्न फसलों की विभिन्न किसमों से अवगत हो गये है, वहां हमे वर्मी खाद शिवांश खाद बनाने का भी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया जिससे हमारी फसलों की उपज 15 से 40 प्रतिशत बढ़ी है, खाद के प्रयोग से खेतों में 50 प्रतिशत से कम पानी लगता। फसलों को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है जिससे कम रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत पडती है और साथ– साथ हमारी जमीन ज्यादा उपजाऊ बनती है जिससे न सिर्फ हम बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियॉ भी खेती करके जीवन यापन कर सकती है। हमें किचन गार्डेन के बारें में बताया गया और अब समूह की अधिकांश बहने किचन गार्डेन का प्रयोग कर अपनी दिनचर्या की जरूरतों के लिए तो सब्जी का उत्पादन तो कर ही लेती है बल्कि उसकों बाजारों में बिक्री के लिये भी भेज देती है जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। फर्जेन सेख खतिबी एण्ड मिश इन्दिरा (2011) में शोध बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के सहस्रब्दि विकास लक्ष्यों मे लैंगिक समानता बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चत करने का लक्ष्य शामिल है द रियों डिक्लेरेशन 1992 में कहा गया है कि पर्यावरण प्रबन्धन और विकास में महिलायों की भूमिका है और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उनकी पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। तथा मायराडा सहस्रब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें प्रमुख लक्ष्य है– जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का सशक्तीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।

महिलाओं के विकास को राजनीति की जागरूकता के सन्दर्भ में जानने हेतु **ग्राम संगठन** की महिलाओं से पूछें जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि, *एक हाथ से हम क्या कर सकते है जब दो हाथ दो से चार, चार से आठ, आठ से दस। जिस काम को एक हाथ नही कर सकता था उसको दस लोग मिल कर आसानी से कर लेते है। जैसे घर बनवाते है तो पहले नीव बनाते है और उसके बाद दीवार उसी प्रकार समूह नीव है और ग्राम संगठन घर। प्रत्येक समूह से दो–दो महिलाओं का चयन कर ग्राम संगठन बनता है। जब हम लोग ग्राम संगठन के सदस्य नही थे तब ग्राम के सभी*

समूह बिखरी अवस्था में थे ग्राम प्रधान समूह की बात को जल्दी नही सुनते थे। अब हम लोगो के पास समूहों का संगठन है, अब ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र हमारी बात को जल्दी सुन लेते है क्याकि संगठन में शक्ति होती है। जब कोई सूचना प्रधान तक आती है और हम लोगो तक नही आती तब हम लोग(ग्राम संगठन की बहने) मिलकर प्रधान के पास जाते है और उसे बोलते है कि ये योजना हम लोगो को भी चाहिए।

चित्र. 6 स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारी देती हुई स्वास्थ्य सखी

चित्र. 7 प्रशिक्षण पदान करती हुई मीटिंग सखी

आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं का यह मानना है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास में पूर्णतः योगदान दे रहा है।

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास में योगदान दे रहा है इसके बाद यह देखने का प्रयास किया गया है कि समूह से महिलाओं का मुख्यतः किस प्रकार के विकास हा रहा है।

रेखाचित्र 4.2.3 समूह द्वारा हो रहे महिलाओं के विकास के आधार पर विवरण।

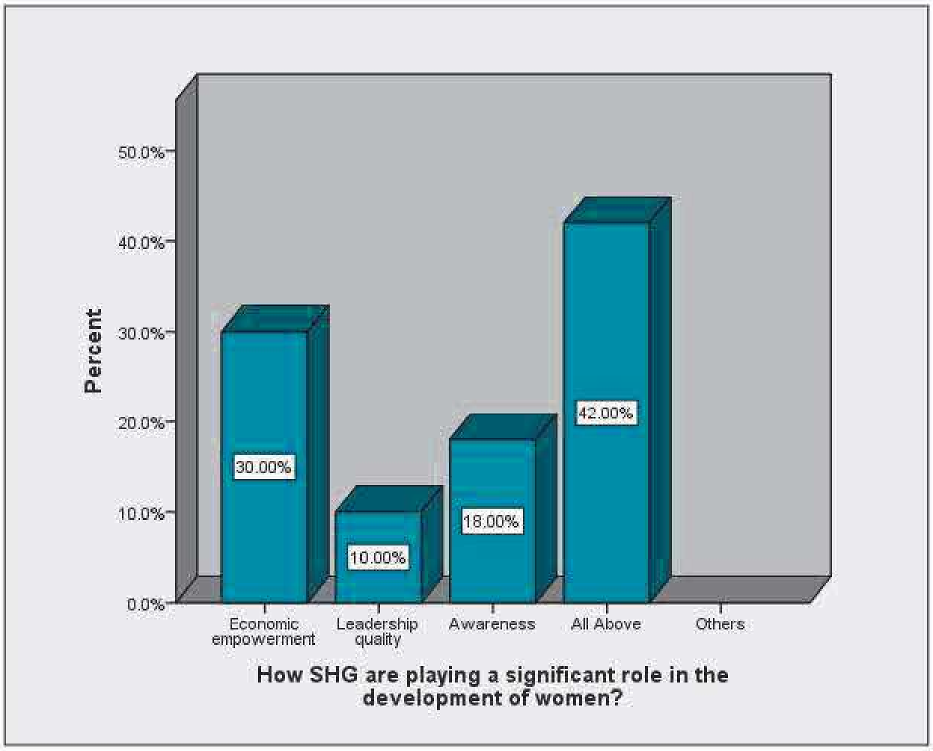

उपरोक्त ग्राफ के वितरण से स्पष्ट होता है कि 42 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं में आर्थिक सशक्तीकरण, जागरूकता तथा नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती हैं, 30 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक सशक्तीकरण, 18 प्रतिशत महिलायें जागरूकता तथा 10 प्रतिशत महिलाएंयह मानती है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती हैं।

आंकडो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं का यह मानना है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण, जागरूकता तथा नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती हैं, योगदान दे रहा है।

समूह से हो रहा महिलाओं का विभिन्न प्रकार का विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण से किस प्रकार सम्बन्धित है।

तालिका 4.2.18 आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण मे भूमिका के आधार पर विवरण ।

क्र0सं0	आर्थिक सुदृढता एवं सशक्तिकरण	संख्या	प्रतिशत
1	हा	28	28
2	अधिकाशतः	34	34
3	थोडा बहुत	33	33
4	नही	05	05
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि निदर्श मे शामिल कुल 100 महिलाओं मे से 34 प्रतिशत महिलाओ के द्वारा यह बताया गया कि अधिकांशतः आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण मे अधिकांशतः भूमिका निभती है, 33 प्रतिशत महिलाओ के द्वारा यह बताया गया कि आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण में थोडा बहुत भूमिका निभती है, 28 प्रतिशत महिलाओ के द्वारा यह बताया गया कि आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण में पूर्णतः भूमिका निभती है। 05 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा यह बताया गया कि आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई भूमिका नही निभती है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है किः आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तिकरण मे अधिकांश भूमिका निभती है । शरीरामुलू एण्ड खान हुसैन (2008) ने

भी अपने अध्ययन में बताते है कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के इरादे से लागू किया गया है यह आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है।

समूह की महिलाएं आर्थिक, राजनैतिक रूप से जागरूक हो रही है तथा जो महिलाएं समूह से सम्बन्धित नही है दोनो की प्रस्थिति में अन्तर है या नही।

तालिका 4.2.19 समूह की महिलायें तथा समूह से सदस्यता न ग्रहण करने वाली महिलाओं की प्रस्थिति के अन्तर के आधार पर विवरण ।

क्र0सं0	प्रस्थिति का अन्तर	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	20	20
2	कुछ सीमा तक	37	37
3	थोडा बहुत	34	34
4	नही	09	09
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि समूह की महिलायें तथा समूह की सदस्यता न ग्रहण करने वाली महिलाएं, दोनो की सामाजिक प्रस्थिति कुछ सीमा तक अन्तर महसूस होता है, 34 प्रतिशत महिलाओ को थोडा बहुत, 20 प्रतिशत महिलाओ को पूर्णतः तथा 9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा समूह की महिलाएं तथा समूह की सदस्यता न ग्रहण करने वाली महिलाएं, दोनो की प्रस्थिति किसी भी प्रकार का कोंई अन्तर महसूस नही होता है।

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकत्तर महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलायें तथा समूह की सदस्यता न ग्रहण करने वाली महिलाएं दोनो की सामाजिक प्रस्थिति कुछ सीमा तक अन्तर **है।**

ऐवरेट्ट एवं सवारा (1994) ने अपने शोध में घरेलू एवं सामुदायिक कार्यों में सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारणों का परीक्षण किया। महिलाओं द्वारा घरेलू निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी स्थिति पर निर्भर थी। विभिन्न कार्यो में लगी हुई महिलाओं और संगठन में उनकी सहभागिता की स्थिति में भिन्नता सशक्तिकरण के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती थी।

स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, तथा रातनीति से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व महिलाओं पारिवारिक कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय नही ले पाती थी, वे आर्थिक रूप से भी घर के सदस्यों पर निर्भर थी तथा महिलाएं राजनीतिक कार्यो में भी भाग नही लेती थी। समूह की सदस्यता गहण करने के बाद महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है उनके द्वारा किये गये कार्यों को घर के सदस्यों द्वारा महत्व दिया जाता है। महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हुयी है उन्हे समूह के अन्तर्गत विभिन्न पद – समूह सखी, स्वास्थ्य सखी, अजाविका सखी, ब्लॉक सखी जैसे पद प्राप्त हुये है जिससे न केवल महिलाओं की आर्थिक आमदनी बढ़ी है बल्कि महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, अजीविका, आदि से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त हुयी है। स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाएं ब्लॉक स्तर पर चयनित होने के बाद विभिन्न जिलों में जाकर महिलाओं कों समूह की सदस्यता लेने के लिये प्रोत्साहित करती है जिससे महिलाओं आत्म विश्वास बढता है तथा नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है।

4.3 समूह से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का विवरण

स्वयं सहायता समूह का विकास किस प्रकार होता है, समूह के मुख्य कार्य क्या है तथा सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी के प्रयासों के बाद भी समूह के विकास में बाधायें क्या है यह जॉचने का प्रयत्न किया गया है।

सर्वप्रथम यह देखने का प्रयास किया गया है कि अध्ययन में सम्मलित समूहों का नाम क्या है।

रेखाचित्र 4.3.1 समूह के नाम के आधार पर महिलाओं का वितरण

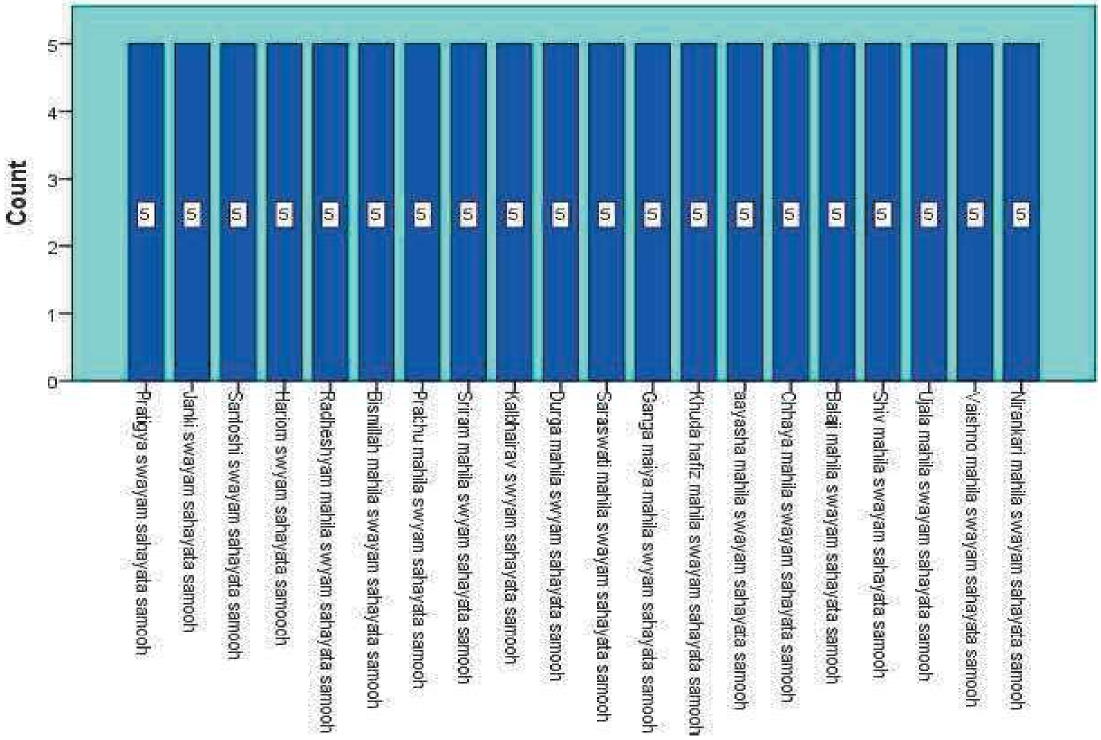

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट है कि समूह–प्रतिज्ञा महिला स्वयं सहायता समूह, जानकी महिला स्वयं सहायता समूह, संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह, हरिओम महिला स्वयं सहाता समूह, राधेश्याम महिला स्वयं सहायता समूह, बिस्मिल्लाह स्वयं सहायता समूह, प्रभु महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीराम महिला स्वयं सहायता समूह, काल भैरव महिला स्वयं सहायता समूह, दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, गंगा मैया महिला स्वयं सहायता समूह, आस्था महिला स्वयं सहायता समूह, बालाजी महिला स्वयं सहायता समूह, शिव महिला स्वयं सहायता समूह, उजाला महिला स्वयं सहायता समूह तथा वैष्णों महिला स्वयं सहायता समूह से अध्ययन के लिये 5 प्रतिशत महिलाओं को चयनित किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक समूह से 5 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया गया है।

प्रत्येक समूह से 5 महिला का चयन करने के बाद यह जानना आवश्यक है कि महिलाओं को समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिए किस के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है।

तालिका 4.3.1 समूह की सदस्यता के लिये प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों के आधार पर विवरण

क्र0सं0	प्रोत्साहित करने वाले साधन	संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी समूह की महिलायें (सरकार द्वारा चयनित)	44	44
2	दूसरे समूह की महिलायें	16	16
3	गैर सरकारी संगठन	27	27
4	अन्य तरीके	13	13
कुल		100	100

तालिका 4.3.1 महिलाओं को समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने वाले साधनों के आधार पर वितरण से सम्बन्धित है जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा समूह को बनवाने के चयनित महिलाओ द्वारा प्रोत्साहित होकर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44 सबसे अधिक है,गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रोत्साहित होकर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 27 ,दूसरे समूह की महिलाओं द्वारा प्रोत्साहित होकर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 16 है तथा अन्य तरीको सूचना प्राप्त कर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 13 है ।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा समूह बनवाने के लिये समूह की जिन महिलाओ को चयनित गया है उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का पालन उचित रूप से किया जा रहा है।

समूह को प्रेरक करने वाले तत्वों के अलावा समूह को स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्वों में हम समूह की महिलाओं की संख्या को देख सकते है।

` **तालिका 4.3.2 समूह में महिलाओं (सदस्यों) की संख्या के आधार पर विवरण।**

क्र0 सं0	महिलाओं (सदस्यों) की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	11—13	60	60
2	14—15	40	40
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत महिलायें 11 से 13 सदस्यों की संख्या वाले समूह से सम्बन्धित है तथा 40 प्रतिशत महिलायें 14 से 15 सदस्यों की संख्या वाले समूह से सम्बन्धित है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि 11 से 13 सदस्य संख्या वाले समूह महिलाओं द्वारा अधिक बनाये जाते है।

समूह में 12 से अधिक तथा 20 से कम महिलाओं की संख्या समूह को स्थायित्व प्रदान करती है। समूह को सही ढंग से सुनियोजित कार्य करने के लिए आवश्यक है कि समूह में मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों को प्रदान कर दी जाये।

तालिका 4.3.3 महिलाओं के समूह में प्रमुख पदो के आधार पर विवरण।

क्र0 सं0	प्रमुख पद	संख्या	प्रतिशत
1	अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव (उपरोक्त सभी)	85	85
2	केवल अध्यक्ष और सचिव	15	15
कुल		100	100

विवरण से स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत महिलायें एसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव के पद हैं तथा 15 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें केवल अध्यक्ष तथा सचिव के पद हैं

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश समूहों में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव के पद होते है जिससे समूह के कार्यों का संचालन सही ढंग से हो सके।

समूह की कार्यप्रणाली को जानने के लिये यह जानना आवश्यक है कि समूह के किस पदाधिकारी द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जा रहे है जैसे समूह की बैठकों की अवधि, स्थान कौन निर्धारित करता है।

तालिका 4.3.4 समूह की बैठकों की अवधि तथा स्थान के निर्धारण कर्ता के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	निर्धारणकर्ता	संख्या	प्रतिशत
1	अध्यक्ष	60	60
2	कोषाध्यक्ष	00	00
3	सचिव	00	00
4	आपसी सहमति	40	40
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अध्यक्ष द्वारा समूह की बैठकों की अवधि तथा स्थान के निर्धारण किया जाता हैं तथा 40 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें आपसी सहमति द्वारा समूह की बैठकों की अवधि तथा स्थान आदि के निर्धारण किया जाता हैं।

उपरोक्त आकड़ो से स्पष्ट है कि अधिकाशतः अध्यक्ष द्वारा समूह की बैठकों की अवधि तथा स्थान आदि का निर्धारण किया जाता हैं।

समूह के पदाधिकारियों के क्रम में यह जानने का प्रयास किया गया है कि समूह में ऋण, बचत आदि का निर्धारण कौन करता है।

तालिका 4.3.5 महिलाओं के समूह में ऋण, बचत आदि निर्धारण कर्ता के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	ऋण, बचत आदि निर्धारण कर्ता	संख्या	प्रतिशत
1	अध्यक्ष	20	20
2	कोषाध्यक्ष	80	80
3	सचिव	00	00
4	उपर्युक्त सभी	00	00
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत महिलायें एसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें कोषाध्यक्ष द्वारा समूह मे़ं ऋण, बचत आदि निर्धारण किया जाता हैं तथा 20 प्रतिशत महिलायें एसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अध्यक्ष द्वारा समूह मे़ं ऋण, बचत आदि निर्धारण किया जाता हैं।

समूह के पदाधिकारियों के कार्यो का जानने के पश्चात यह देखा गया कि महिलायें अपने समूह के पदाधिकारियों का चयन कैसे करती है जैसे समूह में अध्यक्ष का चयन कैसे किया जाता है।

तालिका 4.3.6 समूह में अध्यक्ष निर्धारण की प्रकिया के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	अध्यक्ष निर्धारण की प्रकिया	संख्या	प्रतिशत
1	निर्वाचन	97	97
2	चक्रीय पद्धति	00	00
3	अन्य कोइ प्रकिया	00	00
4	मालूम नही	03	03
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 97 प्रतिशत महिलाओं के समूह में निर्वाचन की प्रकिया द्वारा अध्यक्ष का निर्धारण होता है तथा 03 प्रतिशत महिलाओं को यह मालूम नही है कि उनके समूह में अध्यक्ष का निर्धारण कैसे होता है।

अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को जानने के बाद यह देखने का प्रयास किया गया है कि कोषाध्यक्ष को चयनित करने का आधार क्या है।

तालिका 4.3.7 समूह में कोषाध्यक्ष निर्धारण के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	कोषाध्यक्ष निर्धारण के आधार	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षा के आधार पर	75	75
2	कार्यकुशलता के आधार पर	5	5
3	आपसी समझौता के आधार पर	20	20
4	अन्य प्रकिया के आधार पर	00	00
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 75 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें कोषाध्यक्ष निर्धारण शिक्षा के आधार पर किया जाता हैं तथा 20 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें कोषाध्यक्ष निर्धारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाता हैं तथा 5 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें कोषाध्यक्ष निर्धारण कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है।

समूह के पदाधिकारियों से सम्बन्धित व्याख्या करने के पश्चात यह देखना आवश्यक है कि समूह कितने समय से कार्य कर रहा है।

तालिका 4.3.8 समूह की सदस्यता ग्रहण करने की समयावधि के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	समूह की समयावधि	संख्या	प्रतिशत
1	1–2 वर्ष	10	10
2	2–3 वर्ष	35	35
3	3–4 वर्ष	30	30
4	4 से अधिक	25	25
कुल		100	100

तालिका 4.3.8 के विवरण से स्पष्ट है कि 2–3 वर्ष पुराने समूह की महिलाओं का प्रतिशत 35 है, 3 से 4 वर्ष पुराने समूह की महिलाओं का प्रतिशत 30, 4 से 5 वर्ष पुराने समूह की महिलाओं का प्रतिशत 25 है तथा 1 से 2 वर्ष पुराने समूह की महिलाओं का प्रतिशत 10 है।

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षो से सरकार द्वारा समूह बनवाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है तथा जिले में गैर सरकारी संगठनो द्वारा उचित प्रयास किए जा रहे है।

समूह की अधिक अवधि समूह की महिलाओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।

तालिका 4.3.9 महिलाओं द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	प्रशिक्षण	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	100	100
2	नही	00	00
कुल		100	100

तालिका 4.3.9 के विवरण से स्पष्ट है कि कुल चयनित सभी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अतः स्पष्ट होता है कि समूह गठित होने पर उन्हे आवश्यक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण अवधि, समूह के विकास में आवश्यक है।

समूह की महिलाओं को प्राप्त प्रशिक्षण की दक्षता इस बात पर निर्भर है कि उन्हें कितनी अवधि तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

तालिका 4.3.10 प्राप्त किये गये प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर विवरण।

क्र0 सं0	प्रशिक्षण अवधि	संख्या	प्रतिशत
1	0 से 2 माह	10	10
2	2 से 4 माह	15	15
3	4 से 6 माह	25	25
4	निरन्तर प्रयास (अभी भी जारी)	50	50
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि कुल 100 महिलाओं में से सबसे अधिक 50 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह उत्तर प्राप्त किया गया है कि उन्हे सरकार द्वारा अभी भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, 25 प्रतिशत महिलाओं प्रतिशत द्वारा 4 से 6 माह, 15 प्रतिशत महिलाओं प्रतिशत द्वारा 2 से 4 माह तथा 0 से 2 माह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 10 हैं।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा समूह बनवाने की अवधि से लेकर महिलाओं को निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

प्रशिक्षण अवधि जानने के साथ–साथ यह भी जानना आवश्यक है कि समूह की महिलाओं को कितने व्यक्ति प्रशिक्षण देने आते थे।

तालिका 4.3.11 प्रशिक्षिण प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	प्रशिक्षित करने वाले व्यक्तियों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	1 से 2 व्यक्ति	15	15
2	3 से 4 व्यक्ति	64	64
3	5 से 6 व्यक्ति	16	16
4	6 से अधिक व्यक्ति	05	05
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल 100 महिलाओ में से 64 प्रतिशत महिलाओं ने 3 से 4 व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया, 16 प्रतिशत महिलाओं ने 5 से 6 व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया, 15 प्रतिशत महिलाओ ने 1 से 2 व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 5 प्रतिशत महिलाओं ने 6 से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अधिकाशतः 3 से 4 व्यक्तियों का समूह महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिये भेजा जाता है।

समूह के कार्यों को समझने के लिये आवश्यक है कि महिलाओं किस प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

तालिका 4.3.12 प्रशिक्षण के प्रकार के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	प्रशिक्षिण	संख्या	प्रतिशत
1	समूह के बारे मे	1	1
2	लघु उद्योग	4	4
3	कुटीर उद्योग	4	4
4	पशुपालन	15	15
5	उपर्युक्त सभी	74	74
6	अन्य	2	2
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 74 प्रतिशत महिलाओं का है जिन्होने–समूह के बारें में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा पशुपालन के बारें में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 15 प्रतिशत महिलाओ ने पशुपालन के बारे मे, 4 प्रतिशत महिलाओ ने कुटीर उद्योग के बारे, 4 प्रतिशत महिलाओ ने लघु उद्योग के बारे मे, 2 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य विषय के बारे में, तथा 1 प्रतिशत महिलाओं ने समूह के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उपरोक्त तालिका के वितरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलाओं ने विविध प्रकार के प्रशिक्षण जैसे– समूह के बारे में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा पशुपालन आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं।

समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण कर्ताओं द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्या महिलाएं उसका लाभ ले पा रही है।

तालिका 4.3.13 महिलाओं द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण के लाभ के प्रकार के आधार पर विवरण

क्र0सं0	लाभ	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	51	51
2	अधिकांश	14	14
3	थोड़ा बहुत	30	30
4	नही	05	05
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि 51 प्रतिशत महिलाएं प्रशिक्षण पूरी तरह लाभवान्तित हुयी, 30 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार प्रशिक्षण से थोड़ा बहुत लाभ 14, प्रतिशत महिलाओं के अनुसार प्रशिक्षण से अधिकांशतः लाभ तथा केवल 5 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण से कोई लाभ नही मिला।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांशतः महिलाएं प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रही है। समूह की महिलाएं प्राप्त प्रशिक्षण का प्रयोग कर किस–किस प्रकार के कार्य कर रही है।

तालिका 4.3.14 समूह की महिलाओं द्वारा किये जा रहे सामूहिक कार्यों के आधार पर विवरण

क्र0सं0	कार्य	संख्या	प्रतिशत
1	कुटीर उद्योग	50	50
2	लघु उद्योग		
3	उपर्युक्त दोनो	30	30
4	महिलाओं को सदस्यता के लिये प्रोत्साहित करना	15	15
5	अन्य	5	5
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें कुटीर उद्योग का कार्य, 30 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें कुटीर एवं लद्यु उद्योग का कार्य, 15 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके द्वारा महिलाओं को सदस्यता के लिये प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है तथा 5 प्रतिशत महिलाओं के समूह द्वारा अन्य कार्य किये जाते है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समूहों द्वारा अधिकाशतः कुटीर उद्योग के कार्य किये जाते है। शहरी वातावरण ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिये साकारात्मक अवसर दिये है लेकिन शोध से पता चलता है कि समूह के माध्यम से यें महिलाएं पारम्परिक कौशल जैसे अचार बनाना, सिलाई करना आदि में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है। इनक कार्यों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है तथा उनमें जागरूकता, उद्यमशीलता की संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की गातिशीलता में भागीदारी को बढ़ाया है ये परिणाम पहले के अध्ययनों बनर्जी 2009, देसाई और जोशी 2013, श्रीरामुलु 2008 में देखे गए है।

महिलाओं के सामूहिक कार्यों का विश्लेषण करने के बाद यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि महिलाएं समूह के कार्यों (सामूहिक कार्य) को करने के लिए आवश्यक संसाधन कैसे जुटाती है।

तालिका 4.3.15 समूह के कार्यों करने के लिये संसाधन जुटाने के आधार पर विवरण

क्र0 सं0	संसाधन जुटाने का आधार	संख्या	प्रतिशत
1	नियमित बचत	11	11
2	सरकार द्वारा सहायता	00	00
3	उपर्युक्त दोनो	79	79
4	गैर सरकारी संगठन	10	10
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 79 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें सरकार द्वारा सहायता एवं नियमित बचत के द्वारा संसाधन जुटाया जाता है। 11 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अभी केवल नियमित बचत के द्वारा संसाधन जुटाया जा रहा है तथा 10 प्रतिशत महिलायें ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें गैर सरकारी संगठन के द्वारा संसाधन जुटाया जा रहा है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें सरकार द्वारा सहायता एवं नियमित बचत के द्वारा संसाधन जुटाया जा रहे है। **अर्जुन(2012**) में बताते है कि समूह के विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन दोनो के प्रयास महत्वपूर्ण है।

महिलाएं समूह के कार्यो को करने के लिये नियमित बचत के माध्यम से धनराशि जुटाती है। इसके साथ ही यह जानना आवश्यक है कि महिलाएं नियमित धनराशि कैसे जुटाती है।

तालिका 4.3.16 एक माह में समूह में जमा करने के लिये निर्धारित धनराशि की प्रंक्रिया के आधार पर विवरण

क्र0स0	निर्धारित धनराशि (रूपये में)	संख्या	प्रतिशत
1	1—25	00	00
2	26—50	60	60
3	51—75	30	30
4	76—100	10	10
कुल		100	100

तालिका के वितरण से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके द्वारा एक माह मे जमा करने के लिये निर्धारित धनराशि (रूपये में) 26—50 है,

30 प्रतिशत महिलाओं द्वारा 51–75 तथा 10 प्रतिशत महिलाओ द्वारा 76–100 धनराशि (रूपये में) जमा की जाती है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें उनके द्वारा छोटी–छोटी धनराशि (रूपये में) 26–50 जमा की जाती है।

समूह की महिलायें नियमित एवं छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से धनराशि जमा करती है। तो क्या महिलायें धनराशि को एक माह में एक बार जमा करती है या अन्य कोई माध्यम है।

तालिका 4.3.17 समूह में धनराशि जमा करने की प्रंक्रिया के आधार पर विवरण

क्र0सं0	एक माह में किश्त	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	10	10
2	नही	90	90
कुल		100	100

तालिका के वितरण से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें एक माह में एक किश्त में धनराशि नही जमा की जाती है।तथा 10 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें एक माह में एक किश्त में धनराशि जमा की जाती है ।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा माह में एक किश्त में धनराशि नही जमा की जाती है।

कुछ समूह की महिलाएं एक माह में एक बार धनराशि जमा करती है और अधिकांश समूह की महिलाएं एक माह में एक बार धनराशि नही जमा करती है। इसके लिए यह देखना आवश्यक है कि जिन महिलाओं के समूह में एक माह में एक बार

धनराशि जमा करने का प्रावधान नही है वे अन्य किन तरीकों से धनराशि जमा करती है।

तालिका 4.3.18 धनराशि जमा करने के लिये निर्धारित अन्य प्रंक्रिया के आधार पर विवरण

क्र0स0	धनराशि जमा करने के लिए निर्धारित अन्य प्रंक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	प्रत्येक सप्ताह	70	70
2	वैकल्पिक सप्ताह	20	20
3	एक माह में एक बार	10	10
4	अन्य	00	00
कुल		100	100

तालिका 4.3.18 समूह की सबसे अधिक 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा प्रत्येक सप्ताह धनराशि जमा करने के लिए निर्धारित की गयी है, 20 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एक सप्ताह छोड़कर अगले सप्ताह धनराशि जमा करने के लिए निर्धारित की गयी है, तथा 10 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एक माह में एक बार धनराशि जमा करने के लिये निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा प्रत्येक सप्ताह मे निर्धारित धनराशि जमा की जाती है। **पी0,वाई0, अर्जुन.(2012)** का शोध भी इस तथ्य का समर्थन करता है कि महिलाएं छोटी–छोटी बचत कर समूह की धनराशि को बढ़ाने में मदद करती है।

समूह में जब 6 माह की नियमित बचत के पश्चात पर्याप्त धनराशि हो जाती है तब महिलाएं अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह से ऋण ले सकती है। अब यह देखने का प्रयत्न किया जायेगा कि समूह की महिलाओं ने समूह से कितनी बार ऋण लिया है।

तालिका 4.3.19 व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्राप्त ऋण की संख्या के आधार पर विवरण

क्र0 सं0	ऋण की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	एक बार	19	19
2	दो बार	27	27
3	तीन बार	18	18
4	चार बार	08	08
5	चार से अधिक	20	20
6	एक भी बार नही	08	08
कुल		100	100

तालिका 4.3.19 विवरण से स्पष्ट है कि समूह की सबसे अधिक 27 प्रतिशत महिलाओं द्वारा दो बार ऋण प्राप्त किया गया है, 20 प्रतिशत महिलाओं द्वारा चार बार से अधिक, 19 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एक बार, 18 प्रतिशत महिलाओं द्वारा तीन बार, 8 प्रतिशत महिलाओं ने चार बार तथा 8 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एक भी बार ऋण प्राप्त नही किया गया है ।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि समूह की अधिकांश महिलाओं द्वारा अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम से कम दो बार ऋण अवश्य लिया गया हैं।

समूह की महिलाएं समूह से लिए गए ऋण का प्रयोग किस प्रकार के कार्यों को करने में करती है।

रेखाचित्र 4.3.2 समूह की महिलाओं द्वारा लिये गये ऋण के उपयोग(कार्यों) के आधार पर विवरण

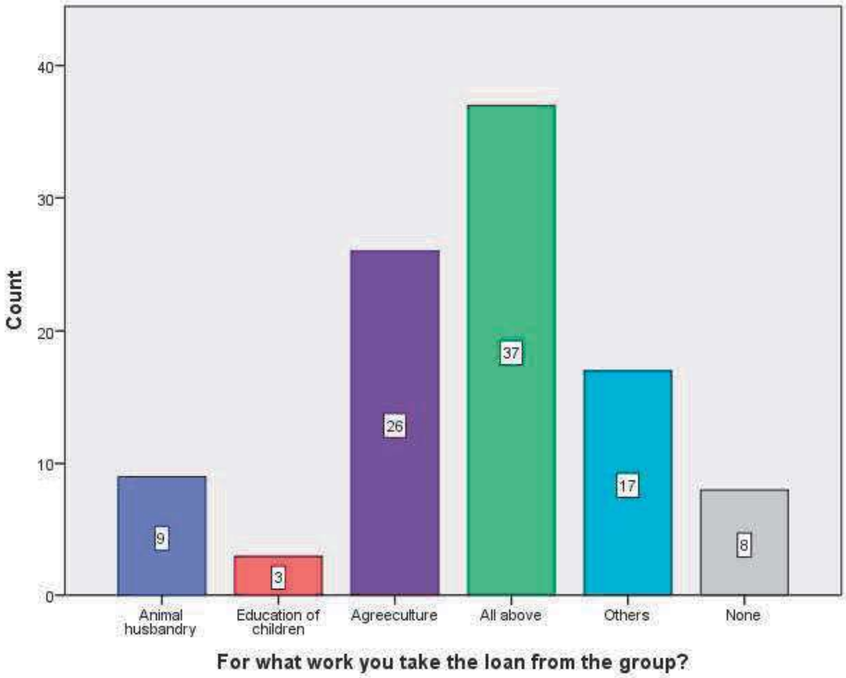

रेखाचित्र के विवरण से स्पष्ट है कि समूह की सबसे अधिक 37 प्रतिशत महिलाएं समूह से लिए गए ऋण का उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं जैसे–पशुपालन, बच्चों की शिक्षा तथा कृषि कार्यो को करने के 26 प्रतिशत महिलाएं कृषि, 17 प्रतिशत महिलाएं अन्य, 9 प्रतिशत महिलाएं पशुपालन, 3 प्रतिशत महिलाएं बच्चों की शिक्षा तथा 8 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ना ही ऋण लिया गया और ना ही ऋण उपयोग किया गया

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि समूह की अधिकांश महिलाएं लिए गए ऋण के द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं (पशुपालन, बच्चों की शिक्षा तथा कृषि कार्यों) की पूर्ति करती है। **सिन्हा अजीत कुमार (2008)** ने भी अपने अध्ययन में पाया है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण का उपयोग विविध कार्यों को करने में करती है।

समूह की धनराशि आपसी लेनदेन के माध्यम से बढ़ती है तथा महिलाएं धनराशि को सुरक्षित करने के लिये उसे बैंक में जमा करती हैं। जिसके लिए यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि क्या महिलाएं समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व बैंकिग प्रक्रिया से जागरूक थी या नही।

तालिका 4.3.20 महिलाओं को बैक से ऋण लेने या बैंक के कार्यो करने के दौरान उत्पन्न समस्यायें के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	बैंक से सम्बन्धित कार्यों को करने के दौरान समस्यायें	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	14	14
2	अधिकाशतः	26	26
3	कभी—कभी	39	39
4	नही	21	21
कुल		100	100

तालिका वितरण से स्पष्ट है कि समूह की सबसे अधिक 39 प्रतिशत महिलाओं को बैक से ऋण लेने मे या बैंक के कार्यो को करने के दौरान कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पडता है, 26 प्रतिशत महिलाओं को अधिकाशतः, 14 प्रतिशत महिलाओं को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा 21 प्रतिशत महिलाओं को बैंक के कार्यों को करने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नही करना पड़ता है।

उपरोक्त आकडों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं को समूह को बैंक के कार्यों को करने के दौरान कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसके बाद यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि महिलाओं के समूहों ने कितनी बार बैंक से ऋण प्राप्त किया है।

तालिका 4.3.21 समूह द्वारा बैंक से प्राप्त किये गये ऋण की संख्या के अधार पर विवरण।

क्र0 सं0	ऋण की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	1 बार	15	15
2	2 बार	23	23
3	3 बार	35	35
4	4 बार	17	17
5	4 बार से अधिक	10	10
कुल		100	100

तालिका 4.3.21 के विवरण से स्पष्ट है कि 35 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अभी तक केवल 3 बार ऋण लिया गया, 23 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अभी तक केवल 2 बार ऋण लिया गया, 17 महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अभी तक 4 बार ऋण लिया गया,15 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अभी तक 1 बार ऋण लिया गया तथा 10 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमें अभी तक 4 बार से अधिक ऋण लिया गया।

स्वयं सहायता समूह से विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि बहेन्दर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनो के सम्मलित प्रयास से कार्यरत है। ब्लॉक के अधिकांश स्वयं सहायता समूहों में कुटीर उद्योग एवं लद्यु उद्योग से सम्बन्धित कार्य किये जाते है।

4.4 स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए सरकारी प्रयास एवं विकास में आ रही बाधाएं

समूह के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहें है तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने के लिये आवश्यक कदम उठायें जा रहें है। इन सब प्रयासों के बाद भी महिला स्वयं सहायता समूहों का आवश्यक विकास नही हो पा रहा है।

सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या समूह की महिलाएं समूह के सभी नियमों से परिचित है या नही।

तालिका 4.4.1 महिलाओं का समूह के नियमों से परिचय के अधार पर विवरण।

क्र0सं0	समूह के नियमों से परिचय के अधार	संख्या	प्रतिशत
1	सभी	21	21
2	अधिकांश	27	27
3	थोड़ा बहुत	47	47
4	नही	06	06
कुल		100	100

तालिका 4.4.1 के विवरण से स्पष्ट है कि 47 प्रतिशत महिलाएं समूह के नियमो से थोड़ा बहुत परिचित है, 27 प्रतिशत महिलाएं समूह के अधिकाश नियमों से, 21 प्रतिशत महिलाएं समूह के सभी नियमो से तथा 06 प्रतिशत महिलाएं समूह के नियमो से बिल्कुल भी नही परिचित है।

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं को समूह के अधिकांश नियमों के बारे में जानकारी है।

महिलाओं का समूह के नियमों से परिचय जानने के बाद यह देखना आवश्यक है कि क्या महिलाओं के समूह में आपसी विवाद जैसी समस्याये ंतो मौजूद नही है जिससे समूह के कार्यो को करने बाधा उत्पन्न हैं।

तालिका 4.4.2 महिलाओं में आपसी विवाद जैसी समस्याओं के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	महिलाओं में आपसी विवाद	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	2	2
2	अधिकांशतः	22	22
3	कभी—कभी	39	39
4	नही	37	37
कुल		100	100

तालिका 4.4.2 के विवरण से स्पष्ट है कि 39 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह के सदस्यों के मध्य कभी—कभी आपसी विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है, कि 37 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह के सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार की आपसी विवाद जैसी समस्यायें नही होती हैं, 22 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह के सदस्यों के मध्य अधिकाशतः आपसी विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है तथा केवल 2 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उन्हे हमेशा आपसी विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं को समूह में किसी भी प्रकार की आपसी विवाद जैसी समस्याओं का सामना नही करना पड़ता हैं।

समूह में अगर आपसी विवाद की समस्यायें नही है तो अन्य क्या कारण है जो समूह के विकास में बाधा उत्पन्न करते है। इसी क्रम में यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या समूह की महिलाएं समूह से ऋण लेकर धनराशि को बढ़ाती है।

तालिका 4.4.3 महिलाओं द्वारा समूह से समय–समय पर ऋण लेकर संचित निधि को बढाने के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	ऋण को बढाने के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1	सभी	19	19
2	अधिकांश	29	29
3	कुछ	46	46
4	नही	06	06
कुल		100	100

तालिका 4.4.3 के वितरण से स्पष्ट है कि 46 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमे कुछ महिलाओं द्वारा ऋण लेकर सूमह की निधि बढाने में योगदान दिया जाता है, 29 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमे अधिकांश महिलाओं द्वारा ऋण लेकर सूमह की निधि बढ़ाने में योगदान दिया जाता है 19 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह की सभी महिलाओं द्वारा ऋण लेकर सूमह की निधि बढाने में योगदान दिया जाता है तथा 6 प्रतिशत महिलाओ के समूह मे किसी भी महिला द्वारा समूह से ऋण लेकर सूमह की निधि बढाने में योगदान नही दिया जाता हैं। **रहीम, ए अब्दुल. (2011)** अपने अध्ययन में बताते है कि स्वयं सहायता समूह के विकास के छोटी–छोटी लेनदेन अत्यधिक आवश्यक है।

समूह की निधि से न सिर्फ ऋण लेना आवश्यक है बल्कि समूह से लिए गए ऋण को निश्चित ब्याज के साथ वापस करना भी आवश्यक है जिससे समूह की धनराशि में बढोत्तरी होती है।

तालिका 4.4.4 समूह से समय–समय पर ऋण लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस करने के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	ऋण को ब्याज दर के साथ वापस	संख्या	प्रतिशत
1	सभी	20	20
2	अधिकांश	32	32
3	कुछ	44	44
4	कोई नही	04	04
कुल		100	100

तालिका 4.4.4 के विवरण से स्पष्ट है कि 44 प्रतिशत महिलाओं एसे समूह से सम्बन्धित है जिसमे कुछ महिलाओं द्वारा ऋण लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस किया जाता है, 32 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमे समूह की अधिकाश महिलाओं द्वारा ऋण लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस किया जाता है, 20 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिसमे समूह की सभी महिलाओं द्वारा ऋण लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस किया जाता है तथा 4 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह की किसी भी महिला द्वारा ऋण लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस नही किया जाता है।

तालिका 4.4.5 समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व महिलाओं की बैकिंग प्रंकिया से जागरूकता के आधार पर वितरण।

Education of respondant * Before taking the membership in group,were you aware about banking procedure? Crosstabulation

Qualification of respondents		Before taking the membership in group, were you aware about banking procedure?				Total
		Totally	Mostly	Partially	No	
illiterate	Count	0	9	18	12	39
	% within Education of respondant	0.0%	23.1%	46.2%	30.8%	100.0%
Elementary education	Count	0	3	14	4	21
	% within Education of respondant	0.0%	14.3%	66.7%	19.0%	100.0%
Higher secondary education	Count	1	7	11	5	24
	% within Education of respondant	4.2%	29.2%	45.8%	20.8%	100.0%
Higher education	Count	9	5	2	0	16
	% within Education of respondant	56.2%	31.2%	12.5%	0.0%	100.0%
Total	Count	10	24	45	21	100
	% within Education of respondant	10.0%	24.0%	45.0%	21.0%	100.0%

तालिका 4.4.5 के विवरण से स्पष्ट है 39 प्रतिशत महिलाएं जो अशिक्षित थी वे समूह की सदस्यता लेने से पूर्व किसी भी प्रकार की बैंकिग प्रक्रिया से जागरूक नही थी, 21 प्रतिशत महिलाएं जिन्होंने केवल प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण की थी वे थोड़ा बहुत, 24 प्रतिशत महिलाएं जिन्होंने केवल माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की अधिकाशंतः तथा 16 प्रतिशत महिलाएं जिन्होंनें उच्चर शिक्षा ली थी वे पूर्णतः बैंक के नियमों से परिचित थी। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है किसी कार्य को करने में समूह में जो महिलाएं शिक्षित थी केवल उन्हें ही बैक से सम्बन्धित जानकारी थी वे ही बैंक के कार्यो को भलीभाँति कर लेती थी तथा जो शिक्षित नही थी उन्हें बैंक के कार्यो को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं को समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व बैंकिग प्रकिया से सम्बन्धित जानकारी का अभाव था या थोडा बहुत जानकारी थी।

समूह की महिलाओं को समूह की धनराशि समूह में बैंक में जमा करने या अन्य कार्यों को करने के दौरान क्या किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पडता है।

समूह की महिलाएं आपसी लेनदेन वाले ऋण को तो वापस कर देती है लेकिन क्या वे बैंक से लिए गए ऋण को उसकी ब्याज के साथ वापस करती है।

तालिका 4.4.6 समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस करने के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	समूह द्वारा ऋण वापस	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	20	20
2	अधिकाशतः	39	39
3	कभी—कभी	29	29
4	कभी नही	12	12
कुल		100	100

तालिका 4.4.6 के विवरण से स्पष्ट है कि 39 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह द्वारा बैंक से लिये गये ऋण को निश्चित ब्याज दर के साथ अधिकाशतः वापस किया जाता है, 29 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह द्वारा बैंक से लिये गये ऋण को निश्चित ब्याज दर के साथ कभी—कभी वापस किया जाता है महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह द्वारा बैंक से लिये गये ऋण को निश्चित ब्याज दर के साथ हमेशा वापस किया जाता है, 12 प्रतिशत महिलाएं ऐसे समूह से सम्बन्धित है जिनके समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को निश्चित ब्याज दर के साथ कभी तक वापस किया है।

समूह की महिलाएं बैंक से लिये गये ऋण को समयानुसार वापस कर देती है इसके साथ ही यह जानना आवश्यक है कि महिलाएं ऋण का भुगतान किस प्रकार करती है।

तालिका 4.4.7 समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण के भुगतान करने के प्रकार आधार पर विवरण।

क्र0स0	ऋण के भुगतान करने के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकमुश्त	16	16
2	किश्तों में	58	58
3	अन्य तरीका	16	16
4	मालूम नही	10	10
कुल		100	100

तालिका 4.4.7 के विवरण से स्पष्ट होता है कि 58 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि उनके समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को किश्तों में वापस किया जाता है, 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एकमुश्त, 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा अन्य तरीकों द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को किश्तों में वापस किया जाता है 10 प्रतिशत महिलाओं को इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नही है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश समूहों में बैंक से लिए गए ऋण को किश्तों में वापस किया जाता है।

समूह की महिलाएं समूह से लिए गए ऋण को समयानुसार जमा कर देती है लेकिन अगर वे बैंक से लिए गए ऋण को यदि समय से नही जमा करे तो क्या–क्या समस्यायें उत्पन्न हो सकती है।

तालिका 4.4.8 बैंक से लिये गये ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस न करने के आधार पर उत्पन्न समस्यायें के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	ऋण वापस न करने मे उत्पन्न समस्यायें	संख्या	प्रतिशत
1	बैंक ऋण देना बंद कर देता	19	19
2	समूह का विघटन	45	45
3	उपर्युक्त दोनो	26	26
4	कोई जानकारी नही	10	10
कुल		100	100

तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 45 प्रतिशत महिलाओ प्रतिशत द्वारा यह बताया गया कि अगर उनके समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस नही किए जाने पर समूह का विघटन हो जाता है, 26 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि अगर उनके समूह द्वारा बैंक से लिये गये ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस न करने पर बैंक ऋण देना बंद कर देता और समूह का विघटन हो जाता है, 19 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि अगर उनके समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण को लेकर निश्चित ब्याज दर के साथ वापस न करने पर बैंक ऋण देना बंद कर देता है तथा 10 प्रतिशत महिलाओं को इसके सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही है।

समूह की धनराशि से सम्बन्धित तथ्यों को जानने के पश्चात यह भी जानना आवश्यक है कि क्या समूह की निश्चित समय पर बैठके की जाती है।

तालिका 4.4.9 समूह द्वारा निश्चित समय पर बैंठको के आयोजन किये जाने के आधार पर विवरण।

क्र0सं0	बैठको के आयोजन	संख्या	प्रतिशत
1	हमेशा	24	24
2	अधिकाशंतः	44	44
3	कभी–कभी	31	31
4	कभी नही	01	01
कुल		100	100

तालिका 4.4.9 के विवरण से स्पष्ट होता है कि 44 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि उनके समूह में बैंठको का आयोजन अधिकांशतः निश्चित समय पर किया जाता है, 31 प्रतिशत महिलाएं ें जिस समूह से सम्बन्धित है उनमें कभी–कभी बैंठको का आयोजन निश्चित समय पर किया जाता है, 24 प्रतिशत महिलाओं के समूह मे हमेशा बैंठको का आयोजन निश्चित समय पर किया जाता है तथा 1 प्रतिशत महिलाओं के समूह मे बैंठको का आयोजन निश्चित समय पर नही किया जाता है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश समूहों में बैंठको का आयोजन निश्चित समय पर किया जाता है।

समूह के विकास की बाधाओं को जानने के क्रम यह जानना आवश्यक है कि क्या महिलाओं को सरकार द्वारा समूह के विकास के लिये चलायी जा रही योजनाओं के बारें में आवश्यक जानकारी है या नही।

तालिका 4.4.10 समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना के बारे में जानकारी के आधार पर विवरण

क्र0सं0	योजना के बारे में जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	24	24
2	अधिकाशतः	26	26
3	कुछ	32	32
4	नही	18	18
कुल		100	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 32 प्रतिशत महिलाओं को समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना के बारे में कुछ जानकारी है, 26 प्रतिशत महिलाओं को अधिकाशतः 24 प्रतिशत महिलाओं को सभी योजना के बारें में जानकारी है तथा 18 प्रतिशत महिलाओं को समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समूह कि अधिकाश महिलाओं को समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना के बारे में कुछ जानकारी है।

समूह की महिलाओं को अगर सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारें में जानकारी है तो कौन–कौन सी योजनायें स्वयं सहायता समूह के लिये चलायी जा रही है।

तालिका 4.4.11 समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजनाओं के प्रकार के आधार पर विवरण

क्र0सं0	सरकारी योजना के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एनआरएलएम	12	12
2	आरजीएमवीपी	37	37
3	उपर्युक्त दोनो	39	39
4	अन्य(एनजीओ)	12	12
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि 39 प्रतिशत महिलाओं को उनके क्षेत्र में समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजनायें (एनआरएलएम तथा आरजीएमवीपी) के बारें में जानकारी है, 37 प्रतिशत महिलाओं को उनके क्षेत्र में समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना केवल आरजीएमवीपी के बारें में 12 प्रतिशत महिलाओं को एनआरएलएम के बारें में जानकारी है तथा 12 प्रतिशत महिलाओं को केवल एनजीओ के बारें में जानकारी है।

अतः स्पष्ट होता है कि चयनित क्षे़त्र में अधिकांशतः सरकारी योजनायें (एनआरएलएम तथा आरजीएमवीपी) कार्य कर रही है। **ए अब्दुल रहीम (2011)** के अनुसार भारत में 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण राज्य की नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, उज्जवला योजना आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनायें महिलाओं की क्षमताओं को पहचान कर एवं उन्हें ंविकास एवं स्वालम्बन के लिए नये क्षितिज प्रदान कर रही है। स्वयं सहायता समूह औपचारिक रूप से भारत में 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में शुरूआत की। तथा भारत का संविधान लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिये

सक्रिय भूमिका निभाता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और आत्म विश्वास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी साधन के रूप में उभरा है।

यदि समूह की महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारें में जानकारी है तो यह भी जानना आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी प्रदान करने का स्त्रोत क्या है।

रेखाचित्र 4.4.1महिलाओ को योजनाओं के बारें में जानकारी के स्त्रोतो के आधार पर विवरण

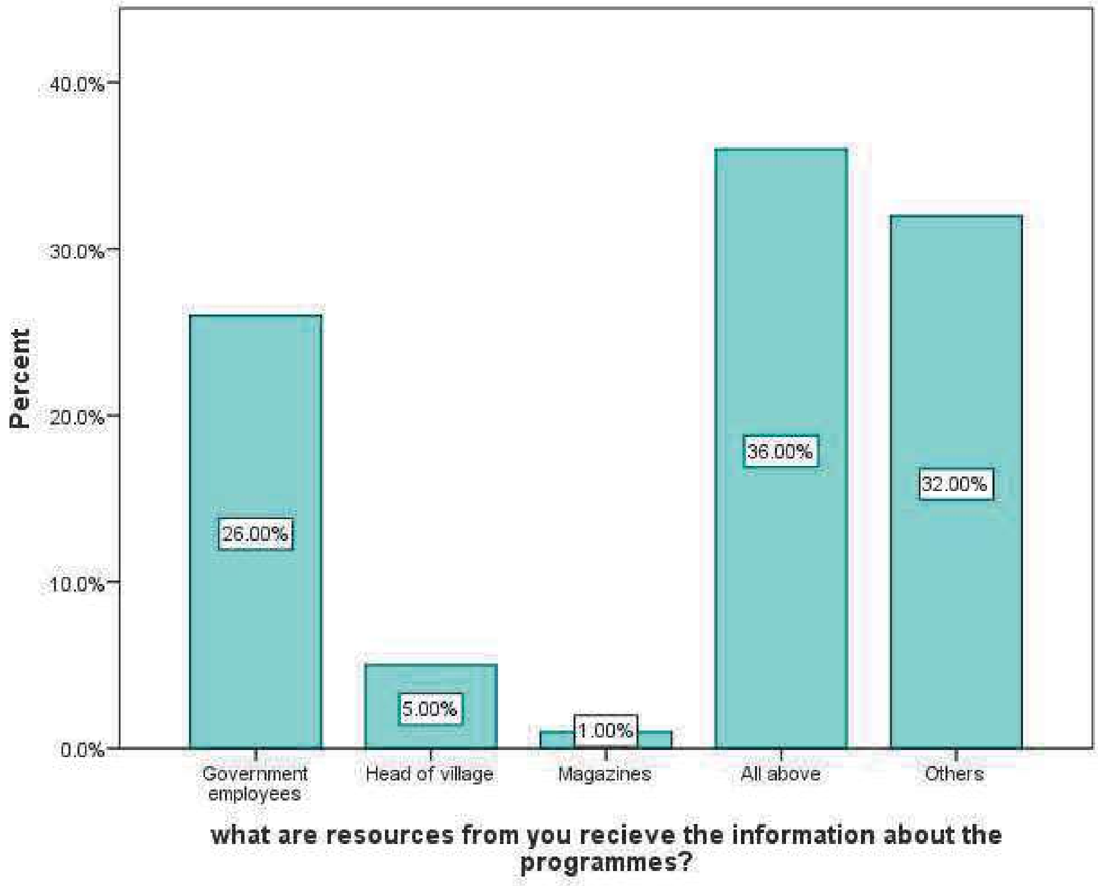

उपरोक्त रेखाचित्र के विवरण से स्पष्ट है कुल चयनित 100 महिलाओं मे से 36 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं के बारें मे जानकारी प्रदान करने के स्त्रोत – सरकार द्वारा चयनित महिलायें, ग्राम पंचायत, पत्रिकायें है, 32 प्रतिशत महिलाओं को अन्य स्त्रोतो (एनजीओ, दूसरे समूह की महिलायें)से, 26 प्रतिशत महिलाओं को सरकार द्वारा चयनित महिलाएं द्वारा,05 प्रतिशत महिलाओं को ग्राम पंचायत तथा केवल 1 प्रतिशत महिलाओं को पत्रिका के द्वारा समूह के बारें में जानकारी प्राप्त हुयी।

अतः तालिका के वितरण से स्पष्ट है कि अधिकांश समूह की महिलाओं को योजनाओं के बारें मे जानकारी प्रदान करने का स्त्रोत सरकार द्वारा चयनित महिलायें रही है।

समूह की महिलाओं को यदि स्वयं सहायता समूह के विकास के लिये चल रही योजनाओं के बारें में जानकारी है तो क्या वे योजनाओं का पूर्ण लाभ ले पा रही है।

तालिका 4.4.12 महिलाओ को योजनाओं से हो रहे लाभ के आधार पर विवरण

क्र0सं0	लाभ	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	24	24
2	अधिकांश	25	25
3	थोड़ा बहुत	43	43
4	नही	08	08
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका के वितरण से स्पष्ट है कुल चयनित 100 महिलाओ मे से 43 प्रतिशत महिलायें सरकारी योजनाओं से थोड़ा बहुत लाभवान्वित हो रही है, 25 प्रतिशत महिलायें अधिकांशतः,24 प्रतिशत महिलायें पूर्णतः तथा 8 प्रतिशत महिलाएं सरकारी योजनाओं से लाभ नही ले पा रही है।

समूह की महिलाओं को समूह से सम्बन्धित योजनाओं के बारें में जानकारी होने से समूह की महिलाएं तो समूह से सम्बन्धित है लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि महिलाओं के ग्राम पंचायत में कितने समूह है।

तालिका 4.4.13 महिलाओ के ग्राम पंचायत मे समूह की संख्या के आधार पर विवरण

क्र0सं0	ग्राम पंचायत मे समूह की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	1 से 2	05	05
2	3 से 4	05	05
3	5 से 6	17	17
4	6 से अधिक	73	73
कुल		100	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 73 प्रतिशत महिलाएं ऐसे ग्राम पंचायतो से है जिसमें 6 से अधिक समूह कार्यरत है, 17 प्रतिशत महिलाये ऐसे ग्राम पंचायतो से है जिसमें 5 से 6 के समूह कार्यरत है, 5 प्रतिशत महिलाएं ऐसे ग्राम पंचायतो से है जिसमें 3 से 4 समूह कार्यरत है तथा अन्य 5 प्रतिशत महिलाएं ऐसे ग्राम पंचायतो से है जिसमें 1 से 2 समूह कार्यरत हैं।

आंकडो से स्पष्ट होता है कि अधिकांश ग्राम पंचायतो में 5 से अधिक समूह कार्यरत है।

ग्राम पंचायत में समूह की संख्या को जानने के साथ–साथ यह भी जानना आवश्यक है कि क्या समूह की महिलाओं की ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण की है।

तालिका 4.4.14 ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने के आधार पर वितरण

क्र0स0	महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	00	00
2	अधिकांश	43	43
3	कुछ	52	52
4	मालूम नही	05	05
कुल		100	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 52 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत में कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण की गयी है, 43 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे अधिकांश महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण की गयी है तथा 05 प्रतिशत महिलाओं उनके ग्राम पंचायत मे कितनी महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण की गयी है इसके बारे मे उन्हे किसी प्रकार की जानकारी नही है।

उपरोक्त वितरण से स्पष्ट होता है कि चयनित ग्राम पंचायतो की अधिकाश महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण की है।

महिलाओं के ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण न करने के कारण क्या हो सकते है।

रेखाचित्र 4.4.2 ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण न करने के कारण के आधार पर विवरण

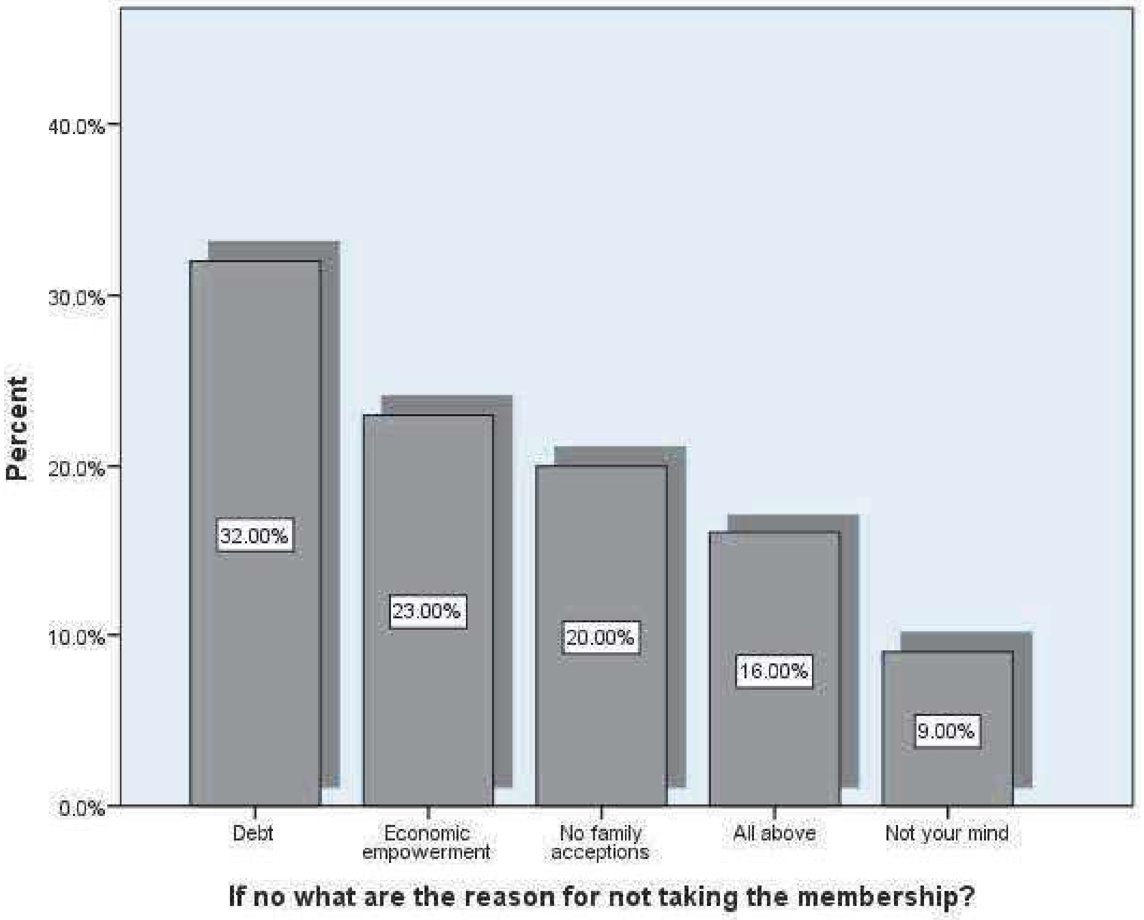

रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि 32 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि उनके ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण न करने का कारण कर्ज है, 23 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि उनके ग्राम पंचायत में कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण नही की गयी क्योकि वे आर्थिक रूप से सशक्त है, 20 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिए नही ग्रहण की गयी है क्योकि उन्हे पारिवारिक स्वीकृति नही है, 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण न

करने का कारण पारिवारिक स्वीकृति अभाव, कर्ज तथा आर्थिक सशक्ति है तथा 9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया है कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता न ग्रहण करने का कारण उनकी स्वयं की इच्छा की न होना है।

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण न करने का कारण कर्ज हैं।

सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिये विभिन्न प्रयास के बाद भी स्वयं सहायता समूह के विकास में आ रही बाधा से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि समूह की महिलाएं समूह से जल्दी ऋण नही लेती है जिससे समूह की संचित निधि में बढ़ोत्तरी नही हो पाती है। समूह की महिलाएं अधिकाशंतः अशिक्षित है जिससे समूह से सम्बन्धित बैंक के कार्यो को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

संदर्भ सूची

बी, शुगना. (2015). *''एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स',* डिस्कवरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

डाइवान एम0.(2008).*''सेल्फ हेल्प ग्रुप इन तमिलनाडुः एन आइडेन्टिटी फॉर वुमेन इम्पावरमेंट.',* इण्डियन पालिटिकल सांइस एशोसिएशन।

डेवी इन्द्रा.(2004). *"सेल्फ हेल्प ग्रप्सः ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव",* एन्ड्रो यूनिवर्सिटी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन विशाखापटनम।

कृष्णमूर्ति.(2004). *"पावट्री रिडक्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रैटजी",* बी0आर0 वर्ल्ड बुक निव दिल्ली।

मित्रा ज्योति.(1997). *"वुमेन एण्ड सोसाइटी इक्वालिटी एण्ड इम्पावरमेंट",* कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

नित्थ्यानन्दन एस0 एण्ड मंसूर नोरमा.(2015). *''सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड वुमेन एम्पावामेंट',* इन्सट्यूशन एण्ड इकोनोमिक।

पी0,वाई0, अर्जुन.(2012) *''सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एण्ड वुमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया,* निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

रहीम, ए अब्दुल. (2011). *''वुमेन इम्पावरमेंट थ्रु एस.एच.जी.'',*निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन ,नई दिल्ली।

शरीरामुलु, जी.(2008). *''इम्पावरमेंट आफ वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप',* नई दिल्ली पब्लिकेशन

रहीम, ए अब्दुल. (2011). *''वुमेन इम्पावरमेंट थ्रु एस.एच.जी.'',*निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन ,नई दिल्ली।

सिन्हा अजीत कुमार . (2008). *''निव डायमेंशन ऑफ वुमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया',*दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली।

पंचम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय 5

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तावना –प्रस्तुत शोध का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का आंकलन करना तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में महिलाओं के विकास के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करना प्रमुख रहा है।

5.1 समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति

शोध में यह जाँचने का प्रयास किया गया है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व महिलाओं की पारिवारिक स्थिति कैसी थी। वे परिवार के कार्यों को करने में निर्णय ले पाती थी या नही तथा समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है, महिलाओं ने समूह की सदस्यता क्यो ग्रहण की है, समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है या नही तथा साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयास किया गया कि समूह में जुड़ने से पूर्व क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी और समूह से जुड़ने के बाद वे राजनीतिक कार्यो मे भाग ले रही है।

- समाज के सभी वर्ग की महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण है जिसमें 90 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं है तथा मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत 10 है तथा हिन्दू महिलाओं में समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं का अधिकतम 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है और सबसे कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का है।

- वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि समूह की सदस्यता स्वीकार करने वाली महिलाओं में विधवा महिलायें, बालिकायें तथा विवाहित

महिलाये है जिसमें सबसे अधिक 84 प्रतिशत विवाहित महिलायें है तथा सबसे कम 4 प्रतिशत विधवा महिलाओं का है।

- महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के कारणों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक बचत और समय पर ऋण दोनो कारणों के कारण समूह की सदस्यता ग्रहण की तथा सबसे कम 9 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण (एक बालिका के अनुसार हमे ग्रामीण महिलाओं के लिये कुछ करना था, एक अन्य बालिका के अनुसार *मम्मी के समूह में कोई पढा लिखा नही था आदि*) से समूह की सदस्यता ग्रहण की।

- समूह से लिए गए ऋण के उपयोग के आधार पर विश्लेषण करने से स्पष्ट होंता है कि समूह की सर्वाधिक 37 प्रतिशत महिलाए ऋण का प्रयोग सभी कार्यो कृषि (26 प्रतिशत) पशुपालन (9प्रतिशत), बच्चों की शिक्षा 3 प्रतिशत) को करने में करती है। सबसे कम 8 प्रतिशत महिलाओ द्वारा अभी तक कोई ऋण नही लिया गया है।

- 36 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण के बाद पूर्णतः उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा केवल 6 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अभी भी उनकी पारिवारिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है।

- आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 34 प्रतिशत महिलायें ब्लॉक स्तर पर चयनित होने पर उसकी अधिकांश जिम्मेदारियो को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाती है। तथा केवल 06 प्रतिशत महिलायें ब्लाक स्तर पर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने के में स्वयं को सक्षम नही पाती है।

- आकडों से स्पष्ट होता है कि समूह की 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ंकभी–कभी ही स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लिये जाते थे, तथा 20 प्रतिशत

महिलायें स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय नही ले पाती थी। जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा ंहमेशा स्वतंत्र रूप से मतदान से जुडे निर्णय नही ले पाती थी। तथा समूह की सदस्यता तथा समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 37 प्रतिशत महिलाये ंअधिकाशंतः, 32 प्रतिशत महिलायें हमेशा मतदान से सम्बन्धित से सम्बन्धित निर्णय ले रही है। जो **शरीरामुलू एण्ड हुसैन खान (2008)** द्वारा बताये गये दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि समूह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो के जीवन स्तर में सुधार के इरादे से लागू किया गया है यह आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है लेखक ने समूह के सदस्यों का साक्षात्कार लिया और उनकी राजनीतिक सक्रियता, समूह से जुडने के बाद मताधिकार से जुडे निर्णय लेने वृद्धि के बारें में बताया गया।

- स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओ विकास में दिये जा रहे योगदान के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के आकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 37 प्रतिशत महिलाये यह मानती है कि समूह महिलाओं के विकास मे पूर्णतः योगदान दे रहा है तथा केवल 7 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि समूह महिलाओ के विकास मे योगदान नही दे रहा है (कारण समूह की सदस्यता ग्रहण किये अभी अधिक समय नही हुआ, समूह से अभी तक ऋण नही लिया गया)

5.2 स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पन्न रोजगार

शोध के उद्देश्यों के अनुरूप यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या स्वयं सहायता समूह की सहायता से महिलायें रोजगार कर पा रही है, स्वयं यहायता समूह से लिये गये ऋण उपयोग महिलायें किस प्रकार के कार्यो को करने में कर रही हैं, समूह के तहत महिलाओं को अन्य कौन– कौन से पद प्राप्त हुये है।

- महिलायें किस प्रकार के स्वयं सहायता समूह के कार्यो का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत महिलायें कुटीर उद्योग(जैविक खाद बनाना, सामूहिक डेयरी, मशरूम उत्पादन,) करने वाले समूह से सम्बन्धित है जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है तथा इसको धारणीय विकास की तरफ एक पहल के रूप में देखा जा सकता है। 5 प्रतिशत महिलाओं के समूह द्वारा कोई कार्य नही किया जाता है।

- स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं को समूह से सम्बन्धित अन्य पदों–जैसे ग्राम संगठन की सदस्यता तथा उससे सम्बन्धित कमेटी की सदस्यता, समूह सखी, युवा सखी, स्वास्थ्य सखी, ब्लॉक सखी की सदस्यता प्राप्त करने से सम्बन्धित तालिका का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 37 महिलायें कमेटी की सदस्य, 12 महिलाये ग्राम संगठऩ एवं कमेटी की सदस्य, 3 महिलायें कमेटी, ग्राम संगठन एवं समूह सखी तीनों पदो से सम्बन्धित है तथा 2 महिलायें समूह सखी है(जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि होती है तथा उन्हें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि से सम्बन्धित जानकरी प्राप्त होती है)। अजीविका सखी ने बताया कि

"पहिले हमका कौनो जानकारी रहिबे न भे, पहिले गरीबियों ज्यादा रही, कमाई तो ज्यादा होत ना रही ना ही हम बीज और खाद के बारें में जानत रहे बहिनी। का है कि आदमी लोग खेत पर जात रहिते थे और वही सब काम कर लेते थे और हम लोग वही निराना गोडना जानते थे और खेत कटने के समय फसल कटवाने पँहुच जाते थे।"

इसी सन्दर्भ में एक अन्य सखी से पूछे जाने पर वह बताती है कि

समूह में प्रशिक्षण के माध्यम से हम विभिन्न फसलों की विभिन्न किसमों से अवगत हो गये है, वहॉ हमे वर्मी खाद शिवांश खाद बनाने का भी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया जिससे हमारी फसलों की उपज 15 से 40 प्रतिशत बढी है, खाद के प्रयोग से

खेतों में 50 प्रतिशत से कम पानी लगता। फसलों को बीमारियों से लडने की ताकत मिलती है जिससे कम रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत पडती है और साथ– साथ हमारी जमीन ज्यादा उपजाऊ बनती है जिससे न सिर्फ हम बल्कि आगे आने वाली पीढियॉ भी खेती करके जीवन यापन कर सकती है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पहल के रूप में योगदान दे रहे है। इस प्रकार मेरा यह निष्कर्ष **फर्जेन सेख खतिबी एण्ड मिश इन्दिरा (2011)** शोध का समर्थन करता है जिसमें उन्होने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सहसात्राब्दि विकास लक्ष्यों मे लैंगिक समानता बढ़ावा देने और पार्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चत करने का लक्ष्य शामिल है। शोध में बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह सहस्रब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने में अपना योगदान देने के लिये प्रतिबद्ध है जिसमें प्रमुख लक्ष्य है– जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का सशक्तीकरण और पार्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य सखी बताती है कि

हम लोग, जो गर्भवती महिलाएं है या जो नवजात शिशुओं की माँ है हम लोग उनके घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य के संदेश देते है जैसे गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारें में बताते है तथा उन्हे यह बतातें हैं कि बच्चें के जन्म के एक घण्टे के अन्दर ही माँ का दूध पिलाना है। नवजात बच्चों को टीकाकरण कराने ले जाते है तथा गर्भवती महिला की गोदभराई की जाती उसमें हम उन्हें खान–पान के बारें में बतातें है। केएमसी के बारें मे भी महिलाओ को बताते है कि बच्चों को कैसे केएमसी देना चाहिये। हम समूह की महिलाओं को आँगनबाडी, आशा आदि से भी जोड़तें है।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि समूह के माध्यम से महलाएं स्वास्थ, पोषण एवं स्वच्छता के बारें में जानकारी प्राप्त करती है जिससे मातृ मृत्यु दर, कुपोषण जैसी समस्यायें कम होती है। **एम0 डाइवान (2008)** ने भी अपने अध्ययन में इस तथ्य को

बताया है कि स्वयं सहायता समूह को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गयी है महिलाओं का समस्त सशक्तीकरण उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर निर्भर है। इसलिये इन समूहों के माध्यम से महिलायें स्वास्थ, पोषण, कृषि वानिकी, जैसे मुद्दे पर कार्य करती है। इसके अलावा सूक्ष्म गतिविधि के माध्यम से आय सृजित करती है।

- स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओ विकास में दिये जा रहे योगदान के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के आकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 42 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि समूह से महिलाओ का सभी (आर्थिक सशक्तीकरण, नेत्रत्व की क्षमता,तथा जागरूकता) विकास होता है।

5.3 स्वयं सहायता समूह से जुड़े जातिगत तथा अन्य सामाजिक आयाम

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलायें समूह से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये यह देखने का प्रयास किया गया है कि क्या समूह से जुड़े कार्यो को करते समय उन्हें जातिगत भेदभाव, दोहरी भूमिका, लैगिंक भेदभाव से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पडता है

- समूह से सम्बन्धित कार्यों को करने के दौरान जातिगत भेदभाव से जुडी समस्याओं के आधार पर आकड़ों का विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि समूह की सर्वाधिक 37 प्रतिशत महिलाएं अधिकांशतः जातिगत भेदभाव से जुडी समस्याओं का सामना करती है जिससे स्पष्ट होता है कि समाज मे आज भी जाति आधारित भेदभाव होता है। तथा 16 प्रतिशत महिलाओं को जातिगत भेदभाव से जुडी किसी प्रकार की कोई समस्या नही होती है।

- समूह के कार्यों को करने के दौरान हो रहे लैंगिक भेदभाव के आधार पर आकडों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 49 प्रतिशत महिलाये यह मानती है कि उन्हे कभी –कभी लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता है तथा केवल 16 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि उन्हे कभी नही लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता है।

5.4 स्वयं सहायता समूहों के विकास की प्रकिया में आ रही बाधाएं

वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के विकस के सरकारी संस्थायें एवं गैर सरकारी संस्थायें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शोध के उद्देश्य के अनुरूप यह देखने का प्रयास किया गया कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी स्वयं सहायता समूहों का अधिक गठन क्यों नही हो पा रहा है।

- स्वयं सहायता समूह की सबसे अधिक 32 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया है गया कि उनके ग्राम पंचायत मे सभी महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण न करने का कारण कर्ज है, 23 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिये नही ग्रहण की गयी क्योकि वे आर्थिक रूप से सशक्त है, 20 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिए नही ग्रहण की गयी क्योकि उन्हे पारिवारिक स्वीकृति नही है, 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिये ग्रहण न करने का कारण पारिवारिक स्वीकृति अभाव, कर्ज तथा आर्थिक सशक्ति है तथा 9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता न ग्रहण करने का कारण उनकी स्वयं की इच्छा का न होना है।

प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप शोध के प्रमुख निष्कर्ष निम्न है

- स्वयं सहायता समूह की सदस्यता समाज के सभी वर्गो की महिलाओं ने ग्रहण की है जिससे महिलाओं को एक साथ कार्य करने के अवसर प्राप्त होते है तथा महिलाओं के बीच आपसी दूरियां समाप्त हो रही है वे एकदूसरे के सुखदुख में साथ रहती हैं।

- महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य कारण आर्थिक बचत एवं समय पर ऋण की प्राप्ति हैं।

- स्वयं सहायता समूह से ली गयी ऋण की राशि का प्रयोग महिलाएं लघु एवं कुटीर उद्योग तथा पारिवारिक कार्यों को करने में कर रही है। जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होता है।

- स्वयं सहायता समूह की सदस्यता लेने के बाद महिलाओं को समूह से सम्बन्धित अन्य पद भी प्राप्त होते है जैसे– स्वास्थ्य सखी, आजीविका सखी, ब्लॉक सखी तथा महिलाएं विभिन्न कमेटियों की सदस्य भी बनती है जिससे न सिर्फ उनकी आय में बढोत्तरी होती है बल्कि उन्हे विभिन्न प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होती है।

- स्वयं सहायता समूह से सम्बन्धित कार्यो को करने से महिलाओं में आत्म विश्वास बढता है तथा उनमें नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है जिससे वे ग्राम पंचायत के कार्यो में सक्रिय भूमिका निभाती है।

- स्वयं सहायता समूह का अधिक विकास न हो पाने का प्रमुख कारण पहले तो महिलाएं समूह की सदस्यता नही ग्रहण करना चाहती है क्योकि उन्हें इस बात का भय रहता है कि अगर समूह टूट गया तो उन पर कर्ज हो जायेगा तथा

अगर महिलायें समूह की सदस्यता ग्रहण कर भी लेती है तो वे समूह से जल्दी ऋण नही लेती है जिससे समूह की संचित निधि में वृद्धि नही हो पाती है जिससे समूह में किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यों की शुरूआत नही हो पाती हैं।

5.5 सुझाव–

5.5.1 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुझाव

- स्वयं सहायता समूह जैसे अनौपचारिक संगठन मे 20 से अधिक सदस्यों का समावेश नही होना चाहिए और न ही एक गॉव मे छोटे– छोटे समूह होने चाहिए।

- ऋण की राशि का सम्बन्ध बचत से होना चाहिए, अधिक बचत होने से समूह मे निधि भी अधिक उपलब्ध होगी। लेकिन समूह को निश्चित रूप से तय करना चाहिये कि बचत का कितना भाग ऋण के रूप में दिया जाना है। क्याकि बचत और ऋण के बीच निश्चित अनुपात, समूह के स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं।

- समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तथा सचिव के पद का चयन चक्रीय (रोटेशन) पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए जिससे कि सभी सदस्यों को इन पदों पर चयनित होने का अवसर प्राप्त हो सके।

- समूहो को संगठित या बेहतर बनाने का कार्य सरकारी प्रशिक्षण कर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों पर ही निर्भर करता है। प्रशिक्षण कर्ताओं को चाहिए की वे प्रशिक्षण सही एवं प्रभावी ढंग से प्रदान करे।

- समूह के विकास के लिए आवश्यक है कि समूह के कार्य लोकतान्त्रिक विधि और सर्वसम्मति के आधार पर किया जाने चाहिये

- समूह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के निर्णय समूह के सभी सदस्यों का भाग लेना निश्चत होना चाहिए।

- समूह बचत या परिक्रमा निधि की लेन–देन करने के सम्बन्ध मे समूह को अपने नियम और उपनियम विकसित करने चाहिये; इसके साथ ही संगठनो के द्वारा भी समूहों को प्रेरित करने के लिये आवश्यक कदम उठाते रहना चाहिये।

5.5.2 सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को सुझाव

- संस्थाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय– समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करते रहना चाहिए।

- स्वयं सहायता समूह के गठन करवाते समय यह निश्चित रूप से तय कर लेना चाहिएं की महिलाएं समूह के नियमों से भलीभॉति परिचित हो गयी है अन्यथा समूह अधिक समय तक कार्यरत नही रह पाता है।

- समूह की महिलाओं को समूह निधि में कैसे बढत की जाती है, बैंक में खाता कैसे खुलवाया जाता है, समूह किस प्रकार से सामूहिक कार्यो को कर सकता है आदि जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, मीनू, (2013) *''वुमेन इम्पावरमेंट एण्ड जेंडर इक्वालिटी'*,, कनिष्क पब्लिकेशस नई दिल्ली ́।

अग्रवाल पी0.(1987). *"रोल ऑफ वुमेन इन सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट"*, सोशलवेलफेयर, मार्च।

एलेन कैनेथ.(2011). *"कन्टेम्परी सोशल एण्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी"*,सेज पब्लिकेशन लन्दन।

एपेलराउथ एस0, एडल्स एल0 डी0.(2011). *"सोशियालॉजिकल थ्योरी इन द कन्टेम्परेरी इरा"*, सेज पब्लिकेशन लन्दन।

अश्विनी रमेश.(2002). *"सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड स्माल विपेज को–आपरेटिव फॉर रूलर डेवलपमेंट : ए क्रिटिकल पर्सपक्टेटिव विजन"* इण्डियन कोपरेटिव,वाल्यूम xxxviii नं0 1 जुलाई।

अग्रवाल सुशीलाा.(1998). *"स्टैटस ऑफ वुमेन"*, प्रिन्टवेल पब्लिसर्श निव दिल्ली।

आर्य साधना .(2002). *"वुमेन जेंडर इक्वालिटी एण्ड स्टेट"*, दीप एण्ड दीप पब्लिसर्श निव दिल्ली।

बाल्लेनटाइन एज0जे0,राबट्र्स के0ए0, कोर्जन के0ओ0.(2016). *"अवर सोशल वर्ल्ड इन्ट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी "*, सेज पब्लिकेशन कनाड़ा।

बी, शुगना. (2015). *''एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स'*, डिस्कवरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

खातिबी फर्जनेह सेख एण्ड एम इन्दिरा.(2011). *''एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प एण्ड एपवायरन्मेंटल मैनेजमेंटः एक्सपीरियंस ऑफ एन जी ओ इन कर्नाटक स्टेट'*, इण्डिया।

भास्कर जी0,नारायण के0वी0. (2014). *''माइक्रोफाइनेन्स एण्ड वुमेन'*, निव सेन्चुरी पब्लिकेशन. नई दिल्ली।

भण्डारी, आशा और मेहता.(2009). *''वुमेन जस्टिस एण्ड रूल ऑफ लॉ'',* सीरियल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

भट्ट, आर इला. (2017). ''महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण'', *योजना,* सितम्बर पेज नं. 17।

चटर्जी शंकर.(1998). *"डेवलपमेंटब ऑफ रूरल पुअर थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप",* आर0बी0एस0पब्लिसर्श, 340 चौरा रास्ता जयपुर।

धुनगाना बिसु माया .(2010). *''द रोल ऑॅफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एम्पावरिंग डिसेम्बल्ड वुमेन',ए केस स्टडी ऑफ कांडमाडु वैली नेपाल.* डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस।

डाइवान एम0.(2008).*''सेल्फ हेल्प ग्रुप इन तमिलनाडुः एन आइडेन्टिटी फॉर वुमेन इम्पावरमेंट.',* इण्डियन पालिटिकल सांइस एशोसिएशन।

डारेन रावन कैम्पवेल.(2006).*"डेवलपमेंट विथ वुमेन",* रावत पब्लिकेशन निव दिल्ली।

डेवी इन्द्रा.(2004). *"सेल्फ हेल्प ग्रप्सः ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव",* एन्ड्रो यूनिवर्सिटी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन विशाखापटनम।

ज्योथी.(2002). *"सोशलग्रुप अन्डर द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन तमिलनाडुः अचीवमेंट,बॉटलनेक्स एण्ड रिकम्डेशन"*, सोशल चेन्ज 32(3 एण्ड 4) जुलाई–सेप्टेम्बर डिसम्बर।

ज्येंन्थी विजयरानी टी.(2011). *"सोशियोइकोनामिक कन्डीशन ऑफ सेल्फ इम्पलॉययड वकर्स"*, डिस्कवरी पब्लिशिंग हॉउस प्राइवेट लिमटेड निव दिल्ली।

गलबएस0 एण्ड रॉव चन्द्रशेखर .(2003). *''वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पावर्टी एलाइवेशन एण्ड एम्पावरमेंट',* इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली वाल्यूम 38।

लाल गोपाल जैन.(1998). *"रिसर्च मेथडोंलॉजीःमेथड टूल टेकनिक्स"*, मंगलदीप पब्लिकेशन, जयपुर।

कुमारी तृप्ति एण्ड मिश्रा ए0पी0. (2015). *''सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड वुमेन डेवलपमेंटः ए केस स्टडी आफ वाराणसी ड्रिस्ट्रिक',* . स्पेस एण्ड कल्चर, इण्डिया।

कौशिक, वी0के0, प्रेमलता पुजारी .(1994). *''वुमेन पावर इन इण्डिया''* कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली

कश्यप, जगन्नाथ. (2016). समग्र प्रयास से ही सुधरेगी बेटियों की दशा *''कुरूक्षेत्र'' जनवरी* पेज नं. 5–9।

कौर लखविन्दर.(2016). ''रूरल डेवलपमेंट–सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेस स्टोरी'', एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एक्शटेंशन इकोनोमिक एण्ड सोशियोलॉजी, साइन्स डोमेन इन्टरनेशनल।

कुमार सुरेश.(2009). *''पार्ट्रीशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रु एक्टिविटीज एण्ड इम्पैक्ट',* एविडिसेन्स फ्राम साउथ इण्डिया।

कुमारी, मधु.(2012).*''इम्पावरमेंट आफ वुमेन'* रैन्डम पब्लिकेशन, नई दिल्ली

श्रीवास्तव राकेश.(2018). ''ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण आगे की राह'',*कुरूक्षेत्र* जनवरी पेज नं. 6–8।

कृष्णमूर्ति.(2004). *"पावट्री रिडक्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रैटजी",* बी0आर0 वर्ल्ड बुक निव दिल्ली।

लोखंडे ए0 मुरलीधर. (2014). *''माइक्रोफाइनेन्स एण्ड वुमेन एम्पावरमेंट',* निव सेन्चुरी पब्लिकेशन. नई दिल्ली।

मित्रा ज्योति.(1997). *"वुमेन एण्ड सोसाइटी इक्वालिटी एण्ड इम्पावरमेंट"*, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

मुहम्मद नयीम.(2014). *'' एम्पावरमेंट ऑफ वमेन प्रोग्राम, पालिशी, इशु, एण्ड चैलेन्जेज',* श्री पब्लिसर्श एण्ड ड्रिस्ट्रिब्यूटर्श, अंसारी रोड दार्यागंज नई दिल्ली।

मुथैया पी . (2011). *''एम्पावरमेंट आफ वुमेन एण्ड माइक्रो फाइनेन्स',* सीरियल पब्लिकेशन नई दिल्ली।

नित्थ्यानन्दन एस0 एण्ड मंसूर नोरमा.(2015). *''सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड वुमेन एम्पावामेंट',* इन्सट्यूशन एण्ड इकोनोमिक।

निकोल जी0आर0 ट्यूलिश.(2005). *''द रिलेशनशिप बेटबीन वुमेन ए डेवलपमेंट इन केन्याण्ड',* बर्घन बुक्स।

पाण्डेय आर0 . (2008). *''वुमेन वेलफेयर एण्ड एम्पावरमेंट',* निव सेन्चुरी पब्लिकेशन. नई दिल्ली

पी0,वाई0, अर्जुन.(2012) *''सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एण्ड वुमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया,* निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

पी0एस0 ,रामाराजु.(2013). *''सोशल एक्सक्यूजन एण्ड सोशल वर्क'*, कामनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

सिन्हा अजीत कुमार . (2008). *''निव डायमेंशन ऑफ वुमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया'*,दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली।

सुसन इ0बेल.(2008) *''द केस स्टडी ऑफ फर्टीलिटी',* युनिवर्सिटी ऑफ एलीनाइस प्रेस।

सालगावकर एस0 एण्ड सालगावकर पी0वी0.(2009) *''पंचायत एण्ड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपःअण्डरस्टैडिंग द साम्बाओसिस',* इण्डियन पालिटिकल सांइस एशोसिएशन।

रहीम, ए अब्दुल. (2011). *''वुमेन इम्पावरमेंट थ्रु एस.एच.जी.''*,निव सेन्चुअरी पब्लिकेशन ,नई दिल्ली।

कालहाउन सी0,जरटीस जे0, मूड़ी जेम्स, स्टैवेन पी0, विर्क आई0.(2005). *"कन्टम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी",* ब्लैकबेल पब्लिशिंग लन्दन।

लेविस आर0 एण्ड मिल्स सारा.(2003).*"फेमिनिस्ट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी",* इडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस, ग्रेट ब्रिटेन।

मेयर्स डी0टी0.(2017). *"फेमिनिस्ट सोशल थॉट ए रीडर.राउट्लेड्ज",* ग्रेट ब्रिटेन।

मैक्लौघिन जे0. (2016). *"फेमिनिस्ट सोशल एण्ड पॉलिटिकल थ्योरी",*

न्यूमैन डेविड एम0 .(2012) . *"सोशियोलॉजी एक्सप्लोरिंग ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इवरी डे लाइफ",* सेज पब्लिकेशन यूनाइटेड़ स्टेट ऑफ अमेरिका।

रिट्जर जी0 एण्ड स्टेपवेन्सिकी जे0.(2011). *"मेजर साशल थ्योरीज,* जॉन ब्लैकवेल", यूनाइटेड़ किगड़म

शाही एस0पी0.(2014). *"वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन",* सेन्टरम प्रेस निव दिल्ली इण्डिया।

स्टोन आर0.(2017) *"की सोशियोलॉजिकल थिंकर* ,पालग्रेव मैकमिलन", यूनाईटेड किंगडम ।

शर्मा प्रेमनारायण, विनायक. (2011). *''गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण''*, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ

सिन्हा, अमरजीत.(2017). अजीविका के माध्यम से ग्रामीण जीवन की कायापलट, *''योजना''* पेज नं0 15।

सिन्हा, अमरजीत.(2018). ''ग्रामीण विकास का रोड मैप'', *कुरूक्षेत्र* , मार्च पेज नं. 5–8।

शरीरामुलु, जी.(2008). *''इम्पावरमेंट आफ वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप''*, नई दिल्ली पब्लिकेशन

सिंह बी0.सुहाग के0एस0 एण्ड संजय कुमार.(2008). *"लोन डिस्बर्ड पैटर्न अन्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप – ए कम्प्रेटिव ऑफ कर्नाल डिस्ट्रिक ऑफ हरियाणा"* इण्डियन कोपरेटिव, जैनवरी।

सिंह आई0 एण्ड कुमारी ऊषा.(2007). *"रूलर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इम्पावरमेंट"*, डेवनपमेंट, सीरीज पब्लिकेशन निव दिल्ली।

येलने जी0.(2002). *"वुमेन पाट्रिशिपेशन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर्सपेक्टिव इन सोशनवर्क"*,वाल्यूम xvii, नं01, जैनवरी– अप्रैल।

कर्माकर के0जी0.(1999). *"रूलर क्रडित एण्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स माइक्रोफाइनेन्स नीड एण्ड कॉन्सेप्ट इन इण्डिया"*, सेज पब्लिकेशन निव दिल्ली।

सिंह कमला.(1992). *"वुमेन इन्टरप्रेन्यार्श"*, अशीश पब्लिशिंग हाउस, निव दिल्ली।

सिंह के0 अरून.(2002). *"इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इण्डिया"*, मानक पब्लिकेशन, प्राइवेट लिमटेड निव दिल्ली।

स्वर्णलता ई0वी0.(1997). *"इम्पावरमेंट ऑफ थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप"*, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस,निव दिल्ली।

तपन नीता.(2000). *"नीड फार इम्पावरमेंट"*, रावत पब्लिकेशन निव दिल्ली।

त्रिपाठी एस0एन0.(2002). *"वुमेन इन इन्फारमल सेक्टर "*,डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस,निव दिल्ली।

वर्मा साल्विया बिहारी.(2004). *"रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एन0 जी0ओ0 पंचायती राज इन्सटीट्यूशन इनप्रमोटिंग रूलर इण्डिया"*, बी0आर0 वर्ल्ड बुक निव दिल्ली।

शर्मा अर्चना.(2018). महिला सशक्तीकरण का आर्थिक और सामाजिक पहलू",कुरूक्षेत्र जनवरी 2018 अंक अजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन. (2016–2017). *राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी वार्षिक रिपोर्ट* ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

नेशनल रूलर लिविलीहुड मिशन डाक्यूमेंट 2017 मिनिस्ट्री ऑफ रूलर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया निव दिल्ली।

https://rgmvp.org/

https://nrlm.org.in/shgOuterReports.do?methodName=showShgreport

https://you.be/kWBm6yC-5n4

https:youtu.be/3WMb6PAUwsw

परिशिष्ट

परिशिष्ट

स्वंय सहायता समूह एवं महिलाओं का विकास : हरदोई जिले के चयनित ब्लॉक का समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. उत्तरदाता का नाम :–
2. उत्तरदाता की आयु:–
3. धर्म– (i) हिन्दू (ii) मुस्लिम (iii) सिक्ख (iv) इसाई (v) अन्य
4. जाति – (i) सामान्य (ii) अन्य पिछडा वर्ग

   (iii) अनुसूचित जाति (iv) अनुसूचित जनजाति
5. उपजाति–
6. शिक्षा–अशिक्षित– (i) हाईस्कूल (ii) इण्टरमीडिएट

   (iii) ग्रेजुएशन (iv) अन्य
7. वैवाहिक स्थिति– (i) अविवाहित (ii) विवाहित
8. व्यवसाय–
9. आय(मासिक)–
10. निवास स्थान का क्षेत्र (i) ग्रामीण (ii) नगरीय
11. घर का प्रकार – (i) कच्चा (ii) पक्का (iii) उपर्युक्त दोनो
12. पारिवारिक विवरण–

नाम	सम्बन्ध	आयु	लिंग	व्यवसाय	आय	अन्य

स्वंय सहायता समूह का गठन एवं विकास–

1. आपके स्वंय सहायता समूह का क्या नाम है?–
2. आपको समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया था?–
3. आपको समूह की सदस्यता प्राप्त किये हुये कितनी समयावधि हो चुकी है?–
4. (क) क्या आपने समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था –

(i) हाँ (ii) नहीं

(ख) अगर हाँ तो प्रशिक्षण की अवधि क्या थी?–

5. आपके समूह में कितने सदस्य है?–
6. आपके समूह के प्रमुख पद कौन–कौन से है ?
7. आपके समूह की बैठको की अवधि , स्थान आदि का निर्धारण कौन करता है–

(i) अध्यक्ष (ii) कोषाध्यक्ष (iii) सचिव (iv) आपसी सहमति

8. समूह में अध्यक्ष का निर्धारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है?–
(i) निवार्चन (ii) चक्रीय पद्धति (iii) अन्य कोई प्रक्रिया (iv) मालूम नहीं
9. समूह की धनराशि, बचत, ऋण आदि का लेखा–जोखा कौन रखता है?

(i)अध्यक्ष (ii) कोषाध्यक्ष (iii) सचिव (v) समूह के सभी सदस्य

10. कोषाध्यक्ष का चयन कैसे किया जाता है
11. (क) आपका समूह किस प्रकार के कार्यो को करता है–

(i) कुटीर उद्योग (ii) लघु उद्योग (iii) महिलाओं को समूह की सदस्यता के लिये प्रोत्साहित करना
(iv)उपरोक्त सभी (v) अन्य

11.(ख)उपरोक्त कार्यो को करने के लिये संसाधन कैसे जुटाते है–

12. आपके समूह में पत्येक सदस्य को 1 माह में कितनी धनराशि जमा करने के लिये निर्धारित की गयी है?
13. (क)इस निश्चित धनराशि को क्या आप 1 माह में एक किशत में ही जमा करते है–

(i) हाँ (ii) नहीं
(ख) अगर नही तो और क्या–2 विकल्प है?

14. आपके समूह मे ऋण लेने के लिये समूह मे कम से कम कितनी धनराशि का संचय आवश्यक है?

15. समूह की संचित निधि का आप कितने प्रतिशत तक ऋण ले सकती है?–
16. आपने अपने व्यक्तिगत कार्यो के लिये अभी तक समूह से कितनी बार ऋण लिया है?–

17. समूह से लिये गये ऋण का उपयोग आप किस प्रकार के कार्यों को करने में करती है?—

(i)पशुपालन (ii) बच्चों की शिक्षा (iii)कृषि (iv)उपरोक्त सभी (v) अन्य

18. समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये कम से कम कितनी धनराशि का संचय आवश्यक है—
19. समूह की सदस्यता प्राप्त करने से पूर्व क्या आप बैंकिग प्रक्रिया से जागरूक थी?
(i)पूर्णतः (ii) अधिकांशतः (iii)थोड़ा बहुत (iv)नहीं
20. बैंक से ऋण लेने में या बैंक से जुड़े किसी प्रकार के कार्य करने में क्या आपको परेशानी होती है
(i)हमेशा (ii) अधिकांशतः (iii)कभी—कभी (iv)नही
21. आपके समूह नेन अभी तक कितनी बार बैंक से ऋण प्राप्त किया है—

समूह के विकास में आ रही बाधायें—

1. आप समूह के नियमों से भलीभाँति परिचित है?—

(i)सभी (ii) अधिकांश (iii)थोड़ा बहुत (iv)नही

2. क्या समूह के सदस्यों को आपसी विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?—

(i)हमेशा (ii) अधिकांशतः (iii)कभी—कभी (iv)नही

3. क्या समूह के सदस्य, समूह से समय—समय पर ऋण लेकर समूह की संचित निधि को बढ़ाने में मदद करते है?—

(i)सभी (ii) अधिकांश (iii)कुछ (iv)कोई नहीं

4. क्या समूह के सदस्य समूह से लिये गये ऋण को निश्चित ब्याज दर के साथ समय समय पर वापस करते है?—

(i)सभी (ii) अधिकांश (iii)कुछ (iv)कोई नही

5. आपके समूह ने बैंक से लिये गये ऋण को निश्चित ब्याज दर के साथ समय र वापस किया है—

(i)हमेशा (ii) अधिकांशतः (iii)कभी–कभी (iv)नही

6. बैंक से लिये गये ऋण को अगर आप समय पर अदा नहीं करते तो किस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती है?–

(i)बैंक ऋण देना बन्द कर देता (ii) समूह समाप्त है (iii)अन्य

7. बैंक म़ें ऋण भुगतान किस प्रकार करते है?–

(i)एकमुश्त (ii) किश्तो में EMI (iii)अन्य

8. आपके समूह द्वारा निश्चित समय पर नियमित बैठके की जाती है?–

(i)हमेशा (ii) अधिकांशतः (iii)कभी–कभी (iv)नही

9. स्वयं सहायता समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में क्या आपको जानकारी

(i)हाँ (ii) नहीं

iii अगर हाँ तो किस–किस प्रकार की योजनायें कार्यरत योजनाओं के बारे में आपको किन स्त्रोतो से जानकारी प्राप्त

10. समूह के विकास के लिये चलायी जा रही सरकारी योजना क्या आप उचित लाभ ले पा रहे है

(i) हाँ (ii) नहीं

11. आपके ग्राम पंचायत में कितने समूह कार्यरत है

12. क्या ग्राम की सभी महिलायें स्वयं सहायता समूह की सहायता ग्रहण की है

(i) हाँ (ii) नहीं

ii अगर नही तो किन कारणों से महिलायें समूह की सदस्य नही लेती है?

महिलओं का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास

1. क्यों समूह की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व आपने अपने परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श किया था?

(i) हाँ (ii) नहीं

ii आपके इस मत (विचार) विचार के प्रति सदस्यों की राय क्या थी–

2. आपके परिवार में घर से जुड़े महत्वपूर्ण (बच्चों की शिक्षा, कृषि/अन्य कार्य) निर्णय कौन लेता है?

(i)पति (ii) ससुर (iii)अन्य बड़े सदस्य (iv)आपकी सहमति

3. क्या आपको समूह के कार्य करने में परिवार के सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

(i)हमेशा (ii) अधिकांश (iii)कभी—कभी (iv)नही

4. समूह से जुड़ने के बाद क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?—

(i) हा (ii) अधिकांश (iii)थोड़ा बहुत (iv)नहीं

10. आर्थिक सुदृढ़ता महिलाओं के सशक्तीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है आप इस कथन से—

(i) पूर्णतः सहमत (ii)अधिकांशतः सहमत (iii)अंशत सहमत (iv)असहमत

11. परिवार में आपके द्वारा लिये गये निर्णय को महत्व दिया जाता है?—

(i) हमेशा (ii)अधिकांशतः (iii)कभी—कभी (iv)नहीं

12. समूह से जुड़ने केबाद क्या आपकी परिवारिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है?—

(i)पूर्णतः (ii)अधिकांशतः (iii)थोड़ा बहुत (iv)नहीं

13. समूह की महिलायें और जो महिलायें समूह से नहीं जुड़ी है, दोनो की समाजिक प्रस्थिति मे क्या आपको किसी प्रकार का अन्तर महसूस होता है?—

(i)हां (ii)कुछ सीमा तक (iii)अत्यधिक नहीं (iv)बिल्कुल नहीं

14. क्या आप स्वतन्त्र रूप से मतदान से जुड़े निर्णय लेती है?—

(i)हमेशा (ii)अधिकांशतः (iii)कभी—कभी (iv)नहीं

15. ग्राम पंचायत की सदस्यता प्राप्त होनेपर क्या आप उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में स्वंय को सक्षम पाती है?—

(i) सदैव (ii)अधिकांशतः (iii)कभी—कभी (iv)नहीं

16. अगर आपके ब्लॉक स्तर पर समूह की सदस्यता प्राप्त होती है तो क्या आप दूसरे जिले की महिलाओं को समूह की सदस्यता ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करने में स्वंय को समर्थ पाती हैं?—

(i) सदैव (ii)अधिकांशतः (iii)थोड़ा बहुत (iv)नहीं

17. क्या आपको समूह में या समूह के बाहर कार्य के दौरान जातिगत भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?—

(i) हमेशा (ii)अधिकांशतः (iii)कभी—कभी (iv)नहीं

18. आपको पारिवारिक कार्य एवं समूह के कार्य करते समय दोनों के कार्यों में उचित सामंजस्य स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है

(i) हाँ (ii)नहीं

19. क्या आप समूह की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात स्वंय को राजनीतिक पहचान दे पाने में सक्षम पाती है

(i) हमेशा (ii)अधिकांशतः (iii) थोडा बहुत (iv)नहीं

20. स्वंय सहायता समूह के कार्य करने के दौरान क्या आपको लैगिक भेदभाव Gender Discrimination सामना करना पडता है?

(i) हमेशा (ii)अधिकांशतः (iii)कभी–कभी (iv)नहीं

21. समूह से जुडे कार्य करते समय आपको किस स्तर पर अधिक लैगिक भेदभाव का अनुभव होता है?

(i) परिवार (ii)समूदाय (iii)गांव (iv)उपर्युक्त सभी

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से समूह साक्षात्कार लेती हुई शोधार्थी

साक्षात्कार अनुसूची भरवाती हुई शोधार्थी